आज़ादी का अमृत महोत्सव

तेल उद्योग विकास बोर्ड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

तेउविबो
OIDB

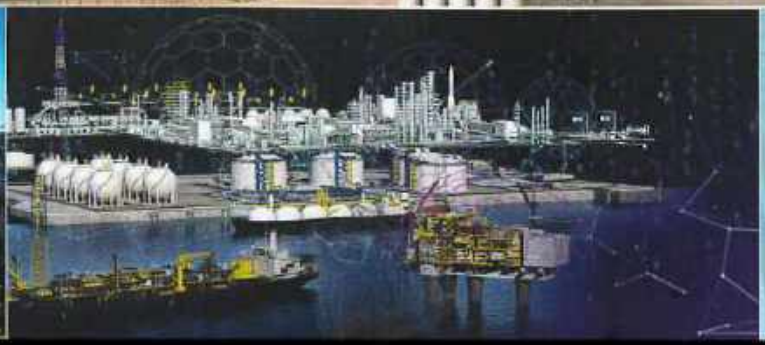

तेउविबो OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड

विषय सूची

बोर्ड के सदस्य	02
बोर्ड के अधिकारी / बैंकर्स / लेखा–परीक्षक	04
लक्ष्य एवं उद्देश्य	05
अध्याय 1	06
संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य	
अध्याय 2	11
वित्तीय सहायता : तेल एवं गैस कंपनियों को ऋण	
अध्याय 3	26
वित्तीय सहायता : नियमित अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान	
अध्याय 4	55
वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान	
अध्याय 5	63
तेउविबो का उर्जा सुरक्षा में योगदान	
अध्याय 6	67
अन्य पहल / गतिविधियां	
अध्याय 7	74
तेउविबो के वार्षिक लेखे 2020–21	
अध्याय 8	100
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट	
अध्याय 9	110
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखें	
अध्याय 10	171
परिशिष्ट	

बोर्ड के सदस्य
(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

अध्यक्ष

डा. एम. एम. कुट्टी
सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(30.04.2020 तक)

श्री तरुण कपूर
सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(01.05.2020 से आगे)

सदस्य

श्री पी राघवेन्द्र राव
सचिव,
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
(31.05.2020 तक)

श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी
सचिव,
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
(01.06.2020 से आगे)

श्री राजीव रंजन
अपर सचिव,
व्यय विभाग
(20.11.2020 से आगे)

श्री राजेश अग्रवाल
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री अमर नाथ
अपर सचिव (अंवेषण)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री एस.सी.एल.दास,
महानिदेशक,
हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय

बोर्ड के सदस्य
(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

अध्यक्ष

डा. एम. एम. कुट्टी
सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(30.04.2020 तक)

श्री तरुण कपूर
सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(01.05.2020 से आगे)

सदस्य

श्री पी राघवेन्द्र राव
सचिव,
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
(31.05.2020 तक)

श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी
सचिव,
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
(01.06.2020 से आगे)

श्री राजीव रंजन
अपर सचिव,
व्यय विभाग
(20.11.2020 से आगे)

श्री राजेश अग्रवाल
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री अमर नाथ
अपर सचिव (अंवेषण)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री एस.सी.एल.दास,
महानिदेशक,
हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय

श्री संजीव सिंह
अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
(30.06.2020 तक)

श्री श्रीकान्त माधव वैद्य
अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
(01.07.2020 से आगे)

श्री मनोज जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
गेल (इंडिया) लिमिटेड

श्री शशि शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री डी. राजकुमार,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(31.08.2020 तक)

श्री एम. के. सुराणा,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

डॉ0 एसएसवी रामकुमार,
निदेशक (अनुसंधान एवं विकास)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

श्री प्रवेन्द्र कुमार
महा सचिव,
श्रमिक विकास परिषद,
इंडियन ऑयल बरौनी रिफाईनरी
(19.01.2021 तक)

श्री प्रमोद राम
महा सचिव,
श्रमिक विकास परिषद,
इंडियन ऑयल बरौनी रिफाईनरी
(20.01.2021 से आगे)

सदस्य सचिव

डॉ. निरंजन कुमार सिंह,
सचिव,
तेल उद्योग विकास बोर्ड

बोर्ड के अधिकारी / बैंकर्स / लेखा–परीक्षक

(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

सचिव	डॉ. निरंजन कुमार सिंह
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	श्री गौतम सेन
बैंकर्स	i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ii) पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स) iii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में कार्पोरेशन बैंक) iv) इंडियन ओवरसीज बैंक
लेखा–परीक्षक	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
बोर्ड का पंजीकृत कार्यालय	तेल उद्योग विकास बोर्ड, 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नई दिल्ली– 110 001
सचिवालय	तेल उद्योग विकास बोर्ड, ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं0.2, तीसरा तल, सैक्टर–73, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष सं0	+91-0120-2594602 +91-0120-2594603
फैक्स	+91-0120-2594630
ई–मेल	facao.oidb@nic.in
वेब साइट	www.oidb.gov.in

बोर्ड के अधिकारी / बैंकर्स / लेखा–परीक्षक

(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

सचिव	डॉ. निरंजन कुमार सिंह
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	श्री गौतम सेन
बैंकर्स	i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ii) पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स) iii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में कार्पोरेशन बैंक) iv) इंडियन ओवरसीज बैंक
लेखा–परीक्षक	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
बोर्ड का पंजीकृत कार्यालय	तेल उद्योग विकास बोर्ड, 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नई दिल्ली– 110 001
सचिवालय	तेल उद्योग विकास बोर्ड, ओआईडीबी भवन, प्लॉट नं0.2, तीसरा तल, सैक्टर–73, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश
दूरभाष सं0	+91-0120-2594602 +91-0120-2594603
फैक्स	+91-0120-2594630
ई–मेल	facao.oidb@nic.in
वेब साइट	www.oidb.gov.in

लक्ष्य एवं उद्देश्य

- तेल उद्योग विकास निधि का प्रबन्धन।
- तेल उद्योग के विकास के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देना।
- निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुदान एवं ऋण और इक्विटी निवेश में सहायता देना :–
  - भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;
  - कच्चे तेल के उत्पादन, संचालन, भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;
  - पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन,
  - पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;
  - वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधानों, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;
  - तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;
  - तेल उद्योग में लगे या तेल उद्योग में लगने वाले किसी भी क्षेत्र के अन्य कामों में लगे कर्मियों को भारत में या विदेशों में प्रशिक्षण तथा अन्य विहित उपायों के लिए।

अध्याय-01

संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य

1. प्रस्तावना

1.1 कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादो की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वर्ष 1973 की शुरूआत से हो रही निरंतर और तीव्र वृद्धि के पश्चात, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित औद्योगिक कच्चे माल की आवश्यकता से संबंधित प्रगामी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के बढ़ते महत्व को अनुभव करते हुए तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 को अधिनियमित किया गया था । तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल किए गए थे :

- पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल से संबंधित आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जाए।
- इस प्रकार के कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ तेल उद्योग विकास निधि के सृजन हेतु कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर वसूल किया जाना चाहिए।
- इस निधि का उपयोग विशिष्ट रूप से तेल उद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रमों में संलग्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

1.2. इस अधिनियम का उद्देश्य तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना करना और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क लगाने और उनसे संबंधित मामलों से है।

2. संगठनात्मक व्यवस्था और बोर्ड के कार्य

2.1 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना दिनांक 13 जनवरी 1975 को की गई और यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। बोर्ड का अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :–

(I) अधिकतम तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम एवं रसायन से संबंधित मंत्रालय या मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे:

(II) दो सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के वित्त से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे।

(III) अधिकतम पांच सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, उन निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन ऐसे निगम है जो तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे हुए हैं।

(IV) दो सदस्य, जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिन्हें, सरकार की राय में, तेल उद्योगों की विशेष जानकारी का अनुभव है और दूसरा सरकार द्वारा, तेल उद्योग में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(V) बोर्ड का सचिव, पदेन सदस्य होगा।

2.2 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए, जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हो, वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए की गई। तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 के अनुसार, बोर्ड निम्न उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान कर सकता है :

क) भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;

ख) कच्चे तेल के उत्पादन, संचालन, भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;

ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;

घ) पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;

ङ) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;

च) तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;

छ) भारत में या विदेश में तेल उद्योग कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए।

2.3 कोई भी तेल संबंधी औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा अन्य व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश के तेल उद्योग से संबद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलग्न है, वह बोर्ड से वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का पात्र है ।

2.4 तेल उद्योग विकास अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए भी बोर्ड कर्तव्यबद्ध है ।

3. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था

3.1 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 में स्वदेशी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर की वसूली का प्रावधान किया गया हैं। सरकार द्वारा 'भारत में उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल' (तत्संबंधी महाद्वीपीय सीमा सहित) पर निम्न दरों पर उत्पाद शुल्क के रूप में समय–समय पर लागू की गई / संशोधित की गई।

तिथि से प्रभावी	दर, प्रति टन
23 जुलाई, 1974	60 रुपए
13 जुलाई, 1981	100 रुपए
15 फरवरी, 1983	300 रुपए
1 मार्च, 1987	600 रुपए
1 फरवरी, 1989	900 रुपए
1 मार्च, 2002	1800 रुपए
1 मार्च, 2006	2500 रुपए
17 मार्च, 2012	4500 रुपए
1 मार्च, 2016	20% यथा मूल्य

स्रोत : वित्त मंत्रालय

3.2 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, उत्पाद–शुल्क की एकत्रित की गई आय को प्रथमतः भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। संसद द्वारा इस संदर्भ में किए गए समायोजनों के अनुसार यदि प्रावधान किए जाते हैं, तो केन्द्र सरकार इन प्राप्तियों में से संग्रहण कार्य पर हुए व्यय को घटाने के पश्चात, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उचित मानते हुए विशिष्ट रूप से उपयोग किए जाने के लिए उस धनराशि का समय समय पर बोर्ड को भुगतान कर सकती है।

3.3 अधिनियम की धारा 17 के तहत, केन्द्रीय सरकार, अनुदान अथवा ऋण के रूप में बोर्ड को ऐसी धनराशि का भुगतान भी कर सकती है, जिसका संसद द्वारा इस संदर्भ में यथोचित समायोजनों के अनुसार प्रावधान किया गया हो।

4 तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त निधियां

4.1 तेउविबो द्वारा विभिन्न तेल क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए ऋण तथा अतिरेक निधियों का सावधि जमा आय के रूप में अल्पकालीन निवेश करते हुए अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों का सृजन भी किया जाता है। उपकर आय और तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा आंतरिक संसाधनों से उत्पन्न योगदान से दिनांक 31 मार्च 2021 तक तेल उद्योग विकास कोश में 11,900.09 करोड़ रुपए संचित हो गए हैं ।

4.2 एकत्रित उपकर की संचय राशि 1974–75 में रुपये 30.82 करोड़ रुपये से बढ़कर दिनांक 31 मार्च 2021 तक अनुमानतः 2,35,051.07 करोड़ रुपए हो गई है, जिसमें से तेउविबो को वर्ष 1991–92 तक 902.40 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। उसके पश्चात् उपकर संग्रह में से तेउविबो को कोई राशि आवंटित नहीं की गई। 1974–75 से सरकार द्वारा कच्चे तेल पर एकत्रित उपकर और तेउविबो को दिए गए उपकर का वर्ष वार विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है।

आरम्भ से 31–03–2021 तक केन्द्र सरकार द्वारा एकत्रित उपकर एवं तेउविबो को आवंटित की गई धन राशि का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	सरकार द्वारा कच्चे तेल पर संग्रह	सरकार द्वारा तेउविबो को किया गया भुगतान
1	1974-75	30.82	16.01
2	1975-76	50.05	62.27
3	1976-77	52.88	48.19
4	1977-78	63.72	50.10
5	1978-79	68.89	20.00
6	1979-80	69.70	140.00
7	1980-81	60.40	25.01
8	1981-82	138.97	142.92
9	1982-83	268.83	100.00
10	1983-84	812.80	-
11	1984-85	850.12	-
12	1985-86	897.66	-
13	1986-87	981.50	-
14	1987-88	1806.60	-
15	1988-89	2013.64	63.09
16	1989-90	2914.57	50.00
17	1990-91	2785.15	89.81
18	1991-92	2500.64	95.00

19	1992-93	2207.61	-
20	1993-94	2175.46	-
21	1994-95	2566.16	-
22	1995-96	2819.52	-
23	1996-97	2558.03	-
24	1997-98	2528.74	-
25	1998-99	2448.18	-
26	1999-00	2589.44	-
27	2000-01	2582.21	-
28	2001-02	2722.79	-
29	2002-03	4873.17	-
30	2003-04	4919.49	-
31	2004-05	5033.97	-
32	2005-06	4857.58	-
33	2006-07	6875.53	-
34	2007-08	6854.00	-
35	2008-09	6680.94	-
36	2009-10	6637.13	-
37	2010-11	7671.44	-
38	2011-12	8065.46	-
39	2012-13	14,473.16	-
40	2013-14	14,542.38	-
41	2014-15	14,677.24	
42	2015-16	14,468.94	
43	2016-17	12,778.20	
44	2017-18	14,246.20	
45	2018-19	18,556.09	
46	2019-20	15,800.92	
47	2020-21	11,474.15	
	कुल	**235,051.07**	**902.40**

टिप्पणी: तेल उद्योग विकास बोर्ड में प्राप्त उपकर से संबंधित आंकड़े ओएनजीसी, ओआईएल और डीजीएच द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं

तेल उद्योग विकास बोर्ड
तेउविबो OIDB

अध्याय-02

वित्तीय सहायता : तेल एवं गैस कंपनियों को ऋण

1 तेउविबो अपने गठन के वर्ष 1974–75 से ही तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों को ऋण प्रदान कर रहा है। ऋण निधि का मुख्य उपयोग गैस और तेल पाइपलाइन परियोजनाओं, नई रिफाइनरियों के स्थापना, मौजूदा रिफाइनरियों के गुणवत्ता उन्नयन, सिंगल प्वाइंट मूरिंग परियोजनाओं, बाहरी गैस वितरण और गैस क्रेकिंग आदि परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।

2. तेउविबो द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक वितरित ऋण का विवरण नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:–

रुपये/करोड़ में

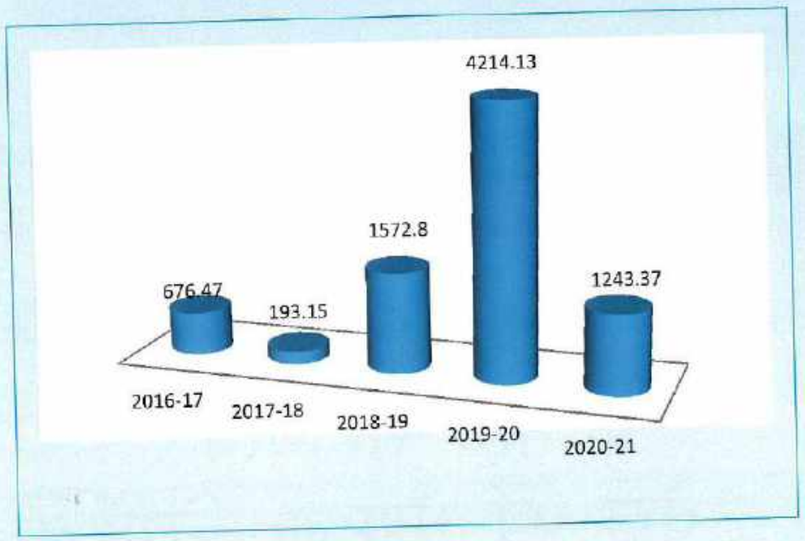

3. तेउविबो द्वारा वितरित ऋण से पिछले पांच वर्षों में तेल क्षेत्र की वित्तपोषित परियोजनाओं का कंपनी वार विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

रुपये/करोड़ में

क्र. सं.	तेल संस्थानों के नाम	वित्तीय वर्ष					
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	5 वर्षों का कुल योग
1	आईओसीएल	0.00	0.00	0.00	150.00	437.00	587.00
2	बीपीसीएल	346.00	0.00	500.00	328.25	0.00	1174.25
3	गेल (इंडिया) लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	850.00	150.00	1000.00
4	एचपीसीएल	0.00	0.00	600.00	2300.00	100.00	3000.00
5	बीसीपीएल	243.12	157.58	46.37	0.00	96.69	543.76
6	एमआरपीएल	0.00	0.00	268.00	271.00	55.25	594.25
7	गेल गैस लिमिटेड	87.35	35.57	36.66	0.00	204.43	364.01
8	सीपीसीएल	0.00	0.00	50.00	300.00	200.00	550.00
9	बीको लॉरी लिमिटेड	0.00	0.00	71.77	14.88	0.00	86.65
	कुल	**676.47**	**193.15**	**1572.80**	**4214.13**	**1243.37**	**7899.92**

4. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), ब्रह्मपुत्र क्रेकर पोलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल), गेल (इंडिया) लिमिटेड, गेल गैस लिमिटेड, मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) और चैन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक की अवधि में तेउविबो से ऋण प्राप्त करने वाले मुख्य लाभार्थी हैं। नीचे ग्राफ में वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान वितरित ऋण का संगठनवार विवरण दिया गया है।

प्रतिशत में ऋणों का संवितरण

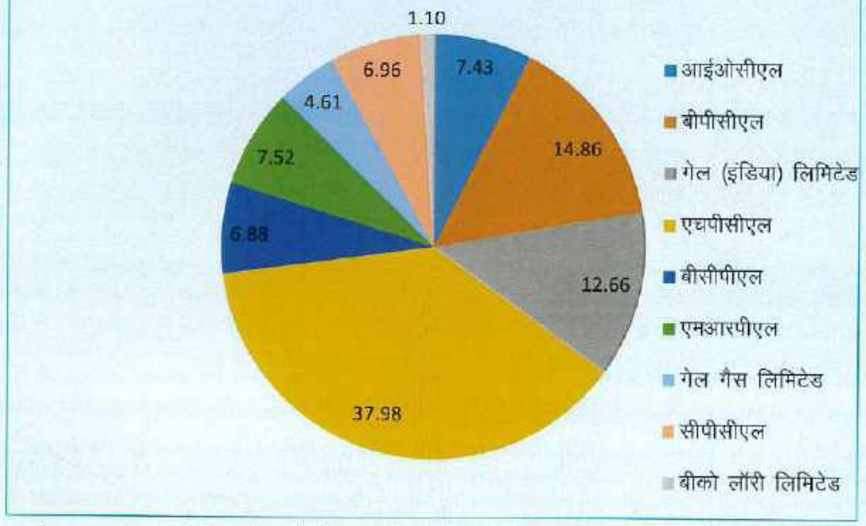

5. 31 मार्च 2021 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल एवं गैस कंपनियों के पास 7621.09 करोड रुपये का बकाया ऋण है। जिसका संगठन वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

(रुपये करोड़ में)

क्र. स.	तेल एवं गैस संस्थानों के नाम	राशि (रुपए करोड़ में)
1	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2850.00
2	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	789.75
3	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर लिमिटेड	893.21
4	गेल (इंडिया) लिमिटेड	1000.00
5	मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड	527.25
6	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	537.50
7	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	587.00
8	गेल गैस लिमिटेड	337.73
9	बीको लॉरी लिमिटेड	98.65
	कुल	**7621.09**

6. वर्ष 2020–21 के दौरान दिए गए ऋणों का विवरण

(रुपये करोड में)

क्र. सं.	तेल संस्थानों के नाम	राशि
1	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	100.00
2	गेल (इंडिया) लिमिटेड	150.00
3	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	200.00
4	मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड	55.25
5	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	437.00
6	गेल गैस लिमिटेड	204.43
7	ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	96.69
	कुल योग	**1243.37**

7.0 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनांए

7.1 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम वाली महारत्न कंपनी है जो पेट्रोलियम ईंधन और विशिष्टताओं की एक विस्तृत विविधता का उत्पादन करने वाली दो प्रमुख रिफाइनरियों का स्वामित्व है और इनका प्रचालन करती है। जिसमें एक मुंबई (पश्चिम तट) में 7.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) क्षमता सहित और दूसरी विशाखापत्तनम (पूर्व तट) में 8.3 एमएमटीपीए की क्षमता के साथ विद्यमान है। कंपनी के पास मुंबई रिफाइनरी में 428 टीएमटी की क्षमता वाली अंतरराष्ट्रीय मानकों के ल्यूब बेस ऑयल्स का उत्पादन करने वाली देश की सबसे बडी ल्यूब रिफाइनरी का स्वामित्व भी है और इसका प्रचालन भी करती है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विशाख रिफाइनरी के विस्तार परियोजना (वीआरएमपी) और मुंबई रिफाइनरी के विस्तार परियोजना (एमआरईपी) के भाग वित्तपोषण कार्यान्वयन के लिए 2900 करोड रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है जिसमें से वर्ष 2020–21 के दौरान 100 करोड़ रुपये की राशि ली गई थी। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से रिफाइनरियों की क्षमता 15.8 से बढ़कर 24.5 एमएमटीपीए (विशाख रिफाइनरी: 8.3 से 15.0; मुंबई रिफाइनरी: 7.5 से 9.5) हो जाएगी। इस परियोजना के भाग के रूप में, दोनों रिफाइनरियां से बीएस–VI ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एमएस/एचएसडी उपाय / उन्नयन सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप, एमएस और एचएसडी की सल्फर मात्रा में 80 प्रतिशत तक की कमी आई है और यह 50 से 10 तक पीपीएमडब्ल्यू हो गया है। जिससे बाजार में अल्ट्रा–लो सल्फर वाले स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति संभव हुई है। इसके अलावा, विशाख रिफाइनरी कम मूल्य वाले फ्यूल ऑयल स्ट्रीम और एक हाइड्रोकार्बन यूनिट को अपग्रेड करने के लिए अवशेष उन्नयन सुविधा (रेसिडू अपग्रेडेशन फैसिलिटी) को लागू कर रही है।

परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना (वीआरएमपी)

विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना (वीआरएमपी) नई अवशेष उन्नयन सुविधा (आरयूएफ), एक नई हाइड्रोक्रेकर यूनिट (एचसीयू) और एक नई आइसोमेरेशन यूनिट और संबद्ध सुविधाओं के साथ 9.0 एमएमटीपीए क्षमता वाली एक नई क्रूड यूनिट लगाने पर विचार कर रही है।

मौजूदा एमएस ट्रीटमेंट/अपग्रेडेशन और एचएसडी ट्रीटमेंट सुविधाओं के नवीकरण को सफलतापूर्वक पूरा कर इसे

विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना सीडीयू का संपूर्ण दृश्य

आरंभ किया गया है। इन यूनिटों ने वर्तमान रिफाइनरी क्षमता से बीएस VI एमएस एवं एचएसडी उत्पादों का उत्पादन शुरू कर दिया है।

विशाख रिफाइनरी में अवशेष उन्नयन सुविधा स्थापित की जा रही है, जो रिफाइनरी को जीरो फ्यूल ऑयल रिफाइनरी बनने में सक्षम करेगा और अधिशेष कम मूल्य वाले उच्च सल्फर ईंधन तेल घटकों को उच्च मूल्य के डिस्टिलेट में अपग्रेड करेगा। एलसी मैक्स रिएक्टर साइट पर पहुंच गए हैं और इस परियोजना का वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही तक यांत्रिक रूप से पूर्ण होने की उम्मीद है।

पूर्ण रूपांतरित हाइड्रोक्रैकर (एफसीएचसीयू), जो वीजीओ को हल्के और मध्य आसवन में परिवर्तित करता है, बीएस–VI गुणवत्ता वाले डीजल और उपचारित गुणवत्ता के अन्य सभी उत्पादों का उत्पादन करने में भी सक्षम है। इस यूनिट का यांत्रिक समापन वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही तक है।

वीआरएमपी विभिन्न पर्यावरणीय सुविधाएं जैसे सौर वाटर स्ट्रिपिंग यूनिट्स (एसडब्ल्यूएसयू), एमाइन रीजनरेशन यूनिट्स (एआरयू), सल्फर रिकवरी यूनिट्स (एसआरयू), फ्यूल गैस एमाइन ट्रीटमेंट यूनिट्स (एफजीएटीयू), इंटीग्रेटेड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (आईईटीपी) आदि पर काम कर रहा है। यूनिट निर्माणाधीन हैं और यांत्रिक रूप से वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में पूर्ण होने की उम्मीद है।

मुंबई रिफाइनरी विस्तार परियोजना (एमआरईपी)

एमआरईपी परियोजना द्वारा एक मौजूदा क्रूड इकाई की क्षमता 4.0 से 6.0 एमएमटीपीए बढ़ाना है। ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन इकाइयों का एकीकरण भी किया जा रहा है। परियोजना के हिस्से के रूप में, बीएस–VI एमएस और एचएसडी के उत्पादन के लिए एमएस ट्रीटमेंट/अपग्रेडेशन और एचएसडी ट्रीटमेंट सुविधाओं का पुनरुद्धार करना है। यूनिटों का सुधार यांत्रिक रूप से पूर्ण कर लिया गया है और पूर्व–कमीशनिंग गतिविधियां प्रगति पर हैं।

बढ़ी हुई हाइड्रोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक नई हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट लगाई जा रही है। यूनिट यांत्रिक रूप से पूर्ण हो चुकी है और पूर्व–कमीशनिंग गतिविधियां प्रगति पर हैं। रिफाइनरी क्रूड प्रोसेसिंग क्षमता, इस परियोजना के कार्यान्वयन के बाद 7.5 से 9.5 एमएमटीपीए तक हो जाएगी।

12.6 टीपीडी के मौजूदा मानदंडों के अन्दर SO2 उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

मुंबई रिफाइनरी विस्तार परियोजना

7.2 गेल (इंडिया) लिमिटेड

गेल (इंडिया) लिमिटेड एक "महारत्न" कंपनी है और भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण कंपनी है, जिसका 12400 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क है। कंपनी ने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम व्यवसायों में विविधता लायी है और पॉवर, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पुनः–गैसीकरण, शहर गैस वितरण (सीजीडी) तथा अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) में अपनी उपस्थिति बढ़ायी है।

गेल ने सामान्यतः देश के आर्थिक विकास में और विशेष रूप से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास द्वारा पॉवर और उर्वरक क्षेत्र मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गेल द्वारा बिछायी गई गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों को वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन के रूप में एक विकल्प प्रदान करने के अलावा गैस बाजार के विकास में इसके प्रयासों ने भी गैस भंडार के मुद्रीकरण और गैस के पूर्व की अपेक्षा फ्लेयरिंग में कमी लाने में सहायता की है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने, कंपनी को बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन सहित जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) परियोजना के वित्तपोषण के लिए 1000 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है तथा गेल (इंडिया) परियोजना के वित्त पोषण के लिए वर्ष 2019–20 में रुपये 850 करोड़ की ऋण सहायता तथा वर्ष 2020–21 में शेष राशि रुपये 150 करोड़ रुपये प्राप्त कर चुका है। परियोजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

प्रधानमंत्री उर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना

जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल), जो "प्रधानमंत्री उर्जा गंगा परियोजना" के रूप में विख्यात है और इसे बरौनी से गुवाहाटी (बीजीपीएल) (सिलिगुड़ी और बोंगाईगांव) तक आगे बढाया जा रहा है, इसे भारत सरकार की नेशनल गैस ग्रिड की संकल्पना के 15,000 किलोमीटर हिस्से के रूप में निष्पादित किया जा रहा है। यह परियोजना पूर्वी भारत अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम राज्य में औद्योगिक /घरेलू/परिवहन क्षेत्रों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी और इन राज्यों तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र को मौजूदा राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। गेल (इंडिया) लिमिटेड, एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पेट्रोलियम एवं

प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में रू.15,520 करोड़ रुपये के निवेश से 2655 कि.मी. लंबी जेएचबीडीपीएल परियोजना और 729 कि.मी. लंबी बीजीपीएल परियोजना का निष्पादन कर रही है जिसमें भारत सरकार से रु.5176 करोड़ रुपए का पूंजीगत अनुदान शामिल है और यह परियोजना दिसम्बर 2021 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

यह पाइपलाइन गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी में उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति करेगी। इस पाइपलाइन नेटवर्क की क्षमता 16 एमएमएससीएमडी है। वास्तविक प्रगति परिकल्पित अनुसूची के अनुरूप है। यह ट्रंक पाइपलाइन निवेश विभिन्न निवेशकों द्वारा निकट भविष्य में सिटी गैस वितरण, एलएनजी टर्मिनल, उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार आदि में बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से व्यापक निवेश को गति प्रदान कर सकता है। वर्तमान में झारखण्ड के हजारी बाग, बोकारो और धनबाद और पश्चिम बंगाल के पुरूलिया, आसनसोल और दुर्गापुर में सीएनजी और पीएनजी गैस की आपूर्ति आरंभ हो गई है।

पाइपलाइन प्रणाली का निर्माण चरणों में प्रगति पर है। इसमें से फूलपुर (यूपी) से डोभी (बिहार) से बरौनी (बिहार) तक 1109 किलोमीटर का लंबा पाइपलाइन खंड का कार्य पूरा किया गया है। वाराणसी, पटना और गोरखपुर (750 किलोमीटर) स्पर लाइन के साथ तथा डोभी–दुर्गापुर मैट्रिक्स, दुर्गापुर और हल्दि, सिन्दरी (359 किलोमीटर) स्पर लाइन के साथ पूर्ण हो चुका है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 07.02.2021 को धोबी–दुर्गापुर का 350 किलोमीटर खण्ड मैट्रिक्स उर्वरक तक स्पर लाइन राष्ट्र को समर्पित किया। शेष खंडों के लिए कार्य प्रगति पर है।

7.3 चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल), जिसे पूर्व में मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड (एमआरएल) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना 1965 में 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की स्थापित क्षमता के साथ की गई थी। वर्तमान में, सीपीसीएल के पास 12.1 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की संयुक्त शोधन क्षमता वाली दो रिफाइनरियाँ हैं। मनाली रिफाइनरी की क्षमता 11.1 एमएमटीपीए है और यह भारत में ईंधन, ल्यूब, वैक्स और पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक उत्पादन सुविधाओं वाली सबसे मिश्रित रिफाइनरी में से एक है। कंपनी ने हाल ही में रुपये 3110 करोड़ के पूंजी परिव्यय से आरईएसआईडी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जो कि भारी अपरिष्कृत को संसाधित करने की क्षमता बढ़ाने के अलावा तलछट से उच्च मूल्य के मध्य आसवनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए

डिजाइन किया गया है। सीपीसीएल की दूसरी रिफाइनरी कावेरी बेसिन (सीबीआर) में नागपट्टीनम में स्थित है। इस यूनिट को 1993 में 0.5 एमएमटीपीए की क्षमता के साथ स्थापित किया गया था जिसे बाद में बढ़ाकर 1.0 एमएमटीपीए, कर दिया गया।

ओआईडीबी ने बीएस VI ऑटो ईंधन परियोजना के लिए चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) को 450 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है। जिसमें से ओआईडीबी ने सीपीसीएल को उक्त परियोजनाओं के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान 250 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2020–21 के दौरान, 200 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की। परियोजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

बीएस VI ऑटो ईंधन परियोजना

7.3.1 ईंधन गुणवत्ता उन्नयन के रुप में, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) ने निम्नलिखित इकाईयों को चालू किया।

क. **गैसोलीन डिसल्फराइजेशन (जीडीएस) यूनिट 0.6 एमएमटीपीए**:– 13 जनवरी, 2021 को इस इकाई को सफलतापूर्वक चालू किया गया। गैसोलीन डिसल्फराइजेशन यूनिट को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 फरवरी, 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया।

ख. **डिमाउंटेबल फ्लेयर** :– यूनिट को यांत्रिक रूप से 10 मार्च, 2021 को पूरा कर लिया गया। 26 मार्च, 2021 को पॉयलट बर्नर से इसे सफलतापूर्वक प्रज्जवलित किया गया।

ग. **नवीन सल्फर रिकवरी ब्लॉक** :– पाइप बिछाने और उपकरण निर्माण और उसमें संबंधित ईकाइयों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इकाई का वर्ष 2021–22 की द्वितीय तिमाही में यांत्रिक रुप से पूरा होने की उम्मीद है। ईंधन गुणवत्ता उन्नयन परियोजना की अनुमति लागत 1858 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2021 तक परियोजना 97.2 प्रतिशत (भौतिक प्रगति) तक पूरी हो गई है।

घ. **पुनः गैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस परियोजना (आरएलएनजी)**

सोईपीआई सूचकांक को कम करने की दिशा में, सीपीसीएल आंतरिक ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस/पुनः गैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) पर मुड़ रहा है। इस परियोजना के हिस्से के रुप में रिफाइनरी–III के एक एचजीयू संयंत्र की फर्नेस में आरएलएनजी रूपांतरण 19 मार्च, 2019 को लागू किया गया था। 6 बॉयलरों में से 4 तथा 5 गैस टर्बाइनों में से 4 इस वर्ष के दौरान पूरे किए जा चुके हैं। लंबित एचजीयू संयंत्र का संशोधन वित्त वर्ष 2020–21 की अंतिम तिमाही के दौरान आगामी एम एंड आई शटडाउन के दौरान निर्धारित है। मैसर्स टैकनिप इस इकाई का प्रोसेस लाइसेंसकर्ता है और इस परियोजना की कुल लागत 421 करोड़ रुपये है।

वित्त वर्ष 2020–21 में, निम्नलिखित इकाईयों को ईंधन के रूप में आरएलएनजी के उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया था।

- जीटी–01 – 10 जुलाई 20 को चालू किया गया
- बॉयलर–03 – 19 अगस्त 20 को चालू किया गया
- जीटी–05 – 17 दिसम्बर 20 को चालू किया गया

बॉयलर–04 और 05 और एचजीयू–205 के लिए शेष परिवर्तन सुविधाएं 2021–22 की दूसरी तिमाही तक चरणबद्ध तरीके से पूरी होने की संभावना है। 31 मार्च, 2021 तक परियोजना की वास्तविक प्रगति 87.6 प्रतिशत है।

रिसीविंग स्टोन

7.4 मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड

मैंग्लोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) श्रेणी 'ए' की एक मिनीरत्न कंपनी है। एमआरपीएल को 1987 में एचपीसीएल और आदित्य बिड़ला समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था।

3.69 एमएमटीपीए का पहला चरण 1996 में शुरू किया गया था। 1999 में, एमआरपीएल ने दूसरा चरण शुरू किया और शोधन क्षमता को 9.69 एमएमटीपीए तक बढ़ा दिया। रिफाइनरी का पिछली बार विस्तार वर्ष 2015 में किया गया जब अंतिम यूनिटों में से एक (पॉलीप्रॉपीलीन) यूनिट को चालू किया गया। इस समय मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की संस्थापित क्षमता 15 एमएमटीपीए हैं। वर्ष 2003 में, ओएनजीसी ने आदित्य बिड़ला ग्रुप के शेयरों का अधिग्रहण कर लिया तथा तत्पश्चात इसकी शेयरहोल्डिंग 71.63 प्रतिशत तक बढ़ गई। एचपीसीएल 16.95 प्रतिशत का शेयरधारक है तथा शेष सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (संस्थानों तथा गैर संस्थानों) की है। कंपनी को वर्ष 2005 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में शामिल किया गया था। तथा जुलाई 2013 में श्रेणी 'ए' की कंपनी के रूप में अपग्रेड किया गया।

एमआरपीएल देश की कुल शोधन क्षमता में 6 प्रतिशत का योगदान करती है। 10 के समीप नेल्सन जटिलता कारक के साथ रिफाइनरी विन्यास काफी जटिल है। रिफाइनरी की क्षमता ऐसी है कि वह 20 एपीआई से 45 एपीआई तक के व्यापक श्रेणी के कच्चे तेल का बेहतर ढंग से प्रसंस्करण कर सकती है। एमआरपीएल ने दुनिया भर से 80 से अधिक विभिन्न प्रकार के क्रूडों को संसाधित किया है। क्रूड, खाड़ी, एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूएसए और रूस से हासिल किए जाते रहे हैं। रिफाइनरी का बुनियादी ढांचा बेहद मजबूत है। समर्पित कच्चे जल की ग्रहण सुविधा, तटवर्ती टर्मिनल में कैप्टिव जेट्टी, सिंगल पाइंट मूरिंग सुविधा तथा पेट्ट कोक खाली करने के लिए रेलवे साइडिंग के सहारे भरोसेमंद तरीके से संचालन में मददगार है।

एमआरपीएल, पर्याप्त मात्रा में एलपीजी, मोटर स्पिरिट, विमानन टर्बाइन ईंधन और हाई स्पीड डीजल का उत्पादन करता है। रिफाइनरी ने अक्तूबर 2019 से बीएस–VI ग्रेड वाले ईंधन का उत्पादन करना शुरु किया। रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में, अत्यधिक उग्र द्रवीकृत उत्प्रेरकी क्रैकिंग यूनिट है जिसमें अधिक मूल्यवान पॉलिमर ग्रेड के प्रॉपीलीन का उत्पादन किया जाता है। एमआरपीएल ने दक्षिण भारत में पॉलीप्रॉपीलीन का उत्पादन करने वाली पहली यूनिट को सस्थापित किया है। नीचे दी गई तालिका में एमआरपीएल का उत्पादन स्लेट दर्शाया गया है:

❖ एलपीजी	❖ ईंधन तेल
❖ नैफ्था	❖ बिटूमेन
❖ एमएस (बीएस–VI)	❖ वीजी 10, वीजी 30, वीजी 40
❖ ज़ाइलॉल	❖ गंधक (99.9 प्रतिशत शुद्धता)
❖ एटीएफ / एसकेओ	❖ पेट्ट–कोक
❖ एचएसडी (बीएस–VI)	❖ पॉलीप्रॉपलीन

वर्ष 2020–21 में प्रचालन से कंपनी को राजस्व रुपये 32,182 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ और निवल मूल्यवत्ता रुपये 7528 करोड़ रही है।

बीएस–VI परियोजना

बीएस–VI परियोजना में नई एफसीसी गैसोलीन उपचार यूनिट (एफजीटीयू), गंधक रिकवरी यूनिट और अन्य जैसे नाइट्रोजन उपयोगिताएं और ऑफसाइट आदि की अतिरिक्त सुविधाएं हैं। एफसीसी गैसोलीन यूनिट को यांत्रिक रुप से पूरा करके चालू कर लिया। अन्य सुविधाएं समापन के अंतिम चरण में हैं।

एमआरपीएल के मामले में बीएस–VI में रूपांतरण के लिए कुल अनुमानित लागत रु.1,810 करोड़ रुपये है। कुल परियोजना लागत में से 25 प्रतिशत (रुपये 452 करोड़) की पूर्ति, तेल उद्योग विकास बोर्ड की ऋण सहायता के द्वारा किया जायेगा। तेल उद्योग विकास बोर्ड वित्त वर्ष 2018–19 के लिए पहले ही 268 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2019–20 के लिए 184 करोड़ रुपये प्रदान कर चुका है।

समुद्री जल विलवणन संयंत्र

नदी के जल को, जल के एकमात्र साधन के रूप में नदी जल के जोखिम को समाप्त करने के लिए जल के वैकल्पिक स्रोत के रूप में समुद्री जल विलवणन संयंत्र स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की वर्तमान क्षमता 30 एमएलडी है जो कंपनी के तत्काल एवं भावी जल की आवश्यकताएं पूरी कर पाएगी। जिसे 70 एमएलडी तक विस्तारित किया जा सकता है। जो कंपनी तात्कालिक तथा आगामी जल की आवश्यकता को पूरा करेगा। संयंत्र का यांत्रिक निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। परियोजना के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड से रुपये 142.25 करोड़ की सहायता ली गई।

एमआरपीएल की एसडब्ल्यूडीपी परियोजना

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने इस परियोजना के लिए 142.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है जिसमें से 87 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2019–20 में तथा शेष 55.25 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2020–21 में प्रदान किया जा चुका है।

7. 5 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (इंडियन ऑयल), भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक उद्यमों में से सार्वजनिक क्षेत्र, की एक महारत्न कंपनी है, और देश के प्रमुख एकीकृत और विविध ऊर्जा स्रोतों के लगभग सभी क्षेत्रों तेल, गैस, पेट्रो–रसायन, वैकल्पिक ऊर्जा में कार्यरत है।

फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 की सूची में इंडियन ऑयल को दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट्स के बीच सूचीबद्ध किया गया है, वर्ष 2021 के लिए प्रकाशित फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 की सूची के अनुसार, इंडियन ऑयल, विश्व की 212वीं सबसे बडी सार्वजनिक निगम है। इंडियन ऑयल को ब्रांड फाइनेंस, यूके द्वारा 2019 में भारत के शीर्ष 10 सबसे मजबूत ब्रांडों में भी स्थान दिया गया है।

इंडियन ऑयल के पास भारत के पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। भारत की 23 रिफाइनरियों में से 11 के संचालन द्वारा 81.20 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की संयुक्त शोधन क्षमता के साथ इंडियन ऑयल की घरेलू रिफाइनिंग क्षमता में लगभग 32 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इंडियन ऑयल की देशभर में पाइपलाइन नेटवर्क क्रूड और उत्पादों की पाइपलाइन क्षमता 15000 किलो मीटर से अधिक (लंबाई के हिसाब से) है जो देश की कुल पाइपलाइन का लगभग ~ 51 प्रतिशत है। देश भर में 55,000 से अधिक मार्केटिंग और वितरण स्पर्श–बिंदुओं के अपने नेटवर्क के साथ, इंडियन ऑयल का देश में पीओएल उत्पादों की लगभग ~ 42 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है

ओआईडीबी ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को आईओसीएल की बोंगाईगाँव (बीजीआर) में इंडमैक्स परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए 587 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है। ओआईडीबी ने परियोजना को वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी को 587 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से 150 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 437 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

इंडमेक्स (इण्डेन अधिकतम) इंडियन ऑयल की फ्लैगशिप तकनीक है, जिसे दुनिया भर में मैसर्स लूमस द्वारा लाइसेंस दिया गया है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य है–

1 काले तेल का उन्नयन करके रिफाइनरी की डिस्टिलेट यील्ड में सुधार करना।
2 काले तेल का उत्पादन शून्य होगा और आरपीसी उत्पादन में 70 टीएमटीपीए की कम हो जाएगी।
3 एलपीजी और एमएस उत्पादन में क्रमशः 200 और 320 टीएमटीपीए की वृद्धि करना। एमएस उत्पादन का बीएस VI विनिर्देशन को पूरा करना है।

परियोजना में दो लाइसेंस प्राप्त इकाइयां हैं:

1. इंडमैक्स एफसीसी इकाई:– कम मूल्य के घटकों को संसाधित कर, गैसोलीन और एलपीजी जैसे उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए,
2. आईजीएचडीएस इकाई :– इंडमैक्स गैसोलीन से सल्फर निकालने के लिए:

परियोजना के तहत भंडारण और उपयोगिताओं सहित संबद्ध ऑफसाइट सुविधाओं की भी परिकल्पना की गई है।

रिफाइनरी की लाभप्रदता के अतिरिक्त बोंगाईगांव में इंडमेक्स परियोजना हाइड्रोकार्बन विजन 2030 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर भारत के लिए आरंभ किया गया है, इसका उद्देश्य 2030 तक तेल और गैस उत्पादन को दोगुना करना है, ताकि देश की ऊर्जा अर्थव्यवस्था में हाइड्रोकार्बन हब के रूप में पूर्वोत्तर भारत को सबसे आगे स्थापित किया जा सके।

दोनों इकाइयों को 31.03.2021 तक चालू कर दिया गया है।

1. इंडमैक्स एफसीसी इकाई को 7 नवंबर 2020 को चालू किया गया था।
2. आईजीएचडीएस इकाई को 5 दिसंबर 2020 को चालू किया गया था।
3. ऑफसाइट उपयोगिताओं को चरणबद्ध रूप से चालू किया जा रहा है।
4. परियोजना की कुल प्रगति 99.72 प्रतिशत है।
5. परियोजना की कुल लागत 2582 करोड़ रुपये की तुलना में अब तक 2165.72 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है।

आईओसीएल की इंडमैक्स परियोजना

7.6 गेल गैस लिमिटेड

गेल गैस लिमिटेड, एक अग्रणी सिटी गैस वितरण कंपनी है, जो देश भर के विभिन्न शहरों में केंद्रित तरीके से सिटी गैस वितरण व्यवसाय में तेजी लाने के लिए प्रयासरत है। गेल गैस लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है और इसे मई 2008 में शहरी गैस वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गठित किया गया था। गेल गैस लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक लिमिटेड कंपनी है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) गेल गैस को देवास, रायसेन–शाजापुर–सीहोर जिले (मध्यप्रदेश), सोनीपत (हरियाणा), मेरठ, ताज ट्रेपेजियम जोन, मिर्जापुर–चंदौली–सोनभद्र (उत्तर प्रदेश), बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण जिले और दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक), देहरादून जिला (उत्तराखंड), पुरी–गंजम–नयागढ़ जिला और सुंदरगढ़–झारसुगुड़ा जिला (ओडिशा), गिरिडीह–धनबाद जिला, सरायकेला–खरसावां जिला और पश्चिमी सिंहभूम जिला (झारखंड) में सीजीडी परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्राधिकृत किया है।

इसके अलावा, गेल गैस अपने संयुक्त उद्यमों के माध्यम से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बड़ोदरा (गुजरात), हरिद्वार (उत्तराखंड), उत्तरी गोवा और असम में सिटी गैस कारोबार कर रही है। यह विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए पाइपलाइन कॉरिडोर के साथ विभिन्न औद्योगिक समूहों की पहचान भी कर रहा है।

गेल गैस लिमिटेड को कर्नाटक के बैंगलुरु ग्रामीण और शहरी जिलों के अधिकृत क्षेत्र में 18.02.2015 से 25 वर्षों के लिए सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत किया गया है। सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए अधिकृत क्षेत्र 4395 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा।

ओआईडीबी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान मैसर्स गेल गैस लिमिटेड को उनकी सिटी गैस वितरण परियोजना के लिए 204.43 करोड़ रुपये की ऋण सहायता वितरित की है।

विशिष्टता के पहले पांच वर्षों के दौरान नियमों के अनुसार पूरा किया जाने वाला न्यूनतम कार्य कार्यक्रम नीचे दिया गया है:

इंच किमी में बिछाई जाने वाली पाइपलाइन	घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या
1582.20	131156

गेल गैस लिमिटेड ने नियत तारीख के अंदर अपने 5 साल के एमडब्ल्यूपी इंच किमी के साथ घरेलू पीएनजी कनेक्शन हासिल कर लिए हैं। वर्षवार उपलब्धि इस प्रकार है।

लक्ष्य (पीएनजीआरबी के एमडब्ल्यूपी के अनुसार)	वर्ष 1 (15-16)	वर्ष 2 (16-17)	वर्ष 3 (17-18)	वर्ष 4 (18-19)	वर्ष 5 (19-20)	31.8.21 की स्थिति के अनुसार वास्तविक उपलब्धि
इंच किमी में बिछाई जाने वाली पाइपलाइन (संचयी)	316	791	1266	1424	1583	
वास्तविक उपलब्धि (इंच किमी) संचयी	347	1358	2568.12	3377.8	3816.06	**4641.754**
पीएनजी घरेलू कनेक्शन (संचयी)	0	19,673	65,578	91,809	1,31,156	
वास्तविक उपलब्धि (घरेलू पीएनजी कनेक्शन) संचयी	1004	20595	50548	97,299	150702	**2,15,299**
जीजीएल बैंगलुरु द्वारा नियत तारीख के अंदर पांच साल का एमडब्ल्यू पहले ही हासिल कर लिया गया है।						

वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान प्रगति और 31.03.2021 तक संचयी उपलब्धि निम्नानुसार है–

विवरण	यूओएम	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	वित्तीय वर्ष 2020-21
पी/एल नेटवर्क (एमडीपीई+स्टील)	इंच किमी	3816.06	4381.50	565.44
सीएनजी स्टेशन	नग	19	33	14
औद्योगिक कनेक्शन (जुड़े हुए)	नग	99	129	30
वाणिज्यिक कनेक्शन (जुड़े हुए)	नग	168	241	73
घरेलू कनेक्शन (जुड़े हुए)	नग	150701	195083	44382

7.7 ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड

असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी), ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) की ऐतिहासिक असम समझौते का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे लेपेटकटा, जिला डिब्रूगढ़ में स्थापित किया गया। इस परियोजना में एक क्रैकर इकाई, डाउनस्ट्रीम पॉलिमर इकाई, एकीकृत ऑफसाइट और उपयोगिता संयंत्र सम्मिलित हैं। परिसर में प्राकृतिक गैस और नेफ्था फीड स्टॉक के साथ 220,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) पॉलीएथिलीन तथा 60,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) की पॉलीप्रापलीन की अन्य उत्पादों के साथ क्षमता है। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली पेट्रोरसायन परिसर परियोजना है, जिसमें भारत सरकार की पूंजीगत सहायता, गेल, ओआईएल, एन.आर.एल. और असम सरकार की इक्विटी तथा ओआईडीबी और एसबीआई की ऋण सहायता शामिल है।

ओआईडीबी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान असम गैस परियोजना के लिए ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) को 96.69 करोड रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है। ओआईडीबी ने परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कुल स्वीकृत राशि 96.69 करोड रुपये का वितरण किया है। परियोजना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

संयंत्र को 02.01.2016 से चालू किया गया था और उसे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 05.02.2016 को लेपेटकाटा में एक भव्य समारोह में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस परियोजना को 9,965 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया गया।

संयंत्र, 3 वर्षों से ज्यादा समय से 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर काम कर रहा है। बीसीपीएल ने नेफ्था, ब्यूटेन–1 और प्रोपलीन की खरीद के लिए विभिन्न वैकल्पिक उपायों के माध्यम से क्षमता उपयोग को प्रभावित करने वाले फीडस्टॉक आपूर्ति से संबंधित चुनौतियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया है और संयंत्र के स्थिर और निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने में सफल रहा है।

स्थिरीकरण अवधि के दौरान शुरूआती घाटे के बाद, बीसीपीएल वित्त वर्ष 2018–19 से मुनाफा कमा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, बीसीपीएल ने रुपये 2902.63 करोड़ रुपये के संचालन राजस्व से 739.90 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। 31.03.2021 को बीसीपीएल की कुल परिसम्पत्तियां रुपये 2811.26 करोड़ है, जबकि प्रदत्त इक्विटी रुपये 1417.67 करोड़ रुपये है।

यह परियोजना उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ा पेट्रोरसायन परिसर है और बीसीपीएल के कारण एनईआर में पॉलिमर की खपत में काफी वृद्धि हुई है। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार आदि देशों के साथ भौगोलिक निकटता के कारण संयंत्र का संभावित रूप से एक प्रमुख स्थान है और पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश को पॉलिमर निर्यात कर रहा है। संयंत्र में 628 स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 2600 जनशक्ति अनुबंध के तहत पेट्रोरसायन परिसर के अंदर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में विक्रेताओं, ट्रांसपोर्टरों, आपूर्तिकर्ताओं आदि के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं। कुल मिलाकर, इस परिष्कृत संयंत्र के आसपास एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके अलावा, डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाईयों में एनईआर में महत्वपूर्ण अतिरिक्त आय सृजन करेगी। बीसीपीएल ने न केवल रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं बल्कि स्थानीय लोगों के कौशल विकास में भी योगदान दिया है जो संयंत्र के अंदर काम कर रहे हैं।

31.03.2021 तक, ओआईडीबी ने 1853.76 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया है और यह परियोजना का एक प्रमुख हितधारक है।

अध्याय-03

वित्तीय सहायता: नियमित अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान

1. अपने उद्देश्य के अनुसरण में तेल उद्योग विकास बोर्ड अनुदान के रूप में तेल क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। इन अनुदानों में पांच नियमित अनुदानग्राही संस्थानों जैसे कि – हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी), को अनुदान शामिल है।

2. नियमित अनुदानग्राही संस्थानों को अनुदान के अलावा तेउविबो तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए भी अनुदान देता है। साथ ही तेउविबो ने विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण और पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने हेतु राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) की शिवसागर, असम और जायस, रायबरेली में चल रही परियोजनाओं भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम) धनबाद में फोम असिस्टेड ऑयल वाटर नैनो–इमल्शन फॉर एन्हांस ऑयल रिकवरी प्रायोगिक और आण्विक गतिशीलता अध्ययन – तथा इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को अनुसंधान एवं विकास परियोजना " पानीपत में रिफाइनरी में रिफाइनरी ऑफ गैसों का उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन संयंत्र के लिए अनुदान दिया है।

3. अपनी स्थापना के वर्ष 1975–76 से 31.3.2021 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड ने कुल 4610.77 करोड़ रूपए का समेकित अनुदान दिया। वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 407.38 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया। जिसमें से 297.01 करोड रुपए नियमित अनुदानग्राही संस्थाओं को वितरित किया गया।

4. नियमित अनुदान ग्राही संस्थानों को पिछले पांच वर्षों में वितरित किए गए अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैं :

(रुपये करोड में)

संस्थान	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
डीजीएच	121.53	189.50	238.99	192.91	176.84	919.77
पीसीआरए	41.25	43.88	60.95	67.30	60.00	273.38
पीपीएसी	20.82	21.34	23.96	22.61	22.04	110.77
ओआईएसडी	16.06	16.39	25.98	21.65	22.88	102.96
सीएचटी	19.82	32.12	20.58	18.08	15.25	105.85
कुल	**219.48**	**303.23**	**370.46**	**322.55**	**297.01**	**1512.73**

5.1. हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) की स्थापना 1993 में सरकारी संकल्प के द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन की गई थी। डीजीएच की स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा और पेट्रोलियम कार्यकलापों के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं के बीच संतुलन कायम रखते हुए तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के सुदृढ़ प्रबंधन को बढावा देना है। डीजीएच को प्रमुख क्षेत्रों के आगार निष्पादन की समीक्षा करने सहित खोजे गए क्षेत्रों व अन्वेषण ब्लॉकों के लिए उत्पादन भागीदारी संविदाओं, अन्वेषण एवं उत्पादन संबंधी गतिविधियों में निवेश को प्रोत्साहन देने, अन्वेषण एवं उत्पादन कार्यकलापों की निगरानी से संबंधित कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इसके अलावा, डीजीएच भावी खोज और अन्वेषण के लिए नए/गैर–अन्वेषित क्षेत्र खोजने संबंधी तथा गैर–पारंपरिक हाइड्रोकार्बन ऊर्जा स्रोतों का विकास करने संबंधी कार्य कर रहा है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, तेउविबो ने डीजीएच को 176.84 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। वर्ष 2020–21 के दौरान डीजीएच द्वारा निष्पादित किए गए प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित है :–

5.1.1 हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति / ओपन एकरेज लाइसेंस कार्यक्रम (ओएएलपी) (मार्च 2016)

सरकार ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंस नीति (हेल्प) को 30 मार्च, 2016 को अधिसूचित किया तथा इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई, 2017 से ओपन एकरेज लाइसेंस नीति (ओएएलपी) और राष्ट्रीय डाटा रिपॉजिटरी (एनडीआर) की अधिसूचना के नाम से लागू किया।

हेल्प, उत्पादन भागीदारी संविदाओं (पीएससी) से राजस्व हिस्सेदारी संविदा (आरएससी) व्यवस्था में एक आदर्श बदलाव है, जो कि भविष्य के अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) के लिए नियामक व्यवस्था का पूरी तरह से काया पलट करता है, तथा नियामक बोझ को कम करके 'व्यापार करने में आसानी' के सिद्धांत को लागू करता है पारंपरिक तथा साथ ही साथ गैर पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोजों और उत्पादन के लिए एकल लाइसेंस प्रदान करने, मूल्य निर्धारण और विपणन स्वतंत्रता, अपतटीय ब्लॉकों के लिए रॉयल्टी की दर कम करता है।

ओपन एक्रेजेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम (ओएएलपी) का मतलब है कि संभावित निवेशक / कंपनियां अपनी पसंद के क्षेत्र में अन्वेषण कार्य कर वर्ष के दौरान कभी भी अभिरूचि की अभिव्यक्ति / प्रकटन (ईओआई) कर सकती हैं। ओएएलपी के अंतर्गत पांच दौरों की बोली में 110 ब्लॉकों की पेशकश की गई और 1,56,580 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाले 105 अन्वेषण ब्लॉक सफल बोलीदाताओं को आवंटित किए गए। 16 सेडिमेंटरी बेसिन में फैले हुए शेष 105 ब्लॉकों के लिए 205 बोलियां प्राप्त हुई।

31.03.2021 तक ओएएलपी बोली दौर के तहत प्रदान किए गए ब्लॉक का सारांश निम्नलिखित है:

दौर	प्रस्तुत	प्रदान	संचालन	क्षेत्र एसकेएम में
ओएएलपी बोली दौर-I	55	55	55	59,282
ओएएलपी बोली दौर-II	14	14	14	29,233
ओएएलपी बोली दौर-III	23	18	18	29,765
ओएएलपी बोली दौर-IV	7	7	7	18,510
ओएएलपी बोली दौर-V	11	11	11	19,790
कुल ओएएलपी	110	105	105	1,56,580

5.1.2 नई अन्वेषण लाइसेंस नीति का कार्यान्वयन (एनईएलपी)

अब तक, एनईएलपी के नौ चरण (राउंड) संपन्न हो चुके हैं तथा अन्वेषण और उत्पादन के लिए 254 ब्लॉक सौंपे गए हैं। 254 ब्लॉकों में से वर्तमान में 43 ब्लॉक परिचालन कर रहे हैं, 2 अन्वेषण ब्लॉकों में पीईएल (पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस) की प्रतीक्षा है और 209 ब्लॉकों को या तो छोड़ दिया गया है या छोड़ देने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, एनईएलपी के तहत कुल 4 (एक तेल तथा 3 गैस खोज) खोजों को अधिसूचित किया गया है । एनईएलपी के तहत अब तक अधिसूचित खोजों की स्थिति का पूर्वावलोकन निम्नानुसार है

खोजों की स्थिति	तेल	गैस	कुल
उत्पादन में आने वाली खोजें	32	13	45
विकासोनोमुख या उत्पादनोमुख खोजें	12	21	33
व्यावसायिकता स्थापित (डीओसी रिव्यु)	2	14	16
प्रारंभिक चरण की खोजें, दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है	4	12	16
ऑपरेटर द्वारा खोज नहीं की गई, वापिस अथवा वापिस लेने के लिए प्रस्तावित	17	49	66
कुल	67	109	176

5.1.3 उत्पादन भागीदारी संविदाओं की निगरानी:

भारत सरकार ने खोजे गए क्षेत्रों, 33 सीबीएम ब्लॉकों, एनईएलपी–पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत 28 अन्वेषण ब्लॉकों तथा एनईएलपी व्यवस्था के अंतर्गत 254 ब्लॉकों की 28 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं । डीजीएच प्रत्येक ब्लॉक / क्षेत्र के लिए स्थापित प्रबंधन समितियों के माध्यम से भारत सरकार की ओर से इन उत्पादन भागीदारी संविदाओं के प्रबंधन के निष्पादन की निगरानी करता है। इसमें वार्षिक कार्यक्रम, परियोजना निगरानी, भंडार और उत्पादन प्रोफाइल की समीक्षा और विकास योजना बजट और वार्षिक कार्यक्रम की समीक्षा और अनुमोदन भी शामिल है ।

वर्ष 2020–21 के दौरान, पीएससी व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रों / ब्लॉकों ने निम्नानुसार उत्पादन किया :

रिजिम	तेल+संघनन (एमएमटी में)	गैस–बीसीएम
प्री–एनईएलपी के खोजे गए क्षेत्र	0.82	0.404
एनईएलपी के अन्वेषण ब्लॉक्स	0.23	0.942
प्री–एनईएलपी के अन्वेषण ब्लॉक्स	6.33	2.33
सीबीएम ब्लॉक्स	0.00	0.642
कुल	**7.37**	**4.32**

5.1.4 भू–वैज्ञानिक डेटा अधिग्रहण

क. भारतीय अवसादी बेसिनों में हाइड्रोकार्बन के लिए भू–वैज्ञानिक डेटा जेनरेट करने की नीति:

भूकंपीय सर्वेक्षण एक महंगी प्रक्रिया है– विशेषत: अपतटीय क्षेत्रों में। गैर–अपवर्जक (नॉन एक्सक्लूसिव) बहु–ग्राहकीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, एक विशिष्ट व्यवसाय योजना है जिसमें सरकार पर बिना किसी वित्तीय भार के क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा सकता है । बहु–ग्राहकीय भौमिकीय डेटा अधिग्रहण नीति के अंतर्गत पश्चिमी तटीय – कच्छ, सौराष्ट्र और मुंबई बेसिनों के 310.5 एलकेएम में सी.एस.ई.एम. का डेटा प्राप्त और प्रोसेस किया गया है।

ख. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम (भूमि (ऑनलैंड) पर भारतीय अवसादी बेसिनों के "मूल्यांकित किए जाने वाले क्षेत्रों" में 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण)

सरकार ने अक्टूबर, 2016 में भारत के सभी तलछटी घाटियों में अप्रकाशित क्षेत्रों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम (एनएसपी) तैयार किया, जहां कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं था । कार्यक्रम के तहत, सरकार ने डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या (एपीआई) के लिए 48,243 लाइन किलो मीटर (एलकेएम) के लिए 2 डी भूकंपीय सर्वेक्षण आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। परियोजना की अनुमानित लागत रु. 2,932.99 करोड है और जिसके वर्ष 2021–22 तक पूरा होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के तहत 31.03.2021 तक 48,243 लाइन किलोमीटर में से 46003.55 लाइन किलोमीटर (95.36%) सतह कवरेज पर 2डी भूकंपीय डेटा का अधिग्रहण किया गया।

5.1.5 राष्ट्रीय डेटा रेपॉजिटरी (एनडीआर) :

अपस्ट्रीम तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में सफलता के लिए गुणवत्तायुक्त भूवैज्ञानिक डाटा एक महत्वपूर्ण निवेश है। यह किसी क्षेत्र विकास परियोजना की तकनीकी–व्यवसायकिता की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुणवत्तायुक्त डाटा उपलब्ध कराने हेतु डीजीएच कार्यालय नोएडा में राष्ट्रीय डाटा रिपोजिटरी के साथ–साथ भुवनेश्वर में माध्यमिक डाटा केंद्र (एसडीसी) की स्थापना की गई है।

वर्तमान स्थिति– 01.04.2021 तक राष्ट्रीय डाटा रिपोजिटरी में अब तक 281 कंपनियां एवं 875 उपयोगकर्ता पंजीकृत है।

एनडीआर में उपलब्ध आंकड़ों की मात्रा निम्नानुसार है:

- 2 डी भूकंपीय डाटा: 2.603 मिलियन लाइन कि.मी.
- 3 डी भूकंपीय डाटा: 0.879 मिलियन वर्ग कि.मी.
- भूकंपीय रिपोर्ट: 15,528 नग
- कूप लॉग डाटा: 19,317 नग
- कूप रिपोर्ट्स: 40,245 नग

5.1.6 राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी)

देश में राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित है और तकनीकी रूप से हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा समन्वित है। एनजीएचपी के तहत अब तक दो अभियान 01 और 02 पूरे कर लिए गए है। 2006 में किए गए अभियान–01 के तहत, 21 स्थलों पर 39 छिद्र ड्रिल किये गए और कृष्णा गोदावरी, महानदी और अंडमान में गैस हाइड्रेट्स की भौतिकीय उपस्थिति दर्ज की गई लेकिन उपलब्ध प्रौद्योगिकियों द्वारा उनका दोहन संभव नहीं था। अभियान–02, 2015 में आयोजित किया गया था जिसमें 25 साइटों में 42 छेद ड्रिल किए गए थे। केजी बेसिन में दो अलग–अलग गैस हाइड्रेट असर वाले रेत के जलाशय क्षेत्रों बी एंड सी की पहचान की गई थी और क्षेत्र 'ए' रेत–समृद्ध आगार प्रणाली वाले जिसमें सकेंद्रित गैस हाइड्रेट संचय की सीमित उपस्थित थी। एरिया–ई ड्रिल किए गए कूपों में फ्रैक्चर/विस्थापन और पोर–फिलिंग प्रकार के गैस हाइड्रेट के संयोजन के साथ गैस हाइड्रेट की उपस्थिति का संकेत मिलता है।

एनजीएचपी अभियान–2 के परिणाम उत्साहवर्धक हैं और आगे इसके व्यापक अध्ययनों से गैस हाइड्रेट संसाधन क्षमता, आगार के वर्गीकरण, आगार के परिसीमन और सी–फ्लोर और वेलबोर स्थिरता के लिए भू–यांत्रिक मॉडलिंग का आकलन और परीक्षण के लिए पायलट उत्पादन के लिए साइटों की पहचान करने की योजना है। केजी गहरे अपतटीय क्षेत्र 'बी और सी' गैस हाइड्रेट संचयन के एनजीएचपी अभियान–3 के तहत गैस हाइड्रेट उत्पादन परीक्षण के लिए उपयुक्त स्थल हो सकते हैं।

गैस हाइड्रेट से गैस उत्पादन की तकनीक अभी परिपक्व नहीं हुई है और दुनिया भर में अनुसंधान एवं विकास के चरण में है। एनजीएचपी अभियान–03 की योजना और निष्पादन प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने और भारत के ऑफशोर में गैस हाइड्रेट्स के दोहन की व्यावसायिकता का आकलन करने के लिए है। एनजीएचपी–02 से प्राप्त आंकड़ों के साथ मिलान और व्याख्या/विश्लेषण के आधार पर, पांच साइटों को अतिरिक्त डाटा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पाया गया है जो पायलट उत्पादन परीक्षण के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर एनजीएचपी सदस्य संगठनों की मदद से एक संभावित कार्य योजना तैयार की गई है।

एनजीएचपी के सदस्य संगठन व्यवहार्य उत्पादक प्रौद्योगिकी के विकास परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। सदस्य संगठन द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्य भारतीय अपतट में गैस हाइड्रेट पायलट का उत्पादन परीक्षण के निष्पादन के लिए संभावित संसाधन और दृढ़ रणनीति की योजना तैयार करेंगे। प्रायोगिक उत्पादन परीक्षणों के लिए रूचि के क्षेत्र/स्थलों और उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास के अनुमोदन के पश्चात् कार्य योजना लागू की जाएगी।

5.1.7 कोल बेड मीथेन (सीबीएम):

वित्त वर्ष 2020–21 तक 5 सीबीएम ब्लॉकों से सीबीएम का संचयी उत्पादन 4.4 बीसीएम है, इसमें सीबीएम झरिया ब्लॉक का प्रारंभिक जॉच उत्पादन शामिल है। वित्त वर्ष 2020–21 में गैस उत्पादन की औसत दर 1.76 एमएमएससीएमडी थी।

तेल उद्योग विकास बोर्ड
तेउविबो OIDB

वर्तमान में, 8 सीबीएम ब्लॉक सक्रिय है, जिनमें से 4 उत्पादन चरण में हैं और 4 विकास चरण में हैं। सीबीएम ब्लॉक से प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन रानीगंज (दक्षिण) ब्लॉक से वर्ष 2007 में शुरू हुआ। रानीगंज (पूर्व) ब्लॉक से जुलाई 2016, सोहागपुर (पश्चिम) से मार्च 2017 से और बोकारो से अगस्त 2019 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त झरिया ब्लॉक में परीक्षण के दौरान सीबीएम कुओं के परीक्षण के दौरान आपतित (इंसिडेंटल) सीबीएम गैस का उत्पादन हो रहा है।

देश में सीबीएम उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सीबीएम के मुद्रीकरण के लिए दिनांक 11.04.2017 को एक सीबीएम नीति अधिसूचित की गई। इस नीति के तहत सीबीएम संविदाकारों को विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान की गई। जिससे देश में सीबीएम उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके । नीति का मूल मंत्र "व्यवसाय में सुविधा" और "अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार" है जिसके अंतर्गत अन्वेषण और उत्पादन में निवेश को और अधिक बढ़ावा देने हेतु संविदा प्रावधानों में निर्विवाद ढील दी जा सके और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग प्रदान किया जा सके।

5.1.8. खोजे गए लघु क्षेत्र बोली राउंड

नामांकित और पीएसबी क्षेत्रों की अ–विमुद्रीकृत/त्याग दी गई खोजों के मुद्रीकरण के लिए लघु क्षेत्र नीति लाई गई। लघु क्षेत्र बोली नीति हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन नीति (एचईएलपी) से जुड़ी है, जो राजस्व साझाकरण मॉडल को अपनाती है जो भारतीय ई एंड पी क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के दिशा सुधार में एक कदम है। यह आकर्षक राजकोषीय शर्तों जैसे कम रॉयल्टी दरों और बिना सेस, सभी हाइड्रोकार्बन के लिए एकल लाइसेंस, मूल्य निर्धारण और विपणन स्वतंत्रता, अनुबंध की अवधि में अन्वेषण, बिना कोई ऐतिहासिक लागत और सामान्य सुविधाओं के साझाकरण के प्रावधानों के साथ निर्गत की गई है।

नीति को 14 अक्टूबर 2015 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया। इन नीति का खोजे गए लघु क्षेत्र नीति (डीसीएफ) के नाम से पुनः नामित किया गया। सरकार ने डीसीएफ नीति को भविष्य के डीसीएफ राउंड के लिए दिनांक 5.04.2018 को राजपत्र में अधिसूचित किया खोजे गए लघु क्षेत्र नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित पहल की गई:–

खोजे गए लघु क्षेत्र बोली राउंड–I (2016)

- लघु क्षेत्र बोली दौर –I को 25 मई, 2016 को चालू किया गया था ।
- 43 खोजों से युक्त 30 संविदा क्षेत्रों (23 तट और 7 उथले अपतट) के लिए राजस्व भागीदारी संविदाओं (आरएससी) पर 27 मार्च, 2017 को हस्ताक्षर किए गए।

खोजे गए लघु क्षेत्र बोली राउंड–II (2018)

- लघु क्षेत्र बोली दौर –II को 9 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था ।
- 58 खोजों से युक्त 24 संविदा क्षेत्र (15 तटीय और 9 उथले अपतटीय) को प्रदान किए गए और राजस्व साझाकरण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

खोजे गए लघु क्षेत्र नीति के तहत अनुबंधित क्षेत्र

बोली दौर	लांच वर्ष	संविदा क्षेत्रों/फील्ड्स की संख्या		क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)
		प्रस्तावित	प्रदान	
डीएसएफ-I	2016	46 (67 फील्ड्स)	30 (43 फील्ड्स)	776.8
डीएसएफ-II	2018	25 (59 फील्ड्स)	24 (58 फील्ड्स)	3004.2
कुल	71 (126 फील्ड्स)	54 (101 फील्ड्स)	3780.9	

5.1.9 अनिवार्यता प्रमाण पत्र

वर्ष 2020–21 के दौरान डीजीएच ने कुल 37,070.72 करोड़ रूपए सीआईएफ मूल्य के कुल 14560 अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किए।

5.1.10 तेल और गैस के लिए संवर्धित पुर्नप्राप्ति विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन देने के लिए नीति तंत्र

सरकार ने संवर्धित पुर्नप्राप्ति (ईआर)/उन्नत पुर्नप्राप्ति (आईआर)/गैर–परंपरागत हाइड्रोकार्बन (यूएचसी) उत्पादन विधियों/तकनीकों को राजकोषीय प्रोत्साहन और मौजूदा क्षेत्रों की उत्पादकता में सुधार करने और समग्र रूप से बढ़ाने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी है। हाइड्रोकार्बन की वसूली नीति अपनी ईआर क्षमता, उपयुक्त ईआर तकनीकों का मूल्यांकन और राजकोषीय प्रोत्साहन और सभी पात्र क्षेत्रों के अनिवार्य स्क्रीनिंग के माध्यम से हर क्षेत्र के प्रणालीगत मूल्यांकन के लिए प्रदान करती है, जो कि वाणिज्यिक स्तर पर ईआर परियोजना के वास्तविक कार्यान्वयन से पहले लागत को जोखिम में नहीं डालने तथा इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, पायलट ईआर परियोजनाओं का संचालन करती है।

नीति द्वारा नई, नवीन और अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने और मौजूदा क्षेत्रों की पूर्ण वसूली को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

उपरोक्त नीति की वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति (31 मार्च 2021 तक) नीचे दी गई है:

स्थिति	रिजीम	संचयी (संख्या में)
योजना के तहत कवर किए गए क्षेत्रों की संख्या	ओएनजीसी नामांकन	147
	ओआईएल नामांकन	18
	पीएससी/आरएससी	51
	कुल	216
स्क्रीनिंग के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	ओएनजीसी नामांकन	20
	ओआईएल नामांकन	4
	पीएससी/आरएससी	9
	कुल	33
सहमति प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	ओएनजीसी नामांकन	11
	ओआईएल नामांकन	2
	पीएससी/आरएससी	1
	कुल	14
पायलट अध्ययन के तहत फील्ड्स की संख्या	ओएनजीसी नामांकन	1
	ओआईएल नामांकन	0
	पीएससी/आरएससी	0
	कुल	1
वाणिज्यिक आवेदन के तहत क्षेत्रों की संख्या	ओएनजीसी नामांकन	0
	ओआईएल नामांकन	0
	पीएससी/आरएससी	0
	कुल	0

5.1.11 सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली का कार्यान्वयन

ई एंड पी क्षेत्र में सुधार पर दिनांक 28.02.2019 की अधिसूचना के हिस्से के रूप में, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो अपस्ट्रीम कंपनियों को सरकार की विभिन्न शाखाओं से जोड़ता है और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग/आवेदनों आदि को ऑनलाइन जमा करना/पीईएल/पीएमएल, वेसल क्लीयरेंस, एक्सपैट क्लीयरेंस, पीएसी संविदा प्रबंधन प्रक्रिया, अनिवार्यता प्रमाणपत्र आदि जैसे विभिन्न मंजूरी/अनुमोदन/प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, डीजीएच पोर्टल, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ एवं सीसी) पोर्टल के माध्यम से आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने और आवेदन की स्थिति देखने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम संभावित निवेशकों को किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच के लिए एकल बिंदु प्रदान करना है। यह एक बार अपलोड के माध्यम से एकीकृत सूचना डेटाबेस में एकाधिक मंजूरी के लिए सभी प्रासंगिक सूचनाओं और दस्तावेजों को प्राप्त (कैप्चर) करने के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के माध्यम से डीजीएच द्वारा संचालित विभिन्न प्रक्रियाओं की स्थिति निम्नानुसार है:–

इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो और अनुबंधों की निगरानी स्थिति

क्र.सं.	मोड्यूल	वर्तमान स्थिति
1.	**संविदा प्रबंधनः पीएससी प्रबंधन प्रणाली**	47 पीएससी प्रक्रियाओं के साथ ऑनलाइन पीएससी वर्कफ्लो प्रबंधन प्रणाली प्रस्तावों को मंजूरी देने और अनुबंधों के प्रबंधन के लिए अनुरोध अक्टूबर 2019 से शुरू हो गया।
2.	**संविदा प्रबंधनः प्रक्रियाओं को सरल बनाना**	दिनांक 29.08.2020 से एक संक्रमण चरण सुविधा (फीचर) ऑनलाइन शुरु की गई है जिससे ऑपरेटर अपने दस्तावेज स्व–प्रमाणन अथवा सामान्य प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी श्रेणी ए, बी और सी प्रक्रियाओं को 20 तक सरलीकृत कर दिया गया है। 4 प्रक्रियाओं के लिए प्रवाह परिवर्तन प्राप्त हुए हैं और लागू किए गए हैं। प्रारंभिक डेटा प्रविष्टि के लिए फैक्टशीट मॉड्यूल खोले गए है। पीएससी प्रक्रियाओं को और सुसंगत बनाने का कार्य प्रगति पर है।
3.	**संविदा प्रबंधनः सीबीएम संविदा**	सॉफ्टवेयर के विकास ने सीबीएम अनुबंधों के लिए 31 प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। जिसका परीक्षण पूरा हो गया है। सभी 31 प्रक्रियाओं को लागू और लाइव कर दिया गया है।
4.	**संविदा प्रबंधन : आरएससी प्रबंधन प्रणाली**	ओएएलपी के लिए ड्राफ्ट टेम्प्लेट प्राप्त हुआ है। विकास के लिए संसाधन जुटाने की तैयारी की जा रही है।
5.	**संविदा एवं अनुमोदन : ईसी मॉनिटरिंग प्रणाली**	डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाणपत्र (ईसी) जारी करने की ऑनलाइन प्रस्तुति 28/02/2019 से लाइव हो गई है। 28/02/2019 से आयातित वस्तुओं के लिए ईसी जारी करने के लिए सीमा शुल्क के साथ एकीकरण लाइव है। स्वदेशी वस्तुओं की खरीद के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उसे जीएसटीएन के साथ एकीकृत कर 31/01/2020 से लाइव किया गया। कई रिजिम में कई बाधाओं को दूर करने हेतु ईसी 17/08/2020 से लाइव हो गया। सीमा शुल्क विभाग के आईसीई गेट पोर्टल के साथ ईसीएमएस प्रणाली का एपीआई एकीकरण 28/09/2020 से लाइव हो गया है।

6.	क्लीयरेंस एवं अनुमोदन : ऑनलाइन पीईएल / पीएमएल आवेदन प्रणाली	अक्टूबर 2019 से लाइव हो गया। कुल प्राप्त आवेदन : 82 (पीईएल–27, पीएमएल–55) / (ऑफशोर–21, ऑनशोर–61) इस प्रणाली में दस राज्यों ने पंजीकरण कराया है। (अर्थात असम, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उडीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल)।
7.	क्लीरेंस एवं अनुमोदन : वेसल क्लीयरेंस एवं प्रबंधन प्रणाली (वीसीएमएस)	डीजीएच द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑपरेटर, डीजीएच और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के बीच वेसल निकासी आवेदनों के ऑनलाइन क्लीयरेंस की सुविधा प्रदान की गई थी, जो मार्च 2018 से चालू है। जून 2020 में, रक्षा मंत्रालय ने आरएसईई (रिसर्च सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन) गतिविधियों के लिए एनओसी जारी करने के लिए अपना पोर्टल लॉन्च किया। डीजीएच ने एमओडी से डीजीएच के अंदर आवेदनों के एंड–टू–एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए इस नए एमओडी ऑनलाइन एनओसी क्लीयरेंस पोर्टल में डीजीएच ने आंतरिक वर्कफ्लो को मैप करने का अनुरोध किया है।
8.	स्थल पुर्नस्थापना निधि प्रबंधन पोर्टल	स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा सुरक्षा ऑडिट के सफल समापन के बाद इसे इंटरनेट पर होस्ट किया गया है। पोर्टल में ऑपरेटरों और डीजीएच उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए यूजर आईडी बनाई गई है। प्रयोक्ता समूह द्वारा पोर्टल के संचालन के लिए ऑपरेटरों को डीजीएच से औपचारिक सूचना / पत्र जारी करने की प्रतीक्षा है।
9.	ई आर आवेदन पोर्टल	प्राप्त करने के लिए संशोधित डिजाइन और ईआर स्क्रीनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वर्कफ्लो को उपयोगकर्ता समूह से प्राप्त फीडबैक के आधार पर विकसित किया गया है।
10.	राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)	प्राप्त कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देशों के आधार पर आरएमएस एप्लिकेशन को विकसित / उन्नयन कर लिया गया है और स्टेजिंग पर परीक्षण किया गया है। भारतकोश के साथ एपीआई एकीकरण आरएमएस 01.04.2021 से लाइव हो गया है।

5.2 पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए)

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में स्थापित पंजीकृत सोसायटी है। यह एक राष्ट्रीय सरकारी संस्था है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में लगी हुई है। यह तेल की आवश्यकता पर देश की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम संरक्षण के लिए नीतियों और रणनीतियों को प्रस्तावित करने में सरकार की मदद करता है। पीसीआरए ईंधन कुशल उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रायोजित करता है। यह विभिन्न क्षेत्र की गतिविधियों के माध्यम से ईंधन संरक्षण के संदेश का प्रसार करता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बड़े पैमाने पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का भी व्यापक रूप से उपयोग करता है। इसके अलावा जनता को प्रभावित करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और माई गोव प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जाता है। ईंधन बचत और ईंधन दक्षता पर सुझाव और पीसीआरए की संरक्षण गतिविधियों पर अद्यतन पीसीआरए के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से पोस्ट किए जाते हैं। जनता को जोड़ने के लिए समय–समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं और अभियान आयोजित किए जाते हैं। पीसीआरए द्वारा विभिन्न भाषाओं में विकसित कई फिल्मों, टीवी स्पॉट और रेडियो जिंगल, तेल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान, ओआईडीबी द्वारा पीसीआरए को प्रशासनिक व्यय सहित अपनी गतिविधियों के निष्पादन के लिए 60.00 करोड रुपये जारी किए गए। वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों की झलक नीचे दी गई:–

5.2.1. क्षेत्रीय गतिविधियां:

क्षेत्रीय गतिविधियां पीसीआरए संचालन के मुख्य क्षेत्रों में से एक हैं। ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, परिवहन, घरेलू और कृषि में हमारे देश के सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा के एक बड़े समूह तक पहुँचने के लिए बनाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

5.2.2. औद्योगिक क्षेत्र:

इस क्षेत्र में पीसीआरए गतिविधियां प्रौद्योगिकियों के उन्नयन और बड़े, मध्यम तथा लघु उद्योगों में अपव्यय को कम करने के माध्यम से ईंधन दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसके अलावा, उद्योग कर्मियों के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता और योग्यता निर्माण अभ्यास भी किए जाते हैं। इस क्षेत्र में निम्न गतिविधियां शामिल हैं :

- ✓ **ऊर्जा लेखा परीक्षा**
  - o विभिन्न उद्योगों की ऊर्जा लेखा परीक्षा जो i) वार्षिक ऊर्जा खपत <= 100 टीओई और ii) वार्षिक ऊर्जा खपत > 100 टीओई के रूप में वर्गीकृत है
  - o पिछले वर्ष किए गए उद्योगों के सभी ऊर्जा लेखा परीक्षाओं के अनुपालन के लिए लेखा परीक्षा।
  - o लघु उद्योगों में अध्ययन
- ✓ **पैट लेखा परीक्षा**
  - o पीसीआरए पैट (परफॉर्म अचीव ट्रेड) कार्यक्रम के तहत अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा (एमईए) और निगरानी और सत्यापन लेखा परीक्षा (एमएंडवी) आयोजित करता है। पीसीआरए को पैट चक्र–VI के तहत 15 पीएसयू रिफाइनरियों के एमईए के संचालन का आर्डर प्राप्त हुआ है। यह दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। पीसीआरए ने 2020–21 में पैट लेखा परीक्षा के माध्यम से 1,01,238 टीओई ऊर्जा बचत की पहचान की है।
- ✓ **आईएसओ 50001– 2018 के लिए परामर्श**
- ✓ **प्रशिक्षण और कार्यशाला कार्यक्रम**
  - o औद्योगिक इकाईयां
  - o संस्थान (जैसे पॉलिटेक्निक, तकनीकी कॉलेज और उद्योग निकाय आदि)
  - o संगोष्ठी / तकनीकी व्याख्यान / उपभोक्ता बैठक में भाग लेना।

5.2.3. परिवहन क्षेत्र

पीसीआरए पूरे देश में बेहतर रखरखाव कार्यों, बेहतर ड्राइविंग आदतों, उत्सर्जन जागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से पेट्रोल, डीजल, लुब्रीकेंट और ग्रीस के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू), निजी बड़े संचालकों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है। इसकी गतिविधियों में शामिल हैं:

i) **एसटीयू (राज्य परिवहन उपक्रम) और अन्य के लिए चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीटीपी)**– चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में ईंधन दक्षता को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए चालकों को अच्छी ड्राइविंग आदतों और रखरखाव के कार्यों में प्रशिक्षित करना है। डीटीपी के तहत, एसटीयू, सेना, वायु सेना, अर्ध सैन्य बलों, तेल कंपनियों और निजी फ्लीट संचालकों के चालकों को उनके ड्राइविंग कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

ii) **परिवहन कार्यशाला** – अनुकूलतम ईंधन खपत को प्राप्त करने के लिए उचित संचालन और रखरखाव प्रथाओं के संबंध में चालकों और यांत्रिकी के बीच सूचना के अंतर को पाटने के लिए आधे दिन की परिवहन कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

iii) **ईंधन दक्षता सुधार कार्यक्रम (एफईआईपी)** – ईंधन दक्षता सुधार कार्यक्रम पीसीआरए द्वारा बस डिपो की ईंधन दक्षता में सुधार करने के लिए शुरू की गई एक अनूठी पहल है जिसमें कम प्रदर्शन करने वाली बसों के रखरखाव के साथ कम प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्रशिक्षित किया जाता है और उनके प्रदर्शन की निगरानी की जाती है। कम प्रदर्शन करने वाले चालकों को निर्धारित प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है और फिर उन्हें आवश्यकतानुसार द्विसाप्ताहिक अनुवर्ती प्रशिक्षण मॉड्यूल में भेजा जाता है।

कम प्रदर्शन करने वाली बसों को टियर–1 रखरखाव प्रोटोकॉल के अधीन किया जाता है; जिसके बाद 15 दिनों तक बसों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। टियर–1 रखरखाव प्रोटोकॉल के उपरांत जिन बसों में 3 प्रतिशत से कम सुधार पाया जाता है उन्हें आगे टियर–2 रखरखाव प्रोटोकॉल के अधीन किया जाता है और 15 दिनों के बाद उनके प्रदर्शन की फिर से समीक्षा की जाती है। प्रत्येक डिपो के लिए, उपरोक्त अभ्यास बसों और चालकों के विभिन्न सेटों के लिए तीन राउंड (टियर– 1, 2, 3) में दोहराया जाता है, जिसमें लगभग 30 प्रतिशत कम प्रदर्शन करने वाले चालक और 30 प्रतिशत कम प्रदर्शन करने वाली बसें शामिल होती हैं।

iv) **एसटीयू पुरस्कार योजना** – पुरस्कार योजना का उद्देश्य राज्य स्तर पर प्रत्येक एसटीयू में सर्वश्रेष्ठ डिपो और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ एसटीयू को वार्षिक ट्रॉफी और नकद पुरस्कार प्रदान करके ईंधन बचत के लिए एसटीयू के चालकों, रखरखाव कर्मचारियों और अन्य डिपो कर्मियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करना है। सक्षम 2021 के दौरान सर्वश्रेष्ठ एसटीयू के लिए 6 पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ डिपो के लिए 66 पुरस्कार प्रदान किए गए।

v) वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, पीसीआरए ने परिवहन क्षेत्र में ईंधन दक्षता के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श करने के लिए भुवनेश्वर, मोहाली और चेन्नई में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया।

5.2.4 कृषि क्षेत्र

कृषि क्षेत्र में पीसीआरए के प्रयास कृषक समुदाय तक पहुंच कर कृषि उपकरणों में तेल संरक्षण के महत्व और तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित हैं। कृषि क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए, पीसीआरए विशाल कृषक समुदाय तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचता है जैसे कि–

क. कृषि कार्यशालाएं

ख. कृषि मेलों / प्रदर्शनियों, किसान मेलों में भागीदारी

ग. किसानों में ईंधन संरक्षण उपायों के प्रसार के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और किसान विकास केंद्रों के साथ सहयोग। इस संबंध में 2020–21 के दौरान पीसीआरए ने 3 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

5.2.5 **जागरूकता अभियान:** इसके तहत पीसीआरए द्वारा संचालित गतिविधियां, जैसे कि

- घरेलू कार्यशाला – गृहिणियों को ईंधन कुशल खाना पकाने की आदतों, आईएसआई चिह्नित उत्पादों और स्टार रेटेड एलपीजी स्टोव का उपयोग कर लागत लाभ प्राप्त करने पर शिक्षित किया गया। घरेलू उपकरणों पर विभिन्न ऊर्जा संरक्षण युक्तियाँ भी दी गईं
- छात्रों और युवाओं के लिए जागरूकता अभियान
- प्रदर्शनियों में भागीदारी
- मीडिया अभियान –सक्षम–2021 के दौरान, देश भर में दूरदर्शन नेटवर्क के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीवी चैनलों, ऑल इंडिया रेडियो, लोकसभा टीवी, निजी एफएम और टीवी चैनलों पर अभियान को सफलतापूर्वक चलाया गया और लोगों को ईंधन संरक्षण और ईंधन दक्षता की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया गया। सक्षम–2021 के प्री–बज अभियान के दौरान, देश भर के निजी एफएम रेडियो चैनलों पर माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री की अपील को प्रसारित किया गया।

  मेगा अभियान के अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता को जोड़ने के लिए कई गतिविधियां भी चलाई गईं। उनमें से कुछ ऑनलाइन प्रतियोगिताएं, दैनिक थीम आधारित रचनात्मक विषय, सक्षम दिवस, स्वच्छता पखवाड़ा आदि जैसे कई आयोजनों का सीधा प्रसारण करना है। उपरोक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2020–21 में 24 ट्विटर ट्रेंडिंग गतिविधियां की गईं, जिसमें बड़ी संख्या में इंप्रेशन एकत्र किए गए। ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को फैलाने के लिए 17 सोशल मीडिया अभियान चलाए गए।

- साहित्य का वितरण – देश भर में 130 से अधिक स्थानों और 822 कृषि विकास केंद्रों में पीसीआरए साहित्य की 10.05 लाख प्रतियां मुद्रित और वितरित की गईं।

5.2.6 सक्षम

अपने ईंधन संरक्षण प्रयासों को निरंतर गति प्रदान करने के लिए, पीसीआरए सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों और गैस कंपनियों के साथ मिलकर हर साल 16 जनवरी से 15 फरवरी तक राष्ट्रव्यापी जन केंद्रित जन ईंधन संरक्षण जागरूकता अभियान "सक्षम" आयोजित करता है। इस वर्ष के आयोजन की टैगलाइन "हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा" थी।

महीने भर चलने वाले सक्षम–2021 कार्यक्रम के तहत तेल कंपनियों और तेल कंपनियों के राज्य स्तरीय संयोजकों द्वारा कई गतिविधियां संचालित की गईं, जिसमें स्कूली बच्चों, युवाओं, एलपीजी उपयोगकर्ताओं, हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के चालकों, बड़े संचालकों, औद्योगिक कर्मचारियों / श्रमिकों, किसानों, आवासीय समितियों, गैर सरकारी संगठनों, समूहों / समितियों / क्लबों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। सक्षम के तहत आयोजित कुछ मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

क) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के राज्यों की राजधानियों, कार्यालयों/स्थानों/इकाइयों आदि में क्रमशः 16 जनवरी और 15 फरवरी को उद्घाटन और समापन समारोह।

ख) 31 जनवरी 2021 को देश भर के 280 शहरों में सक्षम साइकिल दिवस और 6 और 11 फरवरी 2021 को क्रमशः नई दिल्ली और मुंबई में ई–साइकिल रैली।

ग) विभिन्न शहरों जैसे मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, पटना, कटक और अन्यों में 7 फरवरी 2021 को सीएनजी कार रैली।

घ) स्कूलों/कॉलेजों में ईंधन संरक्षण पर वाद–विवाद प्रतियोगिता/समूह वार्ता/भित्तिचित्र/दीवार चित्रकारी प्रतियोगिता।

ङ) ईंधन संरक्षण पर इंजिनियरिंग कॉलेजों में कार्यशाला/औद्योगिक क्षेत्रों में तकनीकी बैठक।

च) आरडब्ल्यूए/आवासीय सोसायटी/कालोनियों में समूह वार्ता।

छ) क्लबों/सोसाइटियों/गैर सरकारी संगठनों/समूहों आदि के लिए आवासीय सोसायटियों में महिलाओं के लिए साइकिल रैली/ऑनलाइन प्रतिज्ञा/प्रश्नोत्तरी/निबंध प्रतियोगिता/ईंधन कुशल खाना पकाने की प्रतियोगिताएं।

ज) कारों और ट्रकों के लिए ईंधन कुशल ड्राइविंग प्रतियोगिता।

झ) माननीय मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस / मुख्यमंत्री / राज्यपाल के संदेश का समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशन, टीवी और रेडियो पर राज्यपाल / मुख्यमंत्री / मंत्रियों द्वारा संबोधन, टीवी / रेडियो में टॉक शो, समाचार पत्र एजेंसियों के लिए लेख लेखन प्रतियोगिता, व्यापक सोशल मीडिया अभियान, टीवी, रेडियो और सिनेमा हॉल पर जिंगल/स्पॉट।

ञ) प्रेस कॉन्फ्रेंस / प्रेस विज्ञप्ति

ट) एलपीजी पंचायतें और एलपीजी वितरण करने वाले लड़कों को एलपीजी बचत युक्तियों पर प्रशिक्षण और सभी एलपीजी वितरकों पर स्वास्थ्य शिविर।

ठ) रिटेल आउटलेट्स और सीएनजी स्टेशनों पर समूह वार्ता ।

ड) किसानों के लिए कृषि कार्यशालाएं।

ढ) एसटीयू / बेड़े संचालिकों (संगठित / असंगठित क्षेत्र) के लिए कार्यशालाएँ / समूह वार्ता।

ण) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों की इकाइयों और प्रतिष्ठानों में विभिन्न कार्यक्रम। इनमें कर्मचारियों और वितरकों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए समूह वार्ता, सभी पेट्रोलियम उपभोग करने वाले उपकरणों और वाहनों की उत्सर्जन जांच, साईकिल रैली, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, होर्डिंग्स/डिजिटल डिस्प्ले पर संदेश आदि शामिल हैं।

सक्षम कार्यक्रम के दौरान
नई दिल्ली में आयोजित ई–साइक्लोथन

31 जनवरी 2021 को पटना में आयोजित सक्षम साइक्लोथॉन में भाग लेते हुए माननीय सांसद श्री राम कृपाल यादव

5.2.7. **स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता–2020**

बच्चे भारत का भविष्य और परिवर्तन के अग्रदूत हैं। प्रभावशाली युवा मस्तिष्कों में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता की भावना पैदा करने के लिए हर साल निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। महामारी के कारण 2020 के लिए राष्ट्रीय स्तर की निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं पूरी तरह से ऑनलाइन तरीके से आयोजित की गई। प्रतियोगिता में कक्षा 7 से 10 तक के लगभग 3.36 लाख छात्रों ने भाग लिया। राज्य स्तर पर निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता और राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। निबंध, चित्रकला के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं शीघ्र ही आयोजित की जाएंगी।

1. अनुसंधान और विकासः वित्त वर्ष 2020–21 में दो परियोजना प्रस्तावों को पूरा किया गया।

अनुसंधान एवं विकास परियोजना का शीर्षकः	अनुसंधान संगठनः
घरेलू खाना पकाने के एलपीजी स्टोव की थर्मल दक्षता में सुधार	बीपीसीएल कॉर्पोरेट आर एंड डी सेंटर, ग्रेटर नोएडा
मेट्रो स्टेशनों के आसपास ट्रैफिक सर्कुलेशन योजनाओं के लिए कार्यप्रणाली का विकास और माइक्रोस्कोपिक सिमुलेशन का उपयोग करके उनके प्रभाव की मात्रा का ठहराव	सीएसआईआर–सीआरआरआई, नई दिल्ली

➢ बीपीसीएल आरएंडडी सेंटर (बीपीसीएल रमन–1 और बीपीसीएल रमन–2) द्वारा पीसीआरए प्रायोजित आरएंडडी परियोजना के रूप में विकसित एलपीजी स्टोव बर्नर की तापीय क्षमता लगभग 74 प्रतिशत है (जबकि उपलब्ध बर्नर की औसत दक्षता लगभग 68 प्रतिशत है) और इस कम लागत वाले नवाचार के कारण आने वाले वर्षों में करोड़ों रुपये की बचत होगी।

5.2.8 **08.12.2020 को आयोजित 85वीं एससीएम (स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक) में पांच नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।**

अनुसंधान एवं विकास परियोजना का शीर्षक	संस्था/संगठन	कुल परियोजना लागत (लाख रुपये)	पीसीआरए अंशदान (लाख रुपये)
बायोगैस पर काम कर रहे एक माइक्रो टर्बाइन कम्बस्टर का डिजाइन और विकास	आईआईटी जोधपुर और आईआईपी देहरादून	97.38	24.98
इनलाइन बायो–मीथेन संवर्धन और CO2 पृथक्करण प्रणाली का डिजाइन और विकास	सीएसआईआर–सीएमईआरआई–सीओईएफएम, लुधियाना	24.79	19.96
एमएसएमई में दहन प्रणालियों के प्रदर्शन में हस्तक्षेप और सुधार	आईआईटी दिल्ली	24.93	24.93
बायो गैस एकीकृत अर्ध–पारदर्शी फोटोवोल्टिक थर्मल (एसपीवीटी) कलेक्टरों (बीआई–एसपीवीटी) आरजीआईपीटी अमेठी का प्रदर्शन मूल्यांकन	आरजीआईपीटी, अमेठी	25.00	25.00
सडक अनुप्रयोगों के लिए एनकैप्सुलेटेड डामर–रबर फुटपाथ (ईएआरपीएवीई) उत्पादों का विकास	आईआईटी तिरुपति	42.54	42.54

5.2.9 **अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में निम्न अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं**

क. पीसीआरए के सहयोग से आईआईपी–देहरादून द्वारा उच्च तापीय क्षमता वाला घरेलू पीएनजी स्टोव विकसित किया गया है। प्रयोगशाला में परीक्षण की दौरान, विकसित पीएनजी बर्नर की तापीय दक्षता 52

प्रतिशत से 56 प्रतिशत तक पाया गया जब की , पीएनजी सेवा के लिए उपयोग किए जाने वाले एलपीजी स्टोव की तापीय दक्षता सिर्फ 40 प्रतिशत है। पीसीआरए ने पूरे भारत में पीएनजी ग्राहकों के बीच 10 लाख पीएनजी स्टोव वितरित करने के लिए 16.01.2021 को ईईएसएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 10,000 पीएनजी स्टोव खरीदने की प्रारंभिक निविदा जारी की गई है।

ख. पीसीआरए ने मौजूदा घरेलू एलपीजी स्टोव की दक्षता बढ़ाने के लिए एक रेट्रोफिट किट डिजाइन करने के लिए एलईआरसी से संपर्क किया था। लगभग 75 प्रतिशत की ईंधन दक्षता के साथ रेट्रोफिट किट एलईआरसी द्वारा डिजाइन किया गया है। मैसर्स सुपर एलपीजी अप्लायंसेज ने प्रोटोटाइप विकसित किया है और एलईआरसी द्वारा इसका परीक्षण और अनुमोदन किया गया है।

5.2.10 नीतिगत पहल

क. मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम पीसीआरए के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। एस एंड एल का मुख्य उद्देश्य ग्राहक को विपणन उत्पाद के बारे में एक सूचित विकल्प प्रदान करना है ताकि वह ऊर्जा बचा सके और इस तरह शुद्ध लागत को भी कम कर सके।

ख. ईंधन दक्षता का विकास (एफई) मानदंड

एस एंड एल और एफई मानदंडों के तहत पहल इस प्रकार हैं:

I. परिवहन क्षेत्र डीजल का प्रमुख उपभोक्ता है और भारत में कुल डीजल बिक्री का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसका है। भारी, हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए ईंधन अर्थव्यवस्था के मानदंडों को अनिवार्य करने से इस क्षेत्र में खपत होने वाले डीजल को बचाने में बहुत मदद मिलेगी।

भारी वाहनों के लिए ईंधन मितव्ययता मानदंड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारी वाहनों के लिए ईंधन मितव्ययता मानदंड विकसित करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया था । पीसीआरए संचालन समिति का सदस्य सचिव था। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 16.08.2017 को बीएस–VI वाले भारी वाहनों (एचडीवी) के लिए ईंधन अर्थव्यवस्था मानदंड अधिसूचित किए, जिसे 16.08.2018 को संशोधित किया गया। 1 जनवरी 2021 से चरण –1 मानदंडों के कार्यान्वयन की तारीख के साथ विद्युत मंत्रालय ने संशोधित अधिसूचना एस.ओ. 3215(ई) 21.09.2020 को जारी किया।

हल्के एवं मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए ईंधन मितव्ययता मानदंड

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 3.5 टन से 12 टन के सकल वजन वाले हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों (एल एंड एमसीवी) के लिए ईंधन मितव्ययता मानदंड विकसित करने के लिए 27.11.2017 को संयुक्त सचिव (आर) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया। पीसीआरए संचालन समिति के सदस्य सचिव था।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने 16.07.2019 को हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों (एल एंड एमसीवी) के लिए ईंधन अर्थव्यवस्था मानदंड अधिसूचित किए।

बीएस–VI अनुपालक वाहनों के लिए सुधार कारक का विकास

I. उपर्युक्त अधिसूचनाएं दिनांक 16.07.2019 (हल्के एवं मध्यम वाणिज्यिक वाहनों) और दिनांक 21.09.2020 (भारी वाहनों) बीएस– VI उत्सर्जन मानदंडों के लिए हैं। बीएस– VI उत्सर्जन मानदंडों पर सुधार कारक लागू करके बीएस– VI उत्सर्जन मानदंड प्राप्त किए जाने थे। तदनुसार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बीएस– VI अनुपालन भारी वाहनों और हल्के एवं मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए सुधार कारक प्राप्त करने के लिए कार्यकारी निदेशक–पीसीआरए की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संशोधित अधिसूचना जारी करने के लिए सुधार कारकों पर तकनीकी समिति की रिपोर्ट बीईई को भेज दी है।

II. वाहनों की ईंधन दक्षता में सुधार करने में टायरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में टायरों के एस एंड एल के विकास के लिए कार्यकारी निदेशक पीसीआरए की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। तकनीकी समिति ने 06.08.2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। विद्युत मंत्रालय ने 19 मार्च 2021 को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीईई टायरों के एस एंड एल के स्वैच्छिक चरण को शुरू करने की प्रक्रिया में है।

III. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रैक्टरों के ईंधन अर्थव्यवस्था मानदंडों को विकसित करने और निगरानी करने के लिए मार्च 2018 में संयुक्त सचिव (रिफाइनरी) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया। पीसीआरए संचालन समिति का सदस्य सचिव था। संचालन समिति ने ट्रैक्टर लेबलिंग के स्वैच्छिक चरण के कार्यान्वयन के लिए बैंडविड्थ और मसौदा अनुसूची को मंजूरी दे दी है। बीईई को ट्रैक्टरों के लिए ईंधन मितव्ययता मानदंडों को अंतिम रूप देना है।

IV. बीईई द्वारा हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों की ईंधन खपत को नापने के लिए वेक्टो टाइप सिमुलेशन टूल के विकास का वित्तीय अनुमोदन प्रगति पर है।

V. घरेलू एलपीजी स्टोव के लिए एस एंड एल कार्यक्रम: पीसीआरए के प्रयासों से, बीआईएस मानक आईएस 4264: 2002 "तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों के साथ उपयोग के लिए घरेलू गैस स्टोव – विनिर्देशों" को प्रभावी रूप से 01.06.2020 से भारत में निर्मित, आयातित या बेचे जाने वाले सभी घरेलू एलपीजी स्टोव के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ, प्रत्येक एलपीजी स्टोव मॉडल की न्यूनतम तापीय क्षमता 68 प्रतिशत होनी चाहिए।

ईंधन दक्षता और ईंधन संरक्षण से संबंधित ये गतिविधियाँ और उपाय के जरिए वर्ष 2021–22 तक कच्चे तेल के आयात में 10 प्रतिशत की कमी के सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में पीसीआरए सकारात्मक योगदान दे रहा हैं।

5.3. पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

दिनाक 1 अप्रैल, 2002 को पेट्रोलियम क्षेत्र में निर्देशित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन के उपरांत, तेल समन्वयन समिति को भंग कर दिया गया था और दिनांक 1 अप्रैल 2002 से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रुप में सरकार के निम्नलिखित कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु एक नए प्रकोष्ठ पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) का गठन किया गया:

(क) पीडीएस केरोसीन एवं घरेलू एलपीजी पर सब्सिडी और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए भाड़ा सब्सिडी की व्यवस्था।

(ख) आपातकालीन एवं अप्रत्याशित स्थितियों से मुकाबला करने के लिए सूचना डेटा बैंक और संचार प्रणाली का अनुरक्षण।

(ग) अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू कीमतों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण।

(घ) पेट्रोलियम आयातों और निर्यातों की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन।

(ङ) क्षेत्र विशेष अधिभार योजनाओं का संचालन, यदि कोई हों।

महानिदेशक की अध्यक्षता में वित्त, आपूर्ति, मांग, सूचना प्रौद्योगिकी, विपणन, गैस, और मानव संसाधन एवं समन्वय प्रभागों के अधीन पीपीएसी में 43 अधिकारियों एवं स्टाफ की संख्या स्वीकृत है। केन्द्रीय कर्मचारी योजना के तहत संयुक्त सचिव स्तर पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात महानिदेशक को छोड़कर, सभी अधिकारी एवं स्टाफ तेल कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं।

ओआईडीबी ने वर्ष 2020–21 के दौरान, पीपीएसी को अनुदान के रुप में 22.04 करोड़ रुपये प्रदान किए। वर्ष के दौरान पीपीएसी ने निम्नलिखित गतिविधियां की :

5.3.1 तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के सब्सिडी दावों का निपटान

1 जनवरी 2015 से प्रभावी, पहल (डीबीटीएल) योजना–2014 पूरे देश में क्रियान्वित की गई। इस योजना के तहत घरेलु एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे ही पात्र ग्राहकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जाती है। पहल योजना के तहत वर्ष 2020–21 में रुपये 3,658 करोड़ (परियोजना प्रबंधक खर्चे सहित) के दावे प्राप्त हुए और उनकी समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) 1 मई, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवारों की महिला सदस्य को प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को अब 4 साल (2019–20 तक) की अवधि में 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है। काफी समय पहले सितम्बर 2019 में 8 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। इस योजना के तहत, भारत सरकार गरीब घरेलू महिला लाभार्थियों को सुरक्षा जमा मुक्त कनेक्शन जारी करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए क्रमशः 1600 रुपये और 1150 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिपूर्ति करती है। पीपीएसी ने इस योजना के शुरूआत के बाद से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए वित्त वर्ष 2020–21 तक 12,750 करोड़ रुपये (परियोजना प्रबंधक खर्च सहित) के कुल दावों को प्रस्तुत किया गया है।

5.3.2 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दावों का निपटान

कोरोना वायरस के खिलाफ लडाई के लिए गरीबों की मदद के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) (करीब 8 करोड़) के तहत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेपी) के तहत 3 महीने की अवधि के लिए गैस सिलेण्डर निःशुल्क देने का फैसला किया। इन सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू में अप्रैल–जून 2020 की अवधि के लिए की गई थी।

इस योजना को उन लाभार्थियों के लिए 1 जुलाई 2020 से 30 जुलाई 2020 तक 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, जो पहले/दूसरे सिलेंडर खरीदने के लिए अग्रिम जमा कर चुके थे, लेकिन 30 जून 2020 तक मुक्त सिलेंडर नहीं खरीद पाए थे।

इस योजना को फिर से तीन महीने के लिए, यानि 31 दिसम्बर 2020 तक के लिए उन लाभार्थियों के लिए बढ़ा दिया गया था जिन्होंने अग्रिम तो जमा कर चुके थे लेकिन 30 सितम्बर 2020 तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान पीपीएसी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 8162 करोड़ रुपये के दावों को प्रस्तुत किया।

5.3.3 नार्थ ईस्ट गैस सब्सिडी दावों का निपटान

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चयनित उद्योग/ग्राहकों के लिए प्राकृतिक गैस की बिक्री में सब्सिडी व्यवस्था हेतु "प्राकृतिक गैस सब्सिडी योजना" तैयार की गई है। इस योजना में भाग लेने वाली कंपनियां नामित गैस क्षेत्रों से उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर प्राकृतिक गैस बेचती हैं और भारत सरकार से सब्सिडी राशि का दावा करती हैं। वर्ष 2020–21 के लिए, पीपीएसी ने 336 करोड़ रुपये की राशि के दावे प्राप्त किये तथा उन दावों की समीक्षा की।

5.3.4. घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य अधिसूचना

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 25 अक्टूबर 2014 को पेट्रोलियन एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य के आवधिक संशोधन को सूचित करने के लिए महानिदेशक, पीपीएसी को अधिकृत किया। तदानुसार, अप्रैल 2020 से सितंबर, 2020 और अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य, पीपीएसी द्वारा अधिसूचित किया गया था।

5.3.5. गैस मूल्य की अधिकतम सीमा की अधिसूचना

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 मार्च, 2018 की अधिसूचना के द्वारा, वैकल्पिक ईंधन के पहुंच मूल्य के

आधार पर अधिकतम मूल्य के अधीन गहरे–पानी, अल्ट्रा गहरे पानी और उच्च दबाव–उच्च तापमान क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित गैस के लिए मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित विपणन स्वतंत्रता की अनुमति दी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महानिदेशक, पीपीएसी को उक्त अधिसूचना के तहत गैस मूल्य की अधिकतम सीमा के आवधिक संशोधन को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया। तदानुसार, अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 और अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 की अवधि के लिए गैस की कीमत की अधिकतम सीमा पीपीएसी द्वारा अधिसूचित की गई थी।

5.3.6 उत्पादन और आयात डेटा और खपत और निर्यात डेटा के योग के बीच अंतर का अध्ययन और उसका विश्लेषण :

उपर्युक्त विशय पर पीपीएसी द्वारा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीएस), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पीपीएसी के सदस्यों वाले कार्य समूह के साथ विद्युत कार्य किया और यह पाया गया कि सम्रग तेल उद्योग में आपूर्ति और खपत मात्रा के अंतर आपूर्ति खपत संतुलन (एससीबी) अब पिछले एक दशक के दौरान 20 से 25 एमएमटी के पहले अंतराल की तुलना में शून्य से 4 एमएमटी तक कम कर दिया गया है। पीपीएसी ने मार्च 2021 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय "आपूर्ति खपत संतुलन" पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

5.3.7 पीपीएसी द्वारा "सूचना प्रबंधन प्रणाली" लागू की गई जो कि अब 'आईएसओ27001:2013 प्रमाणित इकाई है :

उपरोक्त कार्यान्वयन के साथ, सूचना प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए नीतिगत संरचना तैयार की गई है। पीपीएसी ने आईटी अवसंरचना में कर्मियों का आकलन कर और उनका निवारण कर सूचना जोखिम और सुरक्षा प्रबंधन के लिए प्रक्रिया की स्थापना की है। आईएसएमएस ने सूचना प्रणाली के लिए सुरक्षित प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग की स्थापना और निगरानी तंत्र की स्थापना को सुरक्षित किया है।

5.3.8 एम और एचएसडी के लिए क्षेत्रीय मांग के लिए अध्ययन

उद्योग समन्वयक के रूप में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पीपीएसी ने एम और एचएसडी के लिए क्षेत्रीय मांग को अपडेट करने के लिए एक अध्ययन आरंभ किया गया था। यह अध्ययन रिपोर्ट, एम और एचएसडी के लिए क्षेत्रीय मांग पर चौथा अपडेट डेटा को प्रस्तुत करेगा, जिससे ऊर्जा डेटा प्रबंधन उप समूह द्वारा पहचाने गए डेटा के अंतराल को कम करेगा।

5.3.9 ऊर्जा मांग प्रषेपण मॉडल (ईडीपीएम) का उन्नयन

ऊर्जा मांग प्रषेपण मॉडल (ईडीपीएम) पीपीएसी द्वारा मूल रूप से 2015 को आधार वर्ष लेते हुए विकसित किया गया। वर्ष 2021–22 में पीपीएसी ने 2020–2045 तक ऊर्जा डेटा अनुमानों और पीओएल खपत पर उद्योग विशेषज्ञों की सहायता से मॉडल को अपडेट किया। यह मॉडल नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों द्वारा ऊर्जा परिदृश्य के भविष्य के दृष्टिकोण को समझने में मददगार है।

5.4. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी)

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी निदेशालय है, जिसे पेट्रोलियम उद्योग के लिए मानक बनाने तथा सुरक्षा ऑडिटों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की निगरानी रखने का दायित्व सौंपा गया है ताकि सुरक्षा स्तर बढ़ाए जा सकें और इस उद्योग में निहित जोखिमों को कम किया जा सके। ओआईएसडी मानकों में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से संबंधित समस्त गतिविधियाँ अर्थात अन्वेषण व उत्पादन, शोधन, गैस प्रोसेसिंग, भंडारण, वितरण, पर्यावरण आदि निहित हैं जिन्हें तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा स्व–नियामक आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। ओआईएसडी ने ऑडिटिंग, पीसीएसए, सम्मेलनों/कार्यशाला और राजस्व सृजन में पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए 2020–21 के दौरान रिकॉर्ड प्रदर्शन हासिल किया।

वर्ष 2020–21 के दौरान ओआईडीबी द्वारा ओआईएसडी को 22.88 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई। ओआईएसडी के अनुसार, वर्ष के दौरान ओआईएसडी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गईः–

5.4.1. ओआईएसडी द्वारा सुरक्षा ऑडिट: वित्तीय वर्ष 2020–21

ओआईएसडी, तेल व गैस प्रतिष्ठानों की ओआईएसडी मानकों के मुताबिक जाँच करने के लिए आवधिक सुरक्षा ऑडिट करता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, ओआईएसडी ने 8778 किमी पाइपलाइन के ऑडिट के अलावा तेल और गैस स्थापना के रिकॉर्ड 206 ऑडिट किए, जैसा कि नीचे दिया गया है:

गतिविधियां	मद	योजना	वास्तविक
सुरक्षा ऑडिट			
रिफाइनरी एवं गैस प्रसंस्करण संयंत्र	संख्या	17	22
मार्केटिंग इंस्टालेशन (पीओएल/एलपीजी)	संख्या	70	91
अन्वेषण एवं उत्पादन अपतटीय प्रतिष्ठान	संख्या	16	17
अन्वेषण एवं उत्पादन तटीवर्ती प्रतिष्ठान	संख्या	50	76
क्रॉस–कंट्री पाइपलाइनें	कि०मी०	8000	8778

इसके अलावा, एमओपीएसडब्ल्यू के अनुरोध पर, 02 प्रमुख बंदरगाहों का ऑडिट, पीओएल हैंडलिंग और भंडारण सुविधाएं– मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट भी किया गया।

5.4.2 प्री–कमीशनिंग सेफ्टी ऑडिट (पीसीएसए)

भारत में उत्पादित और परिवहन किए गए सभी हाइड्रोकार्बन के उत्पादन, शोधन, भंडारण और वितरण गतिविधि की सुरक्षित और समय पर शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए, ओआईएसडी तेल और गैस उद्योग में परियोजनाओं का पीसीएसए करता है। इन ऑडिटों का मुख्य उद्देश्य, ग्रास–रूट डेवलपमेंट तथा मौजूदा प्रतिष्ठानों पर एडिशनल फैसिलिटीज प्रोजेक्ट्स के निर्माण अवस्था में ही ओआईएसडी मानकों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2020–21 के दौरान उद्योग के सदस्यों के अनुरोध पर 80 ऑडिट इस तरह के किए गए, जो अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं।

गतिविधियां	मद	वास्तविक
पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट (पीसीएसए)		
रिफाइनरी एवं गैस प्रसंस्करण संयंत्र	संख्या	19
मार्केटिंग इंस्टालेशन	संख्या	47
अन्वेषण एवं उत्पादन क्षेत्र (तटीय और अपतटीय प्रतिष्ठान)	संख्या	1
क्रॉस–कंट्री पाइपलाइनें	संख्या	13 (तय दूरी 239.6 किमी)

5.4.3 अपतटीय प्रतिष्ठानों के लिए "संचालन की सहमति"

ओआईएसडी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (अपतटीय संचालन में सुरक्षा) नियम, 2008 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपतटीय फ़िक्स्ड और मोबाइल प्रतिष्ठानों को संचालित करने के लिए सहमति देता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 14 अपतटीय प्लेटफार्मों की और 05 अपतटीय रिगों के संचालन के लिए सहमति प्रदान की गई है।

5.4.4 सुरक्षा परिषद की बैठक

भारत में तेल व गैस उद्योग में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन शीर्षस्थ सुरक्षा परिषद स्थापित की। परिषद की 37वीं बैठक 7 अगस्त, 2020 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई, वे इस प्रकार हैं:

- 2019–20 में ओआईएसडी द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां और 2020–21 के लिए गतिविधि योजना।
- 02 से अधिक वर्षों से लंबित ओआईएसडी सुरक्षा ऑडिट अनुशंसाओं की अनुपालन स्थिति की समीक्षा।
- पहले से प्रकाशित ओआईएसडी मानकों का शुद्धिपत्र/अद्यतन जारी करना और मानक की पुनः पुष्टि।
- ईएंडपी समूह में सलाहकारों की नियुक्ति।
- तेल और गैस क्षेत्र के लिए पीसीएसए टैरिफ में संशोधन।
- ईएंडपी प्रतिष्ठानों में पीसीएसए की शुरुआत।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (अपतटीय संचालन में सुरक्षा) नियम, 2008 के तहत अपतटीय प्रतिष्ठानों के लिए 'संचालन की सहमति' के अनुदान के लिए टैरिफ की शुरुआत।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में ओआईएसडी के वास्तविक व्यय की स्वीकृति और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमान।
- वित्त वर्ष 2020–21 के लिए ओआईएसडी के वार्षिक लेखा परीक्षित खातों को अपनाना।
- उद्योग क्षेत्र में हाल की प्रमुख ऑनसाइट घटनाओं का मूल कारण विश्लेषण।

श्री तरुण कपूर, सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, 37वीं सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

5.4.5 संचालन समिति की बैठक

55वीं संचालन समिति की बैठक 28 जनवरी, 2021 को तेल और गैस उद्योग (प्रिंसिपल पैनलिस्ट) के प्रतिनिधियों के साथ हुई। बैठक के दौरान जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

✓ 37वीं सुरक्षा परिषद की बैठक के प्रमुख निर्णय से अवगत कराना।

- ✓ चार संशोधित ओआईएसडी मानकों को अपनाना
- ✓ वर्ष 2020–21 के लिए ओआईएसडी के योजनाबद्ध ईएसए के सापेक्ष में किए गए ईएसए की समीक्षा और वर्ष 2021–22 के लिए योजना।
- ✓ दो साल से अधिक समय से लंबित ईएसए/एसएसए सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा।
- ✓ पिछले तीन वर्षों की घटना विश्लेषण और उद्योग क्षेत्र में कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा।

श्री अरुण मित्तल, कार्यकारी निदेशक, ओआईएसडी की 55वीं संचालन समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए

5.4.6 सुरक्षा मानकों का विकास

ओआईएसडी सभी हितधारकों की सहभागिता के साथ तेल व गैस क्षेत्र के लिए मानक विकसित करता है। नए मानकों को विकसित करने की आवश्यकता का पता लगाने, प्रौद्योगिकीय विकासों के साथ–साथ मौजूद वर्तमान अनुभवों को शामिल करने के लिए मौजूदा मानकों का पुनरीक्षण करने के लिए ओआईएसडी मानकों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

अब तक ओआईएसडी ने 121 तकनीकी सुरक्षा मानक विकसित किए हैं, जिनमें से 21 मानकों को पेट्रोलियम नियम, 2002, गैस सिलेंडर नियम, 2016, स्टेटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अन फायर्ड) नियम, 2016 और ऑयल माइन्स विनियम, 2017 के सांविधिक प्रावधानों में भी शामिल किया गया है।

31.03.2021 तक, 30 मौजूदा मानक विभिन्न चरणों में संशोधन प्रक्रिया के अधीन हैं।

5.4.7 घटना जांच और विश्लेषण

ओआईएसडी तेल और गैस उद्योग में होने वाली प्रमुख ऑनसाइट घटनाओं की जांच करता है। पुनरावृत्ति से बचने के लिए इन घटनाओं का विश्लेषण उद्योग के साथ साझा किया जाता है। तेल और गैस उद्योग की घटनाओं का एक डेटा बैंक बनाकर रखा जाता है और रुझानों, सरोकार के क्षेत्रों और सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। इन्हें फिर सुरक्षा अलर्ट, केस स्टडी, परामर्शी नोट्स, कार्यशालाओं/सेमिनारों और "सुरक्षा चेतना" के माध्यम से उद्योग में प्रसारित किया जाता है। 2020–21 के दौरान ओआईएसडी द्वारा पांच बड़ी घटनाओं की जांच की गई।

5.4.8 तकनीकी संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाएं

नवीनतम तकनीकी विकास, ज्ञान साझा करने, घटना के अनुभव आदि पर चर्चा करने के लिए ओआईएसडी द्वारा

तेल और गैस उद्योग के लिए तकनीकी सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान ओआईएसडी ने रिकॉर्ड दस सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

1. 13–14 जुलाई 2020 को एमओ–पीओएल द्वारा पीओएल टर्मिनल/डिपो के एचपीसीएल अधिकारियों के लिए एचएसई जागरूकता बढ़ाने पर दो दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला जिसमें 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
2. 17 जुलाई 2020 को एलपीजी संयंत्रों के एचपीसीएल अधिकारियों के लिए प्रभावी ऑडिट के माध्यम से एचएसई बढ़ाने पर एक दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला। जिसमें 130 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
3. 14 अगस्त 2020 को एलपीजी संयंत्रों के आईओसीएल अधिकारियों के लिए प्रभावी ऑडिट के माध्यम से एचएसई को बढ़ाने पर एक दिवसीय आभासी कार्यशाला जिसमें 180 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
4. 01 सितंबर 2020 को एलपीजी संयंत्रों के बीपीसीएल अधिकारियों के लिए प्रभावी ऑडिट के माध्यम से एचएसई को बढ़ाने पर एक दिवसीय आभासी कार्यशाला जिसमें 125 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
5. एमओ–पीओएल द्वारा 4 सितंबर 2020 को पीओएल टर्मिनल/डिपो के आईओसीएल अधिकारियों के लिए एचएसई जागरूकता बढ़ाने पर एक दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 259 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
6. ओआईएसडी के प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग ग्रुप द्वारा 23 अक्टूबर 2020 को बीपीसीएल रिफाइनरी अधिकारियों के लिए मजबूत सुरक्षा संस्कृति के माध्यम से सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने पर एक दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला। संगोष्ठी में 50 प्रतिभागियों के साथ ईडी–बीपीसीएल, कोच्चि रिफाइनरी भी शामिल है।
7. 10 और 11 दिसंबर 2020 को ओआईएसडी के ईएंडपी अनुभाग द्वारा आयोजित ईएंडपी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ एचएसई प्रथाओं पर दो दिवसीय आभासी कार्यशाला जिसमें 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
8. राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के दौरान 5 मार्च 2021 को ओआईएसडी के पाइपलाइन खंड द्वारा ऑन–शोर क्रॉस–कंट्री उत्पाद/कच्चे पाइपलाइनों के सुरक्षा पहलुओं पर एक दिवसीय आभासी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 111 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
9. राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के दौरान 9 मार्च 2021 को सभी ईएंडपी कंपनियों के लिए वीसी के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षा पर एक दिवसीय आभासी कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
10. 26 मार्च 2021 को एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति के माध्यम से सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। संगोष्ठी का आयोजन ओआईएसडी, एचएमईएल और एचपीसीएल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। संगोष्ठी में 271 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

5.4.9 वित्तीय प्रदर्शन:

वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया वास्तविक व्यय 2420 लाख रुपये है। वित्त वर्ष 2021–22 का बजट 2639 लाख रुपये है। वित्त वर्ष 2020–21 में, ओआईएसडी ने पूर्व–कमीशन सुरक्षा ऑडिट आयोजित करने और मानकों की बिक्री से 440 लाख रुपये की रिकॉर्ड आय अर्जित की।

5.4.10. ओआईएसडी में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) ने 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम 'सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी' थी। विषय अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र का

हिस्सा हैं और अलगाव में जीवित नहीं रह सकते हैं। इस अवसर पर बोलते हुए, ईडी ओआईएसडी ने जैव विविधता के बारे में अपने विचार साझा किए, जो जमीन पर या पानी में बड़े और छोटे सभी जीवित चीजों के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि जहां एक खाद्य श्रृंखला और प्रजातियों की रैंकिंग हो सकती है, हर जीवित चीज किसी अन्य जीवित चीज से जुड़ी होती है, और साथ में यह ग्रह पर विविध जीवन रूपों का एक नेटवर्क बनाती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये प्रयास विश्व पर्यावरण दिवस के बाद के कुछ दिनों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए; लेकिन मानव जाति के साथ–साथ वनस्पतियों और जीवों के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए एक सतत यात्रा होनी चाहिए। इस अवसर पर कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। इनमें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, नारा पूर्णता और कविता पाठ शामिल थे।

5.4.11 छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) ने 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 मनाया। ओआईएसडी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2020 के अवसर पर अपने परिवारों के साथ 45 मिनट के सामान्य योग में भाग लेकर योग का अभ्यास किया।

5.4.12. स्वच्छता पखवाड़ा

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) में 1 जुलाई 2020 को ओआईएसडी के सभी कर्मचारियों और संविदा कर्मियों द्वारा स्वच्छता शपथ लेकर स्वच्छता पखवाडा–2020 मनाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क पहनने के मानदंडों का पालन करते हुए शपथ ली गई। शपथ लेते समय कार्यकारी निदेशक ने हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व के बारे में अपनी विचारशील अंतर्दृष्टि साझा करके सभा को संबोधित किया और सभी को अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में आत्म–जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी को कार्यालय के साथ–साथ अपने आवासों और समाज में स्वच्छता को बढ़ावा देने और दूसरों को भी प्रोत्साहित करने के लिए कहा । कोविड–19 के वर्तमान महामारी परिदृश्य से लड़ने के लिए विभिन्न एहतियाती उपायों और जीवनशैली में बदलाव पर ओआईएसडी के अधिकारियों के बीच ज्ञान और स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी प्रथाओं का एक इंटरैक्टिव साझाकरण भी किया गया।

5.4.13 ओआईएसडी स्थापना दिवस

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) की स्थापना 10 जनवरी 1986 को हुई थी। इस अवसर को मनाने के लिए, ओआईएसडी ने इस वर्ष से 'स्थापना दिवस' का पालन शुरू किया है और अपना 36वां 'स्थापना दिवस' मनाया है। इस अवसर पर पिछले 35 वर्षों में ओआईएसडी की उत्पत्ति और यात्रा के बारे में जानकारी दी गई और ओआईएसडी ने इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

5.4.14 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस

ओआईएसडी ने 4 मार्च 2021 को 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया है और 4 से 10 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह समारोह शुरू हुआ है। समारोह का औपचारिक उद्घाटन कार्यकारी निदेशक द्वारा सुरक्षा की शपथ के साथ किया गया, इसके बाद ओआईएसडीयन को संबोधित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह समारोह के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- ✓ तटवर्ती क्रॉस–कंट्री उत्पाद / कच्ची पाइपलाइनों के सुरक्षा पहलुओं पर कार्यशाला
- ✓ ओआईएसडी कर्मचारियों के जीवनसाथी के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ओआईएसडी की गतिविधियों और एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के संचालन पर वीडियो दिखाया गया। भूकंप के दौरान रसोई की सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और सावधानियों पर अभिनव व्याख्यान दिया गया। अंत में जीवनसाथी के लिए सुरक्षा जागरूकता पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया।

- ✓ ओआईडीबी भवन में स्थित सभी संगठनों (ओआईएसडी के अलावा) के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और प्रश्नोत्तरी।
- ✓ आंतरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा पर एक दिवसीय उद्योग कार्यशाला।

5.4.15 आईएसओ 9001:2015 ओआईएसडी की निगरानी लेखा परीक्षा

वर्ष 2013 में, ओआईएसडी की प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मैसर्स डीएनवी द्वारा आईएसओ 9001: 2008 के प्रमाणन के माध्यम से मान्य किया गया था और ओआईएसडी सभी ओआईडीबी अनुदान प्राप्त संगठनों के बीच पहला आईएसओ 9001 प्रमाणित संगठन बन गया।

वर्ष 2020–21 में, 15 दिसंबर, 2020 को निगरानी ऑडिट के दौरान मैसर्स डीएनवी द्वारा ओआईएसडी का आईएसओ प्रमाणन जारी रखा गया है।

5.5. उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी)

उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) की स्थापना 1987 में सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तकनीकी विंग के रुप में कार्य करता है। सीएचटी के प्रमुख कार्यों में शामिल है :

- रिफाइनरियों और पाइपलाइनों की निष्पादन बेंचमार्किंग
- सर्वोत्तम प्रथाओं, विशेष अध्ययन, परिचालन सुधार और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से रिफाइनरियों में निष्पादन सुधार
- डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सुधार
- पेट्रोलियम उत्पाद गुणवत्ता सुधार
- सर्वोत्तम प्रथाओं सूचनाओं एवं प्रसार का आदान–प्रदान
- भावी स्थिरता के लिए डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा और नई पहलों के साथ एकीकरण
- डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में नवाचारों और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। पेट्रोलियम एव प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन पर सलाहकार समिति (एसएसी) की गतिविधियों का समन्वय।
- वाटर फुट प्रिंट की कमी
- आयात के एवज में ईंधन, रसायन और उत्प्रेरक का विकास

वर्ष 2020–21 के दौरान, सीएचटी को ओआईडीबी से अनुदान सहायता के रूप में 15.25 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2020–21 के दौरान सीएचटी द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां :

5.5.1 पीएसयू रिफाइनरियों और पाइपलाइनों की निष्पादन बेंचमार्किंग

(क) पीएसयू रिफाइनरियों का निष्पादन बेंचमार्किंग

पीएसयू रिफाइनरियों की निष्पादन बेंचमार्किंग 2010 से नियमित रूप से सीएचटी द्वारा मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स (एसए), यूएसए के माध्यम से कराई जा रही है। पीएसयू रिफाइनरियों की बेंचमार्किंग शुरू करने के लिए एसए के साथ 2028 तक का दीर्घकालिक समझौता किया गया है। 2020 चक्र के लिए पीएसयू रिफाइनरियों का अध्ययन चल रहा है।

(ख) पीएसयू पाइपलाइनों के लिए निष्पादन बेंचमार्किंग:

2018 चक्र के लिए पाइपलाइनों (तरल, गैस, एलपीजी) और एसपीएम के लिए निष्पादन बेंचमार्किंग अध्ययन पहली बार मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स (एसए), यूएसए के माध्यम से शुरू किया गया था। दूसरे चक्र के लिए अनुबंध समझौते पर 10 नवम्बर 2021 को हस्ताक्षर किए गए और अध्ययन कार्य प्रगति पर है।

5.5.2 ऊर्जा दक्षता में सुधार

1. पीएटी (निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार)

पीएटी अर्थव्यवस्था के ऊर्जा गहन क्षेत्र में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक बाजार आधारित विनियामक साधन है। पीएटी राष्ट्रीय सर्वधित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के तहत उन पहलों में से एक है, जिसे ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत आठ मिशनों के तहत शामिल किया गया है, ताकि व्यापार योग्य ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्रों के माध्यम से लागत प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

रिफाइनरी क्षेत्र को पीएटी–I में शामिल आठ ऊर्जा गहन क्षेत्रों में डिस्कॉम और रेलवे के साथ पीएटी–II (2016–17 से 2018–19) में शामिल किया गया था। इस योजना के तहत, पीएसयू और निजी क्षेत्र सहित प्रत्येक रिफाइनरी को विशिष्ट ऊर्जा खपत लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य है। रिफाइनरियों के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिनकी ऊर्जा खपत अधिक होती है और इसलिए ऊर्जा की बचत की अधिक संभावना होती है। ऊर्जा बचत लक्ष्य बीईई (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) द्वारा सीएचटी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, के परामर्श से सौंपे गए थे।

पीएटी चक्र–II में रिफाइनिंग क्षेत्र के लिए ऊर्जा कटौती का लक्ष्य 1.01 मिलियन टीओई के बराबर 5.49 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में 1.48 मिलियन टीओई के बराबर 8.05 प्रतिशत की वास्तविक ऊर्जा कमी हासिल की गई थी।

वर्तमान पीएटी चक्र–VI (2020–21 से 2022–23) के लिए 5.49 प्रतिशत क्षेत्रीय ऊर्जा कटौती लक्ष्य को बनाए रखा गया है, जो 1.17 मिलियन टन के ऊर्जा बचत लक्ष्य के बराबर है।

2. पीएसयू रिफाइनरियों में 2030 तक दीर्घकालिक ऊर्जा बचत लक्ष्य

2005 के आधार वर्ष की तुलना में 2030 तक विशिष्ट ऊर्जा खपत में भारत के एनडीसी के अनुरूप पीएसयू रिफाइनरियों के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत पर एक रूपरेखा तैयार की गई है। यह रूपरेखा आंतरिक और सलाहकारों के माध्यम से किए गए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर तैयार की गई है। प्रत्येक पीएसयू रिफाइनरी के लिए पहले से चिन्हित ऊर्जा बचत योजना के साथ–साथ दीर्घकालिक (2030) आधार पर मध्यावधि (2023–24) के लिए भी लक्ष्य सौंपे गए हैं।

3. फर्नेस दक्षता और भाप रिसाव पर वार्षिक लेखा–परीक्षा

ऊर्जा दक्षता में सुधार और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, रिफाइनरियों के सहयोग से सीएचटी प्रत्येक वर्ष 1) फर्नेस / बॉयलर दक्षता और 2) भाप रिसाव के क्षेत्रों में सर्वेक्षण का आयोजन करता है। इन दोनों क्षेत्रों को प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में लिया जाता है। भट्टी / बॉयलर दक्षता के क्षेत्र में सर्वेक्षण जनवरी 2020 में किया गया था।

5.5.3 रिफाइनरी निष्पादन सुधार कार्यक्रम (आरपीआईपी)

सीएचटी ने रिफाइनरियों के समन्वय से 15 पीएसयू रिफाइनरियों के लिए रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार कार्यक्रम चलाने के लिए रिफाइनरी–वार वैश्विक सलाहकारों को अंतिम रूप दिया, जिसका उद्देश्य उत्पादन और ऊर्जा में सुधार करना है। आरपीआईपी चरण–I पहले ही सात रिफाइनरियों (एचपीसी–मुंबई और विशाख, बीपीसी–मुंबई और कोच्चि, आईओसी–पानीपत, पारादीप और मथुरा) में शुरू हो चुका है और कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

दूसरे चरण में, मौजूदा सलाहकारों के अलावा नए सलाहकारों की पहचान करने के लिए 30 जुलाई 2020 को फिर से ईओआई जारी किया गया था, मौजूदा सलाहकार पहले से ही आरपीआईपी चरण। को अंजाम दे रहे हैं। ईओआई के माध्यम से सलाहकार के चयन का काम पूरा हो गया है और रिफाइनरी (आईओसी– बरौनी,गुजरात, हल्दिया, बोंगाईगांव, गुवाहाटी, डिगबोई, सीपीसीएल–मनाली और एनआरएल) से मंजूरी मिलने के बाद रिफाइनरी विशिष्ट निविदा जारी कर दी जाएगी।

5.5.4 पीएसयू रिफाइनरियों के लिए विशेष अध्ययन

जल उपभोग नॉर्मों का विकास और रिफाइनरियों के लिए जल पदचिह्न को कम करना

सीएचटी ने ईआईएल के माध्यम से रिफाइनरियों के लिए पानी की खपत के मानदंड और पानी के पदचिह्न को कम करने के लिए एक छोटी अवधि (< 2 वर्ष) और एक दीर्घकालिक (> 2 वर्ष) लक्ष्य के साथ एक रोडमैप, तैयार किया।

मैसर्स लैंजाटेक के माध्यम से अपशिष्ट गैसों का उपयोग करके इथेनॉल के उत्पादन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, यूएसए बीपीसीएल–मुंबई रिफाइनरी का अध्ययन पूरा कर लिया गया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी (एनआरएल) का अध्ययन कार्य चल रहा है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अनुसंधान एवं विकास द्वारा संदर्भ ईंधन के लिए व्यवहार्यता और व्यापार मॉडल:

संदर्भ ईंधन का उपयोग ओईएम अपने वाहनों के परीक्षण के लिए करते हैं। ये ईंधन मुख्य रूप से जर्मनी से आयात किए जाते हैं। तीन चरणों में अध्ययन की योजना बनाई गई है। चरण –1 (एलपी मॉडल का उपयोग करके पेपर ब्लेंड) का अध्ययन पूरा हो चुका है और चरण –2 (प्रयोगशाला मिश्रण) का कार्य चल रहा है। प्रयोगशाला अध्ययन के आधार पर ओओसी–पीआर स्ट्रीम से गैसोलीन बनाना संभव है। बायो–डीजल और एडिडिव्स के विभिन्न ग्रेडों का उपयोग करके डीजल की गुणवत्ता के मामले को देखा जा रहा है।

5.5.5 रिफाइनिंग एंड पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी बैठक (आरपीटीएम)

तकनीकी विकास के साथ कदम से कदम मिलाने और सूचनाओं के प्रसार के उद्देश्य से, सीएचटी विभिन्न संगत विषयों पर पीएसयू तेल कंपनी में से एक के सहयोग से प्रत्येक वर्ष आरपीटीएम का आयोजन करता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रक्रिया लाइसेंसकर्ता, उत्प्रेरक आपूर्तिकर्ता तथा भारत और विदेश के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। पिछली 24वीं आरपीटीएम का आयोजन 19 से 21 जनवरी, 2020 के दौरान बेंगलुरू में एमआरपीएल के साथ किया गया था। इस कार्यक्रम में 15 तकनीकी सत्रों में फैले 80 मौखिक पेपर प्रस्तुत किए गए और पोस्टर सत्रों में 16 प्रदर्शनी स्टॉल के साथ 78 पेपर प्रस्तुत किए गए तथा इसमें भारत और विदेश के 1500 प्रतिनिधियों / आमंत्रितों ने भाग लिया। एचपीसीएल के सहयोग से मुंबई में 25वीं आरपीटीएम आयोजित करने की योजना थी जो कि कोविड–19 महामारी के कारण आयोजित नहीं की जा सकी।

5.5.6 प्रधानमंत्री जीवन योजना का कार्यान्वयन

प्रधानमंत्री जीवन योजना मार्च, 2019 में 12 वाणिज्यिक इकाइयों (प्रति वर्ष 40 करोड़ लीटर की संयुक्त क्षमता) और अर्द्ध वाणिज्यिक स्तर पर 10 निष्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए प्रदान करके निधि (वीजीएफ) प्रदान करके 2 जी इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन योजना के क्रियान्वयन के लिए सीएचटी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। पात्र परियोजना विकासकर्ता (पीडी) का चयन करने का अनुरोध 26 अगस्त 2019 को किया गया। परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन एसएसी द्वारा किया गया था और इसकी सिफारिश के आधार पर प्रधानमंत्री जीवन योजना के लिए सीएचटी की संचालन समिति ने 4 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 1 निष्पादन परियोजना के लिए वीजीएफ/वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई थी।

एसएसी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और व्यापक भागीदारी की मांग करने के लिए योजना में कुछ संशोधनों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके पश्चात्, संशोधनों के बाद 8 वाणिज्यिक और 9 प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए आरएफएस जारी किया जाएगा।

5.5.7 स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास

सीएचटी डाउनस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान और वित्त पोषण में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) की गतिविधियों का समन्वय करता है। एसएसी राष्ट्रीय महत्व और रिफाइनिंग संचालन की परियोजनाओं को मंजूरी देता है। एसएसी का नेतृत्व बीएआरसी के प्रख्यात वैज्ञानिक और डीएई मुख्य प्रोफेसर डॉ. अनिल काकोडकर कर रहे हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान एसएसी ने दिसम्बर 2020 तक तीन बैठकें की। एसएसी ने चालन परियोजनाओं और नए परियोजना प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की थी।

वर्ष के दौरान, मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने बीपीसी कोच्चि के साथ मिलकर सीएचटी द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत स्वदेशी डिसाल्टर प्रौद्योगिकी की विकसित की है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्यकारी निदेशक, सीएचटी को प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। सीएचटी ने सरकार की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) के विकास में सहयोग किया।

5.5.8 हाइड्रोजन अनुसंधान

एसएसी ने हाइड्रोजन अनुसंधान और इसे ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में बढ़ावा देने की पहचान की है। सीएचटी ने विभिन्न मार्गों (पानी और बायोमास गैसीकरण के इलेक्ट्रोलिसिस सहित) से हाइड्रोजन के उत्पादन सहित प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और निष्पादन करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को वित्त–पोषित किया है, वाहन निर्माता के साथ–साथ परिवहन ऑपरेटरों के साथ अनुबंध करके ईंधन सेल बसों का विकास, हाइड्रोजन का भंडारण और वितरण, एचसीएनजी का उत्पादन और दिल्ली में एचसीएनईएन ईंधन बसों का निष्पादन करना शामिल है।

5.5.9 भारत में उत्प्रेरक विनिर्माण संयंत्र का विकास:

रिफाइनिंग उद्योग कई उत्प्रेरक प्रक्रियाओं को संचालित करता है, जहां उत्प्रेरक संचालन और लाभप्रदता सुधार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हालांकि, भारत में कोई प्रमुख उत्प्रेरक निर्माण सुविधा नहीं है और देश ज्यादातर उत्प्रेरक आयात पर निर्भर है जिससे इस क्षेत्र की संवेदनशीलता बढ़ रही है। इस उद्देश्य से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत में एक उत्प्रेरक निर्माण इकाई की स्थापना के लिए फाइल सं. आर–11029/34/2020–ओआर–II/ई–34716 दिनांक 6 अगस्त, 2020 के तहत एक समिति का गठन किया।

दुनिया भर से उत्प्रेरक आपूर्ति कर्ताओं को उनकी क्षमताओं और मंशा को समझने के लिए समिति के साथ विचार–विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया था। आठ संभावित उत्प्रेरक आपूर्तिकर्ताओं में से, समिति ने विस्तृत

तेल उद्योग विकास बोर्ड
तेउविबो OIDB

विशिष्ट बातचीत के लिए पांच संभावित लोगों को चुना। समिति ने इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे का रास्ता सुझाया और निष्कर्ष निकाला कि आने वाले वर्षों में, बढ़ते रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल उद्योग को विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरकों की भारी मात्रा में सुनिश्चित आपूर्ति और संबद्ध अनुसंधान और विकास की आवश्यकता होगी, इसलिए स्वदेशी उत्पादन में निवेश करना अनिवार्य है। समिति इच्छुक भागीदारों के बीच उत्प्रेरक निर्माण मूल्य श्रृंखला में तालमेल के उद्देश्य से संयुक्त उद्यम के गठन की सिफारिश करती है। संभावित भागीदारों के बीच आपसी समझौते के आधार पर संयुक्त उद्यम का विवरण तैयार किया जा सकता है। उत्प्रेरक निर्माण इकाईयों को इस पहल को बढ़ावा देने के लिए भारी निवेश और उपयुक्त सरकारी नीति की आवश्यकता होगी। समिति का विचार है कि स्वदेशी उत्प्रेरक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उपरोक्त गतिविधियों की रिपोर्ट फरवरी 2021 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत की गई। संभावित भागीदारों के साथ आगे की चर्चा एचपीसीएल द्वारा की जाती है।

5.5.10 एकीकृत निगरानी और सलाहकार परिशद (आईमैक)

माननीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की अध्यक्षता में आईएमएसी की दूसरी बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि सभी आईएमएसी सदस्यों का मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ समन्वय करना समग्र और समन्वित कार्यनीति अपनाने तथा तेल आयात निर्भरता को कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के मद्देनजर रूपरेखा का पुनर्मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक है। तदनुसार, तेल आयात में कमी लाने के साधन के रूप में ऊर्जा की आपूर्ति, ऊर्जा में बचत को बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित सदस्य मंत्रालयों के क्षेत्र में की गई विभिन्न पहलों, योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यनीतियों पर प्रगति की निगरानी के लिए 6 कार्य समूहों का गठन किया गया है।

आईएमएसी के तहत गठित अनुसंधान एवं विकास और नवाचार के साथ–साथ जैव ईंधन पर कार्य समूह की बैठकें आयोजित की गई थीं। बेसलाइन के साथ अंतिम रिपोर्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

5.5.11 रिफाइनरियों में पेट्रोरसायन के उत्पादन को बढ़ाने पर एक रिपोर्ट

भारत में पेट्रोरसायन के लिए व्यापार अवसर पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने भारत में खपत, मूल्य, आयात, विकास और क्षमता के आधार पर प्रमुख पेट्रोरसायन की पहचान की, जिसमें चिन्हित पेट्रोरसायन के लिए अनुमानित क्षमता वृद्धि शामिल है। विस्तृत रिपोर्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंप दी गई थी।

5.5.12 अतिरिक्त कार्यनीतिक/परिचालन कच्चे तेल के भंडारण पर अध्ययन

पेट्रोलियम भंडारों का निर्माण ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने के लिए कई आकस्मिक उपायों में से एक है। देश में कच्चे तेल के साझा भंडारण के सभी पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंप दी गई है।

5.5.13 पुरस्कार

सीएचटी भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित निम्नलिखित वार्षिक पुरस्कारों से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है:

- रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार
- सक्षम पुरस्कार वाष्प रिसाव और भट्टी दक्षता सर्वेक्षण पर आधारित
- नवाचार पुरस्कार

पहली दो श्रेणियों के लिए पुरस्कार विजेताओं का चयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। नवाचार पुरस्कारों के लिए, पुरस्कार विजेताओं का चयन सीएचटी की गवर्निंग परिषद के दिशा–निर्देशों के आधार पर अध्यक्ष, एसएसी द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया है:

(I) सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी

(II) रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार (रिफाइनरी / समूह / व्यक्तिगत)

(III) अनुसंधान एवं विकास (संस्थान / समूह / व्यक्तिगत) में सर्वश्रेष्ठ नवाचार

ये पुरस्कार रिफाइनिंग एंड पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी बैठक (आरपीटीएम) के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदान किए जाते हैं।

5.5.14 कार्यकलाप समिति की बैठकें

नवीनतम घटनाओं के बारे में सर्वोत्तम परिचालन प्रथाओं, सुधारों और सूचना के प्रसार को साक्षा करने के उद्देश्य से, सीएचटी ने रिफाइनिंग क्षेत्र और पाइपलाइनों के संचालन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों / प्रौद्योगिकियों में विभिन्न कार्यकलाप समिति की बैठकों का आयोजन किया। एनसीएल–विशाख रिफाइनरी के सहयोग से पहली बार सीएचटी द्वारा "टर्नअराउंड प्रबंधन की कार्यनीतिया" विषय पर कार्यकलाप समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। रिफाइनिंग व्यवसाय प्रोसेस में डिजिलाइजेशन पर अगली कार्यकलाप समिति की बैठक बीपीसीएल–कोच्चि रिफाइनरी के सहयोग से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

5.5.15 तेल एवं गैस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों के लिए स्वच्छता रैंकिंग

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इसके संलग्न कार्यालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में तेल एवं गैस सीपीएसई ने 1 से 15 जुलाई, 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान, तेल और गैस सीपीएसई और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संलग्न कार्यालयों को उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित स्वच्छता सूचकांक के आधार पर रैंक दिया गया था। 14 दिसम्बर, 2020 को माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

तेउविबो OIDB
तेल उद्योग विकास बोर्ड

अध्याय-04

वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान

1. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में अन्य बातों के साथ – साथ यह प्रावधान किया गया है कि तेल उद्योग के लिए उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। हाइड्रोकार्बन विज़न 2025 में भी परिकल्पना की गई है कि गैर–अन्वेषित/आंशिक रूप से अन्वेषित एकबों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त संसाधनों को तेल उद्योग विकास बोर्ड के उपकर व अन्य नवीन संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है।

2 अपस्ट्रीम क्षेत्र

अपस्ट्रीम क्षेत्र को तेउविबो द्वारा अनुदान सहायता के संबंध में तेउवि बोर्ड ने दिनांक 27.03.2014 को आयोजित अपनी 76वीं बैठक में निर्णय लिया कि ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजना/परियोजनाओं की पहचान करने और जांच करने और तेउविबो द्वारा उनके कार्यान्वयन हेतु अनुदान के रूप में निधियां प्रदान करने के लिए महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में तथा तेउविबो के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जा सकता है। तदनुसार, तेउविबो के अनुदानों की उपयोगिता के संदर्भ में एक समिति का महानिदेशक, डीजीएच, की अध्यक्षता में और सदस्यों में सचिव, तेउविबो, निदेशक (अन्वेषण) – ओएनजीसी, निदेशक – आईआईपी, देहरादून, निदेशक (अनुसंधान और विकास) – आईओसीएल, निदेशक (तकनीकी) – ईआईएल तथा महानिदेशक – पेट्रोफेड (एफआईपीआई) हैं, का गठन किया गया।

समिति, प्रथम अवलोकन के अंतर्गत इन परियोजनाओं का निरीक्षण करती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं। समिति की सिफारिशें तेउवि बोर्ड को निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा 25 लाख रुपए से अधिक परिव्यय वाली अनुमोदित परियोजनाओं को तेल उद्योग (विकास) नियम, के नियम 24 (i)(ii) की शर्तों के अनुसार अनुदान जारी करने से पूर्व केंद्रीय सरकार को प्रेषित किया जाता है।

2.1 परियोजनाओं की पुनरीक्षा

उपरोक्त समिति समय–समय पर अपस्ट्रीम क्षेत्र में तेउवि बोर्ड द्वारा पोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है । उपसमिति द्वारा दी गई सिफारिशों तेउविबो के समक्ष विचारार्थ तथा जहां आवश्यक हो परियोजनाओं के अधिक कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु उचित दिशा–निर्देश देने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं ।

3. डाउनस्ट्रीम क्षेत्र

मंत्रालय द्वारा हाइड्रोकार्बन पर गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी), डाउनस्ट्रीम सैक्टर से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रदान करती है। ये परियोजनाएं मुख्यतः सीएचटी के माध्यम से वित्त पोषित की जाती हैं। वैज्ञानिक सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य विभिन्न तेल उद्योग क्षेत्रों से संबंद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।

इस समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होता है जिसके पश्चात इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के लिए गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति अपनी बैठकों में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करती है। सीएचटी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की अनुसंधान परियोजनाओं को अभिज्ञात करने और उनमें वित्त पोषण करने में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति के कार्यकलापों का समन्वय करता है।

4. तकनीकी संस्थानों/सीएसआईआर प्रयोगशालाओं को सहायता

तेल उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों, शैक्षणिक संस्थाओं जैसाकि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुम्बई, भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद और राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रशिक्षण एवं अनुसंधानों की मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, तेल उद्योग विकास बोर्ड ने अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए निम्न निधियां जारी की: –

(रुपये करोड़ में)

1	पानीपत रिफाइनरी में रिफाइनरी ऑफ गैसों का उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन संयंत्र– इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	103.38
2	भारत में भूमिगत गैस भंडारण की आवश्यकता और व्यवहार्यता पर अध्ययन– ओएनजीसी	0.42
3	फोम सहायक तेल जल नैनो–इमल्शन द्वारा तेल रिकवरी का प्रायोगिक और आणविक गतिशील सिमुलेशन अध्ययन	0.28
4	वैक्सी क्रूड के प्रवाह के लिए पोर प्वाइंट डिप्रेसेंस के रूप में प्राकृतिक अर्क का उपयोग– भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम) धनबाद	0.34
5	आईएसपीआरएल चरण–2 एसपीएम की परियोजनाओं की पूर्व गतिविधियां	5.95
	कुल	**110.37**

4.1 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर एंड डी) – पानीपत रिफाइनरी में गैसों के संशोधन द्वारा इथेनॉल उत्पादन संयंत्र –103.38 करोड़ रुपये

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैस किण्वन तकनीक पर आधारित गैस से दुनिया की पहली हाइड्रोजन उत्पादन इकाई (एचजीयू) द्वारा इथेनॉल उत्पादन का संयंत्र स्थापित कर रहा है। इंडियन ऑयल ने पानीपत रिफाइनरी में 3जी इथेनॉल संयंत्र के लिए लैंजाटेक की गैस किण्वन तकनीक का उपयोग किया है। इस तकनीक में, एचजीयू दबाव स्विंग एबसोर्प्शन इकाई में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को लैंजाटेक के स्वामित्व वाले सूक्ष्मजीवों (बायोकैटालिस्ट्स) द्वारा इथेनॉल और अन्य उत्पादों में बदल दिया जाता है। प्रस्तावित संयंत्र की इथेनॉल उत्पादन क्षमता 100 टन प्रति दिन (128 किलोलीटर प्रति दिन, केएलपीडी) है। यह संयंत्र उप–उत्पाद के रूप में प्रति दिन लगभग 3 टन उच्च प्रोटीन बायोमास भी उत्पन्न करेगा जिसे पशु आहार सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

आईओसीएल दुनिया की पहली तेल शोधन कंपनी है जिसने इस तकनीक से संशोधित गैसों को इथेनॉल में बदलने के लिए अपनाया है। यह संयंत्र 11,600 मीट्रिक टन प्रति वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। एचजीयू पीएसए ऑफ गैस से इथेनॉल उत्पादन की योजना का प्रारूप निम्नलिखित है।

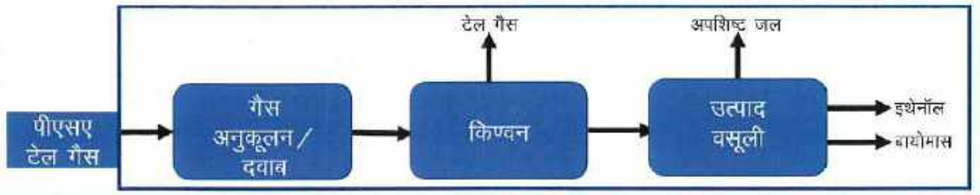

पीएसए टेल गैस से इथेनॉल के उत्पादन के लिए प्रवाह योजना

कोविड –19 महामारी के कारण, संयंत्र की स्थापना में देरी हुई और संयंत्र के फरवरी 2022 तक स्थापित और चालू होने की संभावना है। वर्तमान में सिविल और संरचनात्मक कार्य, और संयंत्र उपकरणों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। ओआईडीबी ने राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना के लिए जैव ईंधन नीति के अनुसार इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए 158.75 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है। जिसमें से 2020–21 के दौरान अनुदान के रूप में 103.38 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

4.2 तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड "भारत में भूमिगत गैस भंडारण की आवश्यकता और व्यवहार्यता पर अध्ययन" – रु. 0.42 करोड़

भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में ऊर्जा की मांग में वृद्धि जारी रहेगी। भारत में प्राथमिक ऊर्जा खपत पिछले एक दशक में 5.4 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ी है और 2035 तक 4.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत में प्राकृतिक गैस की खपत 24.1 प्रतिशत के वैश्विक औसत के मुकाबले प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण का लगभग 6.2 प्रतिशत है। प्राकृतिक गैस की उपलब्धता मुख्य रूप से नियोजित एलएनजी टर्मिनलों के चालू होने और राष्ट्रव्यापी गैस पाइपलाइन नेटवर्क के अमल में आने के कारण बढ़ने की उम्मीद है। सरकार "गैस आधारित अर्थव्यवस्था" बनाने और आने वाले वर्षों में देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गैस की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और पीक लोड मांगों और स्रोतों से आपूर्ति भिन्नताओं के कारण उतार–चढ़ाव को सुचारू करने के लिए, आपूर्ति ग्रिड से जुड़ी गैस भंडारण सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की जाती है और गैस अधिशेष जमा करने में सक्षम होती है। इसमें गैस आपूर्ति की निरंतरता और सुरक्षा का जोखिम भी परिपूर्ण हो सकता है क्योंकि वर्तमान में 50 प्रतिशत से अधिक गैस आपूर्ति आयात पर निर्भर है।

दुनिया भर में गैस आपूर्ति श्रृंखला के साथ विभिन्न गैस भंडारण विकल्पों का उपयोग किया जाता है। इसलिए, ऊर्जा सुरक्षा जनादेश के अनुरूप, भारत सरकार ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक रणनीति के एक भाग के रूप में भारत में गैस भंडार की आवश्यकता का आकलन करने और उसे बनाए रखने के लिए भूमिगत गैस भंडारण (यूजीएस) परियोजना शुरू की है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 07.09.2018 के पत्र के माध्यम से ओएनजीसी, गेल (इंडिया), ओआईडीबी और पीएलएल के प्रतिनिधियों के साथ रणनीतिक गैस भंडारण की आवश्यकता का मूल्यांकन करने और देश में रणनीतिक और वाणिज्यिक प्राकृतिक गैस भंडारण विकसित करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया था।

मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, टास्क फोर्स को गैस भंडारण विकास परियोजनाओं में महत्वपूर्ण अनुभव वाले प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों/कंपनियों का समर्थन लेना था और ओएनजीसी के माध्यम से ऐसे सलाहकार को नियुक्त करने की लागत ओआईडीबी द्वारा वहन की जानी थी।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) भारत में सबसे बड़ा अपस्ट्रीम तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण और उत्पादन पीएसयू है, जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत का योगदान देता है। मैसर्स पीडब्लूसी को ओएनजीसी द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स की ओर से अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस अध्ययन को संचालित करने के लिए सलाहकार को नियुक्त करने की कुल लागत 41.3 लाख रुपये थी जिसकी प्रतिपूर्ति ओआईडीबी द्वारा ओएनजीसी को अनुदान के रूप में की गई थी।

सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट में, 1.5 बीसीएम की प्रारंभिक कार्यशील गैस मात्रा क्षमता के साथ चरण 1 के तहत यूजीएस को विकसित करने और चरण 2 के तहत 4.2 बीसीएम तक बढ़ाने पर विचार करने की सिफारिश की है जो 2030–31 तक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की मांग को पूरा करेगा।

अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमिगत गैस भंडारण के लिए भारत में अक्षय कोश उनकी लागत अर्थशास्त्र, निर्माण अवधि, उपलब्धता में आसानी और दुनिया के अन्य हिस्सों में सफल कार्यान्वयन के अध्ययन के कारण सबसे उपयुक्त हैं,। हालांकि, कोशों को मजबूत करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए विस्तृत तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकन किया जाना है। चूंकि भारत के पास भूमिगत गैस भंडारण का कोई अनुभव नहीं है, एक त्वरित पायलट इन भंडारणों की गति संचालन को समझने में सहायक हो सकता है।

4.3 बढ़ी हुई तेल रिकवरी के लिए फोम असिस्टेड ऑयल–वाटर नैनोइमल्शनः पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का प्रायोगिक और आणविक गतिशील सिमुलेशन अध्ययन, पेट्रोलियम इंजिनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद– रु.0.28 करोड़

पारंपरिक जल–बहाव के बाद, जलाशय में अवशिष्ट तेल, केशिका बलों के कारण एक असंतत चरण में तेल की बूंदों के रूप में रहता है। उच्च केशिका बलों और जलाशय की विविधता के कारण पारंपरिक तेल वसूली (प्राथमिक और माध्यमिक) के बाद मूल तेल का लगभग 70 प्रतिशत (ओओआईपी) जलाशय में रह जाता है जिससे तेल उत्पादन कम होता है। तकनीकी रूप से रसायनों (सर्फैक्टेंट, क्षार और बहुलक) के प्रयोग द्वारा बढी हुई तेल वसूली (ईओआर) प्रक्रियाओं को लागू करके वसूली दक्षता में सुधार करना संभव है। सर्फैक्टेंट गतिशीलता के लिए प्रभावी एजेंटों के रूप में कार्य करके तेल और पानी (ओ–डब्ल्यू) के बीच इंटरफेसियल तनाव (आईएफटी) को कम करके और गीलापन परिवर्तन द्वारा तेल में सुधार करके छिद्रपूर्ण मीडिया में तरल पदार्थ के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन रासायनिक विधियों में होने वाली असुविधाओं के कारण जैसे कि जलाशय में सोखने और प्रतिधारण के रूप में महंगे सर्फैक्टेंट की हानि, उच्च परियोजना लागत और तेल की घटती कीमतें प्रक्रिया की दक्षता को प्रभावित करती हैं और इसके आवेदन में समस्याएं पैदा करती हैं। इस प्रकार, नैनोटेक्नोलॉजी इमल्शन (नैनोइमल्शन) का उपयोग ईओआर में सफल हो सकता है, क्योंकि इसमें परिपक्व तेल क्षेत्रों से तेल उत्पादन के वर्तमान परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव की क्षमता है। नैनो–इमल्शन 50–500 एनएम आकार की छोटी बूंदों का एक इमल्शन वर्ग है और हाल के वर्षों में अपने विस्तृत व्यावहारिक अनुप्रयोगों की अपनी विस्तृत श्रृंखला के कारण बहुत ध्यान आकर्षित किया है। नैनो–इमल्शन, आमतौर पर, उनके छोटे बूंदों के आकार के कारण, अवसादन या क्रीमिंग में भी स्थिर रहते हैं।

सर्फैक्टेंट और कोलाइडल कणों (नैनोकणों) द्वारा स्थिर नैनोइमल्शन पेट्रोलियम उद्योग में अपनी उच्च शक्ति, थर्मोडायनामिक स्थिरता और स्थिर प्रवाह व्यवहार के कारण लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित शोध पत्र में बढ़ी हुई तेल वसूली के लिए एसपीएन पिकरिंग इमल्शन के निर्माण और निरूपण पर प्रकाश डाला गया। यह नैनोइमल्शन बहुत महीन छिद्रों में प्रवेश कर, जहाँ तेल विशेष रूप से तंग कोशों में फंसा होता है उसे विस्थापित कर देता है। हालांकि, जल–बहाव के बाद गतिज अवशिष्ट तेल का एक अन्य मुख्य स्वीकृत तरीका यह है कि अवशिष्ट तेल को धकेलने के लिए तेल–पानी के इंटरफेस के विरूद्ध एक बड़ा बिस्कस बल लंबवत लगना चाहिए। इस बल के द्वारा अवशिष्ट तेल को बनाए रखने वाले केशिका बलों को काबू कर, इसे स्थानांतरित कर, जुटाना होगा और इसे पुनर्प्राप्त करना होगा।

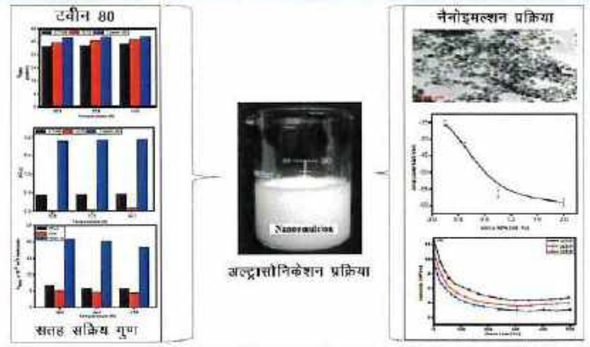

नैनोइमल्शन के लिए योजनाबद्ध और ईओआर अनुप्रयोग के लिए वांछनीय इसके गुण।

फोम में गैस की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी चिपचिपाहट होती है; यह उन प्रक्रियाओं में स्वीप दक्षता में सुधार के लिए एक विधि के रूप में जांचा गया है जहां भूमिगत संरचनाओं से तेल की वसूली में सुधार के लिए नाइट्रोजन गैस या सुपरक्रिटिकल कार्बनडाई आक्साइड गैस को इंजेक्ट किया जाता है। सर्फैक्टेंट मिश्रण के साथ गैस इंजेक्शन अपने घटक चरणों द्रव और गैस की तुलना में बहुत अधिक स्पष्ट चिपचिपाहट वाले एक फोम का उत्पादन कर सकता है। उच्च स्पष्ट चिपचिपाहट के कारण, फोम में अकेले गैस की गतिशीलता की तुलना में बहुत कम गतिशीलता होती है और इसलिए, विस्थापन द्रव की गतिशीलता को कम करने का एक प्रभावी साधन प्रदान करता है। गैस की कम चिपचिपाहट और घनत्व के कारण फोम चिपचिपा छूत और गुरुत्वाकर्षण को कम कर सकता है। हाल ही में एक प्रकाशित लेख में विभिन्न योजकों की उपस्थिति में आयनिक और गैर–आयनिक सर्फैक्टेंट द्वारा कार्बन डाई–आक्साइड गैस के स्थिरीकरण पर चर्चा की गई। बढ़ी हुई तेल वसूली के लिए फोम बहाव, एएसपी

बहाव के समान उपयोगी हो सकती है। इसलिए, दोनों तकनीकों का एक संयोजन यानी 'फोम–असिस्टेड नैनोइमल्शन' फ्लडिंग तेल की बेहतर रिकवरी के लिए एक आशाजनक तकनीक है।

सर्फैक्टेंट ईओआर की सहायता के लिए हाइड्रोकार्बन या कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों से ली गई फ्लू गैस (नाइट्रोजन के बजाय) का उपयोग करना एक अभिनव प्रक्रिया है। यह बढ़ी हुई तेल वसूली और कार्बन डाई–आक्साइड गैस प्रबंधित बिजली उत्पादन दोनों में नए विकास को जोड देगा। इस संयुक्त प्रक्रिया में, सर्फैक्टेंट को विभिन्न इंटरफेस में दोहरी भूमिका निभानी होती है: तेल–जल इंटरफेस में आईएफटी को कम करने और गैस–जलीय इंटरफेस में फोम को स्थिर करने के लिए। इसके अतिरिक्त, कार्बन डाई–आक्साइड गैस विलयशील बहाव से रिकवरी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। संयुक्त प्रक्रिया की जटिलता विभिन्न इंटरफेस के बीच सर्फैक्टेंट/गैस विभाजन की भूमिका और जिस तरह से छिद्रपूर्ण मीडिया में गैस–पानी–तेल–ठोस चरण सह–अस्तित्व में रहते हैं को समझने के लिए एक मौलिक जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा, जैसे–जैसे समय बीतता है या तो नैनोइमल्शन या फोम या दोनों का धीरे–धीरे क्षय हो जाता हैं। जलीय फोम एक मेटास्टेबल प्रणाली है जो पठारी सीमा या फोम बुलबुले के लैमेला से जलीय चरण की निरंतर निकासी को दर्शाता है। जितनी जल निकासी की दर धीमी होगी उतनी ही फोम की स्थिरता अधिक होती है। अधिकांश तरल पदार्थ, चट्टान और अन्य गुणों को सतह की स्थिति में मापा जा सकता है, लेकिन वास्तविक लैब नाप में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, जो उच्च दबाव और उच्च तापमान जैसे कठोर जलाशय की स्थिति में बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। आणविक गतिशील सिमुलेशन (एमडीएस) हमें आणविक पैमाने पर विभिन्न गुणों और वास्तविक प्रक्रिया के मॉडल के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसे प्रयोगात्मक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। एमडीएस का उपयोग सर्फैक्टेंट और अन्य रसायनों की स्क्रीनिंग के लिए उनके गुणों को निर्धारित करके अनुभवात्मक अध्ययन के अग्रदूत के रूप में भी किया जा सकता है। एमडीएस के उपयोग द्वारा रॉक खनिज घटक और द्रव संरचना के प्रभाव के साथ–साथ तापमान और दबाव की व्यापक जांच की जा सकती है। पिछले अध्ययनों ने पुष्टि की है कि एमडीएस तकनीक वास्तव में वांछनीय बाधाओं के साथ सूक्ष्म मॉडल पैमाने पर तेल विस्थापन व्यवहार की भविष्यवाणी करने का एक लाभकारी मार्ग है।

पिछले दो दशकों में झरझरा मीडिया में मल्टीफेज प्रवाह के तंत्र की समझ में काफी प्रगति हुई है। विशेष रूप से, झरझरा मीडिया में सूक्ष्म पैमाने और स्थूल–पैमाने पर एक द्रव का दूसरे द्वारा विस्थापन दोनों में रुचि बढ़ाता है। तेल–गीले (या मध्यवर्ती–गीले) से अनुकूल जल–गीले स्थिति में रॉक सिस्टम के गतिशील विकास का अध्ययन करने के उद्देश्य से आणविक पैमाने पर चरणों और सतहों के गठन के भौतिक आंदोलनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसलिए, ईओआर अनुप्रयोगों में उनकी उपयोगिता और कार्यक्षमता में गहन परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए फोम–सहायता प्राप्त नैनोइमल्शन फॉर्मूलेशन के भौतिक रासायनिक गुणों और प्रदर्शन मूल्यांकन का विश्लेषण करना आवश्यक है।

4.4 मोमी क्रूड के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए पोर पॉइंट डिप्रेसेंट्स के रूप में प्राकृतिक अर्क का उपयोग – आईआईटी (आईएसएम), धनबाद – रु. 0.34 करोड़

औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से ऊर्जा की आवश्यकता के कारण विकासशील देशों में कच्चे तेल की मांग तेजी से बढ़ रही है। कच्चे तेल की मात्रा सीमित है। कुओं से कच्चे तेल के लगातार दोहन के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की मात्रा कम होती जा रही है और यह भारी और मोमी हो जाता है। कच्चा तेल पैराफिन, एरोमेटिक्स, एस्फाल्टीन और रेजिन के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ऊंचे तापमान पर पैराफिन कच्चे तेल में घुल जाते हैं। कम तापमान पर एक इंटरलॉकिंग नेटवर्क बनाने के लिए पैराफिन धीरे–धीरे क्रिस्टलों में बदल गए। समुद्र तल पर पाइपलाइन के माध्यम से बहने पर तेल का तापमान लगभग 40°F तक ठंडा हो जाता है। इस स्थिति में, मोमी घटक कच्चे तेल से बाहर निकलने लगते हैं और पाइप की दीवार पर मोम का जमाव होने लगता हैं। मोम के जमाव से कच्चे तेल का उत्पादन, भंडारण, संचालन बहुत बाधित होता है। इस समस्या को कुछ पॉलीमेरिक एडिटिव के उपयोग द्वारा दूर किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर पोर पॉइंट डिप्रेसेंट्स (पीपीडी) या फ्लो इम्प्रूवर के रूप में जाना जाता है, जो कच्चे तेल के पोर पॉइंट और चिपचिपाहट दोनों को कम करता है। विशिष्ट कच्चे तेल के लिए विशिष्ट प्रवाह सुधारक की आवश्यकता होती है। हमारा लक्ष्य भारतीय कच्चे तेलों में मोम के जमाव का अच्छी तरह से अध्ययन करना है। हम प्राकृतिक संसाधनों से विभिन्न पोर पॉइंट डिप्रेसेंट्स (पीपीडी) के डिजाइन और विकास पर ध्यान केंद्रित करना

तेल उद्योग विकास बोर्ड
तेउविबो OIDB

चाहते हैं और कच्चे तेल पर इन पीपीडी की प्रभावशीलता की जांच करना चाहते हैं। चूंकि पीपीडी प्राकृतिक संसाधनों से संश्लेषित होते हैं, इसलिए ये नवीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल हैं। हम उत्पादन लागत को कम करने के लिए प्राकृतिक अपशिष्ट सामग्री को प्रारंभिक सामग्री के रूप में चुनने का प्रयास कर रहे हैं।

4.5 आईएसपीआरएल चरण–II एसपीएम की परियोजनाओं की पूर्व गतिविधियां –5.95 करोड़

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 जून 2018 को ओडिशा में दो स्थानों चांदीखोल (4 एमएमटी) और पादुर, (2.5 एमएमटी) कर्नाटक में दो एसपीआर के लिए समर्पित एसपीएम सहित 6.5 एमएमटी रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारण स्थापित करने के लिए "सैद्धांतिक रुप से" मंजूरी दी। भारत सरकार की बजटीय सहयोग को कम करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत परियोजना को आरंभ करने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया जाना है।

चरण–II में परिकल्पित 6.5 एमएमटी भंडारण के पूरा होने पर कच्चे तेल की आवश्यकता के 12 दिनों को कवर करने के लिए एक अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाई जाएगी। इस प्रकार, कुल कवरेज लगभग 21 दिनों की होगी।

पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) की 100वीं बैठक दिनांक 15 मार्च 2021 को सचिव डीईए की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मार्ग को आगे बढाने के लिए कैबिनेट मंजूरी लेने के लिए परियोजना "सैद्धांतिक" रुप से अनुदान दिया जा चुका है।

पादुर में एसपीएम के लिए समुद्री सर्वेक्षण किया गया है। चरण–II के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) नीरी द्वारा किया गया है।

5 हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ऑटो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग पर एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है। भारतीय तेल उद्योग को इस सीमांत क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के साथ सहक्रियात्मक रूप से और घनिष्ठ समन्वय में कार्य करना होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / तेउविबो द्वारा निम्नानुसार योगदान के साथ 100 करोड़ रुपए के एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है:

1	तेउविबो	–	40 करोड़ रुपए
2	ओएनजीसी, आईओसी, गेल	–	16 करोड़ रुपए प्रत्येक
3	एचपीसीएल, बीपीसीएल	–	6 करोड़ रुपए प्रत्येक

तेउविबो द्वारा एचसीएफ के खातों का रखरखाव किया जाता है । हाइड्रोजन परियोजनाओं की पहचान करने और उनकी निगरानी के लिए सीएचटी, नोडल ऐजेंसी है। स्थापना के बाद से 31 मार्च 2021 तक, ओआईडीबी ने एचसीएफ फंड में से एचसीएफ परियोजनाओं के वित पोषण के लिए 42.73 करोड़ रुपये का अनुदान सीएचटी को जारी किया है। 31.3.2021 तक एचसीएफ के पास 156.33 करोड़ रुपए (लगभग) का कुल कॉर्पस उपलब्ध हैं। एचसीएफ के अन्तर्गत चालू परियोजनाएं निम्नानुसार है:–

(रुपये करोड में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	एचसीएफ से अंशदान	एचसीएफ से 31.03.2021 तक जारी राशि	कार्यान्वयन एजेंसी
1.	प्राकृतिक गैस के उत्प्रेरक अपघटन द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन के अध्ययन और प्रक्रिया विकास को बढ़ावा देना	29.46	16.92	1.24	एचपीसीएल/ आईआईटीडी/ सीईएनएस

2.	सोलर आधारित हाइड्रोजन उत्पादन प्रणाली और हाइड्रोजन ईंधन सैल वाहन के लिए ईंधन भरने वाले वितरण स्टेशन	65.16 25.00 एचसीएफ 40.16 आईओसी	25.00	0.00	आईओसी (अनुसंधान एवं विकास)
3.	दिल्ली में राजघाट बस डिपो में हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी के उत्पादन की 4 टीपीडी क्षमता की कॉम्पैक्ट रिफॉर्मर यूनिट की स्थापना और परीक्षण का प्रदर्शन	33.39 9.20 एचसीएफ 9.20 आईओसी 15.00 दिल्ली सरकार द्वारा	9.20	7.64	आईओसी (अनुसंधान एवं विकास)
4.	बहुखंडीय मार्ग से उत्पादित हाइड्रोजन पर आधारित व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य ईंधन सैल बसों का विकास और प्रदर्शन	296.66	97.52	11.10	आईओसी (अनुसंधान एवं विकास)
	कुल	**424.67**	**148.64**	**19.98**	

अध्याय-05

तेउविबो का ऊर्जा सुरक्षा में योगदान

1. इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल)

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एसपीवी) के द्वारा 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक यह विशेष प्रयोजन व्यवस्था प्रारंभ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी थी। बाद में 09.05.2006 से यह तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। कैवर्न का निर्माण विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) स्थानों पर किया जा रहा है। तीन स्थानों नामतः विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), जहां भूविज्ञान की स्थिति अच्छी है। और वहां पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त के साथ 30 प्रतिशत अतिरिक्त भण्डारण किया जा सके। इससे विजाग की क्षमता 1 एमएमटी से बढ़कर 1.33 एमएमटी हो गई है, इन भंडारों में भारत की 9.5 दिनों के शुद्ध आयात की आवश्यकताओं के बराबर कच्चे तेल को भंडारित किया जा सकता है।

इस सामरिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण की पूँजीगत लागत का मूलतः सितम्बर, 2005 में 2397 करोड़ रुपये आँका गया जो अब संशोधन के बाद 4098.35 करोड़ हो गया। कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूँजी 31.03.02021 को क्रमशः 3832.56 करोड रुपये एवं 3775.87 करोड़ रुपये है। तेउविबो की आईएसपीआरएल में इक्विटी प्रतिभागिता 31.03.2021 तक 3775.87 करोड़ रुपये की है।

भूमिगत सामरिक गुफा का दृश्य

गुफा क्षेत्र के ऊपरी सतह का दृश्य

तेउविबो OIDB
तेल उद्योग विकास बोर्ड

5.1.1 आईएसपीआरएल चरण – I

इंडियन स्ट्रेटेजिक रिजर्वस (एसपीआर) कार्यक्रम के पहले चरण के तहत, आईएसपीआरएल के माध्यम से सरकार ने विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) जैसे तीन स्थानों पर कुल 5.33 एमएमटी की क्षमता के साथ एसपीआर सुविधाएं बनाई हैं। एसपीआर के चरण – I के कुल भंडार में वर्तमान में भारत की कच्चे तेल की आवश्यकता के लगभग 9.5 दिनों की आपूर्ति का अनुमान है।

सभी तीन सुविधाएं अर्थात् विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर क्रमशः जून 2015, अक्टूबर 2016 और दिसंबर 2018 में चालू की गई हैं। इन तीनों सुविधाओं को माननीय प्रधानमंत्री ने 10 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया था।

आईएसपीआरएल क्रूड को पहली बार अगस्त 2019 में आईएसपीआरएल मैंगलोर कैवर्न से मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोरसायन लिमिटेड (एमआरपीएल) के लिए जारी किया गया था। उसके बाद में अक्टूबर 2019 में पादुर सुविधा से भी एमआरपीएल को कच्चा तेल जारी किया गया।

कोविड–19 महामारी जिसने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और विश्व स्तर पर व्यापक लॉकडाउन हुआ था, जिसके कारण कच्चे तेल की मांग दुनिया भर में प्रभावित हुई हैं और भारत भी कोई अपवाद नहीं था। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में भारी कमी के परिणामस्वरूप रिफाइनरियों का संचालन न्यूनतम स्तर पर हुआ। इसके साथ–साथ कच्चे तेल की आपूर्ति असंतुलन पैदा हो गया, जिसने दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट देखी गई। कच्चे तेल की मौजूदा कम कीमतों का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने रणनीतिक भंडार को प्राथमिकता के आधार पर भरने का निर्णय लिया।

पादुर साइट पर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

इस संदर्भ में सरकार ने पहले पादुर में एक कंपार्टमेंट को भरने के लिए वर्ष 2020–21 के लिए बजटीय आवंटन से 690 करोड रुपए आवंटित किए थे। उसके बाद कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान प्रथम चरण में एसपीआरएस भरने के लिए 3184 करोड़ रुपए आवंटित किए।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी), बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल और एमआरपीएल को एसपीआरएस में क्रूड भरने की सलाह दी। मंगलौर और पादुर के लिए लगभग 16.37 मिलियन बैरल और विशाखापट्टनम के लिए 0.34 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खरीद की गई, इस प्रकार एसपीआर को भरने के लिए कुल 16.71 मिलियन बैरल खरीदा गया। तीनों स्थानों पर रणनीतिक भंडार अप्रैल और मई 2020 के दौरान पूरी तरह से भरे गए थे, और कुछ मात्रा अक्टूबर 2020 में भरी गई थी।

खरीद की औसत लागत 19 डॉलर/बैरल थी, जबकि जनवरी 2020 में वर्ष की शुरुआत में 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। इसके परिणामस्वरुप भारत सरकार को 5069 करोड़ रुपए (685.11 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की भारी बचत हुई।

पादुर साइट पर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय विस्तृत जानकारी लेते हुए

5.1.2 एडीएनओसी के साथ समझौता

10 फरवरी 2018 को एडीएनओसी और आईएसपीआरएल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें एडीएनओसी को मंगलौर में एक कंपार्टमेंट का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। समझौते के अनुसार, एडीएनओसी ने आईएसपीआरएल के मैंगलोर कैवर्न में लगभग 5.8 मिलियन बैरल क्रूड का भंडारण किया। एडीएनओसी इस तेल के एक हिस्से का उपयोग भारत में अपने ग्राहकों को वाणिज्यिक आपूर्ति के रूप में कर सकता है, जबकि शेष प्राकृतिक आपदा या भू–राजनीतिक कारकों के कारण आपूर्ति अवरोधों जैसी आपात स्थितियों में जारी किए जाने वाले रणनीतिक भंडारण के रुप में रहेगा। मंगलौर सुविधा में 0.75 एमएमटी प्रत्येक के दो कंपार्टमेंट अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) को दिए गए हैं।

आईएसपीआरएल के मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में 'एडीएनओसी मॉडल' में संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें वर्तमान में लागू मौजूदा 65:35 से 50:50 आधार अर्थात् 50 प्रतिशत रणनीतिक, 50 प्रतिशत वाणिज्यिक भंडारण पर एडीएनओसी को कैवर्न दी जा सकती हैं।

5.1.3 आईएसपीआरएल सुविधाओं का वाणिज्यिक उपयोग

एडीएनओसी के अनुरोध पर आईएसपीआरएल ने एडीएनओसी और आईएसपीआरएल के बीच समझौते की शर्तों के अनुसार 11–13 दिसंबर 2019 को एचपीसीएल, विजाग को लगभग 8,68,000 बैरल दास ग्रेड कच्चे तेल वाली पहली वाणिज्यिक खेप को सफलतापूर्वक लोड किया। इसके बाद एडीएनओसी ने एसपीआर से एमआरपीएल और बीपीसीएल को क्रूड की खेप बेची और अनुबंध शर्तों के अनुसार इसका पुनः भराव किया।

अध्याय-06

अन्य पहल/गतिविधियां

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों का कल्याण

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और दिव्यांगों व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तत्संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करती है । आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए तेउविबो में एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है । सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टरों का रखरखाव किया जा रहा है और इन्हें संपर्क अधिकारी द्वारा जांचा जाता है । इसके अलावा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग जन के आरक्षित कोटे के उनके रोजगार में किसी प्रकार का बैक लॉग अथवा कमी नहीं है । वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़न अथवा भेदभाव संबंधी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

2. महिलाओं का कल्याण और सशक्तिकरण

तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) लैंगिक मुद्दों से निपटने तथा महिला सशक्तिकरण के कार्य को बढ़ावा देने में सक्रिय है। "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" की सुनवाई और शिकायतों का निवारण करने हेतु तेउविबो द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, तेउविबो में कुल 16 कर्मचारियों में 3 महिलाकर्मी हैं।

3. सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

तेउविबो ने राजभाषा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों को अपने सचिवीय कार्यालय में कार्यान्वित किया है। तेउवि बोर्ड सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। तेउविबो, आधिकारिक कार्य में राजभाषा कार्यान्वयन को संवर्धित करने में सदा प्रयासरत रहा है। तेउविबो के सभी नियम/समझौता ज्ञापन/करार द्विभाषी हैं। राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के क्रम में, तेउविबो में सचिव (तेउविबो) महोदय की अध्यक्षता में एक आधिकारिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यरत है। यह समिति तेउविबो में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। तेउविबो पहले ही राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राजभाषा हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए :

- हिन्दी दिवस के अवसर पर तेउविबो में 14.09.2020 से 28.09.2020 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान बोर्ड के कर्मचारियों को उनके कार्यों को हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे आशुव्याख्यान, भाषा ज्ञान, एक मिनट प्रश्नोत्तरी, निबन्ध, दोहा प्रतियोगिता आयोजित की गईं।

- तेउविबो ने अपनी अंतर्गृहीय वार्षिक पत्रिका "अनुभूति" का प्रकाशन जारी रखा तथा ओआईडीबी के स्थापना दिवस (13 जनवरी 2021) के अवसर पर इसके 17वें अंक का ई-पत्रिका के रूप में विमोचन किया गया। इस पत्रिका में साहित्य, कविता, धार्मिक विषय एवं सामाजिक संस्मरणों से संबंधित विषयों का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य आधिकारिक भाषा में लेखन कार्य के साथ इसके प्रति रूचि उत्पन्न करना है। पत्रिका को तेल क्षेत्र के उपक्रमों तथा ओआईडीबी के अनुदानी संगठनों में प्रसारित किया जाता है।

4. राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) को वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए 'क' क्षेत्र में स्थित बोर्ड और स्वायत्त निकायों आदि के बीच उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

यह पुरस्कार, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह जी द्वारा 14 सितम्बर, 2021 को हिन्दी दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रदान किया गया।

तेल उद्योग विकास बोर्ड की ओर से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह जी से पुरस्कार प्राप्त करते हुए डॉ. निरंजन कुमार सिंह, सचिव तेल उद्योग विकास बोर्ड

- वर्ष के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड वर्ष 2021 का ई–कैलेन्डर भी जारी किया गया।

5. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहः–

तेल उद्योग विकास बोर्ड में 21 जून 2020 को "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020" का ऑनलाइन आयोजन, तेउविबो, भवन, नोएडा में किया गया। तेउविबो भवन नोएडा में स्थित अनुदानी संस्थाओं के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" में भाग लिया।

6. 46वां स्थापना दिवस समारोह

तेल उद्योग विकास बोर्ड में 13 जनवरी 2021 को अपना 46वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में तेउविबो के सभी अधिकारी, कर्मचारी और नोएडा में स्थित अनुदानी संस्थाओं के कार्मिक तेउविबो भवन, में उपस्थित थे। स्थापना दिवस के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन तेउविबो भवन, नोएडा के सभागार में किया गया।

7. स्वच्छता पखवाड़ा समारोह

तेल उद्योग विकास बोर्ड ने दिनांक 01.07.2020 से 15.07.2020 के दौरान "स्वच्छता पखवाड़ा" मनाया गया पखवाड़े के दौरान तेउविबो में स्वच्छता पर शपथ, स्वच्छता पर व्याख्यान, "प्लास्टिक का उपयोग ना करें" विषय पर व्याख्यान और स्वच्छता किट का वितरण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जागरुकता अभियान तथा गतिविधियों की समीक्षा आदि का आयोजन किया गया।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को तेउविबो में अक्षरशः लागू किया गया है। ओआईडीबी पहले से ही डीओपीटी की आरटीआई पोर्टल से जुड़ी हुई है जहां आरटीआई आवेदन ऑनलाइन प्राप्त/हस्तांतरित व निस्तारित किये जाते है। सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 5 तथा 19 के उपबन्धों के अनुसार वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, उप मुख्य वित एवं लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) एवं अनुभाग अधिकारी क्रमशः पारदर्शिता अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी नोडल अधिकारी तथा जन सूचना अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं ।

वर्ष 2020–21 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 11 अभ्यावेदन/प्राप्तियां तेल उद्योग विकास बोर्ड में प्राप्त हुए। प्राप्त हुए इन सभी 11 अभ्यावेदनों/प्राप्तियों के प्रत्युत्तर निर्धारित समय सीमा में प्रेषित कर दिए गए।

अध्याय-07

वार्षिक लेखे

2020–21

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2021 की यथास्थिति को तुलन पत्र

(रुपये लाख में)

कॉपर्स / पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कॉपर्स / पूंजीगत निधि	1	90240	90240
आरक्षित एवं अधिशेष निधियॉं	2	1099769	1092349
चिन्हित / अक्षय निधि	3	-	-
जमानती ऋण एवं उधार	4	-	-
गैर जमानती ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित जमा देनदारियॉं	6	-	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	8829	11689
योग		**1198838**	**1194278**
परिसम्पतियॉं			
अचल परिसम्पतियॉं (नेट ब्लॉक)	8	7638	8347
प्रगतित कार्य	8	50	50
निवेश – चिन्हित / अक्षय निधि	9	-	-
निवेश – अन्य	10	382621	382621
चालू परिसम्पतियॉं, ऋण, अग्रिम आदि	11	808530	803260
विविध खर्चे			-
(जिन्हें बट्टे खाते मे डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
योग		**1198838**	**1194278**
लेखा संबंधी विशेष नितियॉं	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखो पर टिप्पणियॉं	26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

(गौतम सेन)
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ निरंजन कुमार सिंह
सचिव

दिनांक: 12.08.2021
स्थान: नई दिल्ली

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(रुपये लाख में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान / सब्सिडी	13	-	-
फीस / अभिदान	14	-	-
निवेश से आय	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय	16	369	969
अर्जित ब्याज	17	54866	53900
अन्य आय	18	794	3508
तैयार माल एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में बढोत्तरी / (कमी)	19	-	-
योग (क)		**56029**	**58378**
व्यय			
संस्थापन खर्च	20	385	480
अन्य प्रशासनिक खर्चे आदि	21	1095	1142
अनुदान, सब्सिडी आदि पर खर्च	22	40738	32890
भुगतान किया गया ब्याज	23	-	-
राज्य सरकारों को रॉयल्टी	24	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त में अनुसूची 8 के अनुसार निवल योग)	8	704	784
योग – ख		**42922**	**35296**
खर्च पर आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		13107	23082
घटाएः आयकर के लिए प्रावधान		5687	8240
विशेष आरक्षित निधि में स्थानानतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		-	-
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानान्तरण		-	-
आधिक्य के शेष को कॉपर्स / पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित		7420	14842
विशेष लेखा नीतियाँ	25		
फुटकर देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियाँ	26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

(गौतम सेन)
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

डॉ निरंजन कुमार सिंह
सचिव

दिनांकः 12.08.2021
स्थानः नई दिल्ली

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2021 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रुपये लाख में)

अनुसूची 1 – कॉपर्स / पूँजीगत निधि	चालू वर्ष		गत वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में शेष		90240		90240
जोडेः कॉपर्स / पूंजीगत निधि में योगदान			-	
जोडें / (घटाएं): आय एवं व्यय खाते से निवल आय (खर्च) के शेष की स्थानान्तरित राशि			-	
वर्ष के अन्त में शेष		**90240**		**90240**

(रुपये लाख में)

अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष निधियाँ	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. पूंजीगत आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार	-		-	-
वर्ष के दौरान जमा	-		-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी			(-)	(-)
2. पुनः मूल्यांकन आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार	-		-	-
वर्ष के दौरान जमा	-		-	-
घटाएं वर्ष के दौरान कमी	(-)		(-)	(-)
3. विशेष आरक्षित निधि				
गत लेखो के अनुसार	-		-	-
वर्ष के दौरान जमा	-		-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	(-)		(-)	(-)
4. सामान्य आरक्षित निधि				
विगत लेखो के अनुसार		1092349		1077552
वर्ष के दौरान जमा / परिवर्धन / अपमार्जन				
(i) व्यय पर आय से अधिक्य	7420		14842	
(ii) घटाएं: कर प्रावधान आदि का समायोजन	0	7420	45	14797
कुल योग		**1099769**		**1092349**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(रुपये लाख में)

अनुसूची 3 – चिन्हित / अक्षय निधि	विविध निधियों का विवरण					योग	
	निधि	निधि	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) निधि का प्रारंभिक शेष							
(ख) निधि में परिवर्धन							
(i) दान/अनुदान					शून्य		
ii) निधि के निवेश से आय							
(iii) अन्य परिवर्धन (प्रकार का उल्लेख करें)							
योग (क+ख)							
(ग) निधि के उद्देश्य के प्रति उपयोग/खर्च							
(i) पूँजीगत खर्चे							
- अचल परिसम्पत्तियां							
- अन्य							
योग :					शून्य		
(ii) राजस्व खर्चे							
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि							
- किराया							
- अन्य प्रशासनिक खर्चे							
योग:							
योग (ग)	-	-	-	-		-	-
वर्ष के अन्त में निवल शेष (क+ख–ग)			-	-	-	-	-

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2021 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

अनुसूची 4 . आरक्षित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
क) आवधिक ऋण		
ख) अर्जित एवं प्राप्य ब्याज		
4. बैंक		
क) आवधिक ऋण	शून्य	
- अर्जित एवं प्राप्य ब्याज		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
- अर्जित एवं प्राप्य ब्याज		
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
अन्य (उल्लेख करें)		
योग		

टिप्पणी:– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि।

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2021 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

अनुसूची 5 – अनारक्षित ऋण एवं उधार	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	शून्य	
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक:		
(क) आवधिक ऋण		
(ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी		
6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
7. सावधि जमा		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
योग:		
टिप्पणी:– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि		

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2021 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

अनुसूची 6 अस्थगित जमा देनदारियाँ	चालू वर्ष	गत वर्ष
(क) पूंजीगत उपकरण एवं अन्य परिसम्पत्तियों के बंधक रखने पर प्राप्त स्वीकृतियाँ	शून्य	
(ख) अन्य		
योग:		
टिप्पणी:– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि		

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2021 को यथास्थिति का तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

अनुसूची 7– चालू देयताएं एवं प्रावधान	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियाँ				-
2. विविध लेनदार				
क) माल के लिए			-	
ख) अन्य			-	-
3. प्राप्त अग्रिम				-
4. उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं:				
क) जमानती ऋण/उधार			-	
ख) गैरजमानती ऋण/उधार			-	
5. सांविधिक देयताएं:				
क) अतिशोध्य			-	
ख) अन्य			-	
6. अन्य चालू देयताएं				
क) राज्य सरकारों तथा अन्य को रॉयल्टी का भुगतान	0		0	
ख) आय कर/टीडीएस/वर्कस कॉन्ट्रेक्ट देय कर	11		10	
ग) ठेकेदारों को देय	178		220	
घ) अन्य (i) बकाया रु. 58 लाख	-		-	
(ii) अन्य बिल– रु. 2705 लाख	-		-	
(iii) अन्य – रु. 28 लाख	2791		2960	
ङ) प्रतिभूति जमा ईएमडी के साथ	107		107	
च) रूकी हुई राशि मजदूरी उपकर के साथ दर (ठेकेदारों को देय)	38	3126	47	3344
योग (क) :		**3126**		**3344**
(ख) प्रावधान				
1. करों के लिए		5602		8240
2. ग्रेच्यूटी		-		-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		-		-
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण		97		101
5. व्यापार वारंटी/दावे		-		-
6. अन्य–लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का प्रावधान		4		4
योग (ख) :		**5703**		**8345**
योग (क + ख) :		**8829**		**11689**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2021 को यथास्थिति का तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

अनुसूची 8– स्थाई परिसम्पत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
विवरण	1.4.2020 से आरंभ वर्ष में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31.3.2021 वर्ष के अन्त में लागत/मूल्यांकन	1.4.2020 से वर्ष के आरम्भ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31.3.2021 को समाप्त वर्ष के अन्त में कुल योग	31.3.2021 को चालू वर्ष के अन्त में	31.3.2020 को पूर्व वर्ष के अन्त में
क. स्थाई परिसम्पतियां										
1. भूमि:										
क) पूर्ण स्वामित्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) पट्टे पर		0	0	0	0	0	0	0	0	0
द्वारका भूमि	995	0	0	995	0	0	0	0	995	995
नोएडा भूमि	946	0	47	899	135	20	7	148	751	811
2. भवन:										
क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) पट्टे वाली भूमि पर	10181	47	0	10228	5793	444	0	6237	3991	4388
ग) स्वामित्व मकान/परिक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) भूमि पर निर्माण जो संगठन से संबंधित नहीं है	32	0	0	32	21	1	0	22	10	11
3. प्लॉट मशीनरी एवं उपकरण	2955	0	0	2955	2195	114	0	2309	646	758
4. वाहन	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0
5. फर्नीचर, फीक्सर्च	3171	0	0	3171	1817	135	0	1952	1219	1355
6. कार्यालय उपकरण	62	3	0	65	47	2	0	49	16	14
7. कम्प्यूटर/बाह्य उपकरण	70	0	1	70	61	4	0	65	5	8
8. विद्युत संस्थापन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ट्यूब वैल तथा पानी की आपूर्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. अन्य स्थिर परिसम्पतियाँ	27	0	0	27	21	1	0	22	5	6
चालू वर्ष का योग:	18444	49	48	18446	10095	720	7	10808	7638	8347
गत वर्ष:	18426	15	1	18441	9177	918	0	10095	8347	9248
ख. **पूंजीगत चालू कार्य**	50	0		50	0	0	0	0	50	50

* नोएडा भूमि लीज का ऋण चुकाने के लिए 2006–07 से प्रावधान

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2021 को यथास्थिति का तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

अनुसूची 9– चिन्हित/अक्षय निधि से निवेश	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर		
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		
5. नियंत्रित तथा संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें)		
योग:		

(रुपये लाख में)

अनुसूची 10– अन्य निवेश	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
बीको लॉरी लिमिटेड	5034	5034
4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र		-
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम (आईएसपीआरएल)	377587	377587
6. अन्य (उल्लेख करें)		-
योग:	**382621**	**382621**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2021 को यथास्थिति का तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

अनुसूची 11– चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क. चालू परिसम्पत्तियाँ:				
1. इन्वेनटरी:				
क) स्टोर एवं स्पेयर	-		-	
ख) खुले उपकरण	-		-	
ग) स्टॉक– इन–ट्रेड				
तैयार माल	-		-	
प्रगति कार्य	-		-	
कच्चा माल	-		-	
2. फुटकर देनदारी:				
क) छः महीने से ज्यादा बकाया देनदारियाँ	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. कुल नकद शेष (इसमें चैक/ड्राफ्ट/ अग्रदाय सहित)	0		0	0
4. बैंक शेष:				
क) अधिसूचित बैंको के पास:				
- चालू खातों पर	-		-	
- जमा खातों पर (एफडीआर में)	10405		15100	
- बचत खातों पर	66	10471	8589	23689
ख) अनाधिसूचित बैंको के पास:				
- चालू खातों पर	-		-	
- जमा खातों पर	-		-	
- बचत खातों पर	-	-	-	-
5. डाक घर– बचत खाते		-		-
योग (क) :		10471		23689

तेल उद्योग विकास बोर्ड
तेउविबो OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2021 को यथास्थिति का तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

अनुसूची 11– चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		गत वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ				
1. ऋण:				
क) स्टाफ	9		10	
ख) तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयों (अनुलग्नक–II)	762109		744904	
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-		-	
		762118		744904
2. अग्रिम एवं अन्य राशियाँ जो कि नकद या अन्य प्रकार से प्राप्य हैं				
क) पूंजीगत खातों पर (आईएसपीआरएल को अग्रिम तथा संघटन अग्रिम)	0		0	
ख) अग्रिम किराया	218		218	
ग) अन्य (इसमें अग्रिम कर, टीडीएस तथा एम एम सैल, प्रतिभूति जमा)	22666	22884	21268	21486
3. उपार्जित आय:				
क) चिन्हित/अक्षय निधि में निवेश	-		-	
ख) अन्य–निवेश	11		57	
ग) ऋण एवं अग्रिम -	2819		2820	
घटाएं: संदिग्ध ऋणों का प्रावधान (पूर्व वर्षों में किया)	2711		2711	
घ) अन्य (डीजीएच से डेटा बिक्री)	0	119	12	178
4. वसूली योग्य दावे				
i) (विरोध के तहत भुगतान किया गया कर)	12896		12897	
ii) प्राप्य राशि	42	12938	95	12993
योग (ख) :		798059		779571
योग (क+ख) :		808530		803260

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2021 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूची

(रुपये लाख में)

अनुसूची 12– बिक्री/ सेवाओं से आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. बिक्री से आय	शून्य	
क) तैयार माल की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) खंडित माल की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूरी एवं प्रक्रिया प्रभार		
ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं		
ग) ऐजेंसी कमीशन तथा दलाली		
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/सम्पत्ति)		
ड.) अन्य (उल्लेख करें)		
योग:		

अनुसूची 13 – अनुदान/सहायता	चालू वर्ष	गत वर्ष
(अवसूलीय अनुदान तथा प्राप्त सहायता)	शून्य	
1) केंद्रीय सरकार		
2) राज्य सरकारें		
3) सरकारी एजेंसियाँ		
4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय		
5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (उल्लेख करें)		
योग:		

तेल उद्योग विकास बोर्ड
तेउविबो OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.3.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

अनुसूची 14 – शुल्क/अभिदान			चालू वर्ष	गत वर्ष
1. प्रवेश शुल्क			शून्य	
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान				
3. सेमीनार/कार्यक्रम शुल्क				
4. परामर्शदाता शुल्क				
5. अन्य (उल्लेख करें)				
योग:				

(रुपये लाख में)

अनुसूची 15 – निवेशों से आय	चिन्हित निधियों से निवेश		निवेश–अन्य	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
(चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	शून्य			
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र				
2. लाभांश :				
क) शेयरों पर				
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3. किराया				
4. अन्य				
योग:				
चिन्हित/अक्षय निधियों में स्थानांतरण				

तेल उद्योग विकास बोर्ड

दिनांक 31.3.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री आदि से आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. रायल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य–डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय	369	969
योग:	**369**	**969**

अनुसूची – 17 अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सावधि जमा पर:		
क) अधिसूचित बैंकों के पास (सावधि जमा)	425	12050
ख) अनाधिसूचित बैंकों के पास	-	-
ग) संस्थानों के पास	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातो पर:		
क) अधिसूचित बैंकों के पास	16	16
ख) अनाधिसूचित बैंकों के पास	-	-
ग) डाक घर बचत खाते	-	-
घ) अन्य		18
3. ऋणों पर:		
क) कर्मचारी/स्टॉफ	0	1
ख) तेल कम्पनियॉं	53516	41816
4. देनदारी तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		
क) चल अग्रिम पर ब्याज		0
ख) आय कर विवरणी पर ब्याज	909	0
योग:	**54866**	**53900**
टिप्पणी–स्रोत पर कर कटौती का उल्लेख करें।	**4086**	**5437**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

दिनांक 31.3.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
क) स्वयं खरीदी गई परिसम्पत्तियॉं	-	-
ख) प्राप्त अनुदान से खरीदी गई या मुफ्त में प्राप्त परिसम्पत्तियां	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध के लिए शुल्क	-	-
4. पूर्व अवधि की आय	0	0
5. विविध आय (i) किराए से आय - रू. 308.49		
(ii) बिना खर्च हुए अनुदानों आदि की वापसी रू. 463.74	794	3508
(iii) विविध तुलनों की लिखित वापसी रू. 22.00		
योग:	**794**	**3508**

अनुसूची 19 – तैयार माल या चालू कार्यों के भंडार में वृद्धि/कमी	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) अन्तिम स्टॉक	शून्य	
- तैयार माल		
- कार्य प्रगति		
ख) घटाएं : आरम्भिक स्टॉक		
- तैयार माल		
- कार्य प्रगति		
निवल जमा (घटा) (क + ख)	-	-

अनुसूची 20– स्थापना खर्चे	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	298	239
ख) भत्ते एवं बोनस	6	11
ग) भविष्य निधि में अंशदान	0	0
घ) तेउविबो कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्यूटी तथा पेंशन निधि में अंशदान	55	180
ङ.) चिकित्सा खर्चों सहित कर्मचारी कल्याण खर्चे	25	41
च) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति तथा सेवान्त लाभ	0	8
छ) अन्य	1	1
योग:	**385**	**480**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

दिनांक 31.3.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

अनुसूची 21– अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		चालू वर्ष	गत वर्ष
क) क्रय		0	0
ख) मजदूरी तथा संसाधित खर्च		0	0
ग) गाड़ी तथा भाड़ा		0	0
घ) विद्युत तथा बिजली		370	424
ङ) जल प्रभार		1	2
च) बीमा		11	5
छ) मरम्मत एवं रखरखाव		151	160
ज) उत्पाद कर		0	0
झ) किराया, दरें तथा कर		25	25
ञ) गाड़ियों का चालन एवं रखरखाव		22	18
ट) डाक, तार एवं दूरभाष प्रभार		7	7
ठ) मुद्रण तथा लेखा सामग्री		5	6
ड) विविध खर्च		6	3
ढ) सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं पर खर्च		6	6
ण) अभिदान खर्चे		0	0
त) शुल्क पर खर्चे		0	0
थ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		4	0
द) आतिथ्य खर्चा		0	0
ध) व्यावसायिक प्रभार		74	51
न) संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान		0	0
प) बट्टे खाते में डाले गए अवसूलीय खर्चे		0	0
फ) पैकिंग प्रभार		0	0
ब) माल भाड़ा तथा अग्रेषण खर्चे		0	0
भ) संवितरण खर्चे		0	0
म) विज्ञापन तथा प्रचार		2	2
य) अन्य –(पूर्व अवधि व्यय)	9	410	434
अन्य	401		
योग:	**410**	**1095**	**1142**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

दिनांक 31.3.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

(रुपये लाख में)

अनुसूची 22 – अनुदान, सहायता आदि पर व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान (अनुलग्नक III–ए)	40143	32255
ख) सरकार/तें.उ.वि.बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजना एवं परियोजनाओं के लिए सहायता (अनुलग्नक III–बी)	595	635
योग:	**40738**	**32890**
टिप्पणी–अनुलग्नक III (ए) तथा (बी) में कंपनी का नाम, उन्हें दी गई अनुदान/सब्सिडी राशि इंगित की गई है।		

अनुसूची 23– भुगतान किया गया ब्याज	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) स्थाई ऋणों पर	0	0
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार के साथ)	0	0
ग) अन्य	0	0
योग	**0**	**0**

अनुसूची 24– राज्य सरकारों को रॉयल्टी का भुगतान	चालू वर्ष	गत वर्ष
अरूणाचल प्रदेश सरकार	0	0
गुजरात सरकार	0	0
योग	**0**	**0**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–25 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखाकरण व्यावहारिक रीति

वित्तीय विवरणपत्र, अनुदान सहायता को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर बनाये जाते हैं। अनुदानों का जिस वर्ष में भुगतान किया जाता है, उसी में इन्हें खर्च किया गया समझा जाता है और तदानुसार इन्हें राजस्व खर्चों में दर्शाया जाता है।

2. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत मूल्य पर लिए गए हैं। इन निवेशों की लागत दर्शाते समय उनमें अस्थाई आधार पर छोड़कर, मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है।

3. स्थाई परिसम्पत्तियाँ

स्थाई परिसम्पत्तियाँ के मूल्य में अभिग्रहण की लागत जिसमें अधिभार तथा कर तथा अभिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष खर्चे सम्मिलित हैं। निर्माण संबंधित परियोजनाओं में पूर्व–प्रचालित खर्चे पूंजीगत की जाने वाली आस्तियों के अंग बनते हैं।

4. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित दरों के आधार " मूल्यह्रास पद्धति" के अनुसार किया जाता है। स्थाई आस्तियों में वर्ष के दौरान हुई बढ़ोत्तरी/कमी के लिए मूल्यह्रास आयकर नियमों के आधार पर लिया जाता है। रूपये 5,000 या उससे कम कीमत की आस्तियों को पूर्ण रूप से समायोजित कर किया गया है।

5. सरकारी अनुदान/सब्सिडी –

अनुदान, विभिन्न राज्य सरकारों/प्रचालकों को देय रॉयल्टी को छोड़कर, यदि कोई हो, जिसका भुगतान सरकार के आदेशानुसार किया जाता है, नकद के आधार पर लेखागत किया जाता है।

6. आय

व्यवहार्य परिसम्पतियों पर ब्याज एवं अन्य आय की गणना देय आधार पर होती है जबकि अव्यवहार्य परिसम्पत्तियों पर यह गणना उनकी प्राप्ति आधार पर होती है। व्यवहार्य परिसम्पतियाँ वह हैं जिन पर आय 90 दिन के बाद अदेय नहीं रहती है। अनुदान के एवज में प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर है।

7. विदेशी मुद्रा विनिमय

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन का लेखीकरण भुगतान किये जाने वाले दिन की विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

8. लीज़

लीज़ शर्तों के सन्दर्भ में लीज़ किराये को व्यय में दर्शाया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 तेउवि बोर्ड ने अपने वर्तमान कार्मिकों की पिछली सेवाओं की देयताओं के संरक्षण के लिए दो ट्रस्ट नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवा निवृत्ति योजना" की स्थापना की। योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से वास्तविक मूल्याकंन के आधार पर की जा रही है।

9.2 कर्मचारियों द्वारा संचित छुट्टियों के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि का प्रावधान किया जाता है तथा इसकी गणना इस अवधारणा पर की जाती है कि कर्मचारी हर वर्ष के अन्त में उसका लाभ–प्राप्त करने का हकदार है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड
तेउविबो OIDB

तेल उद्योग विकास बोर्ड

मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

अनुसूची–26 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं:–

(क) 31 मार्च 2020 को रुपये 7.18 लाख की तुलना में 31 मार्च 2021 को ट्रेसेस (TRACES) (आयकर विभाग) से डाउनलोडेड डिफॉल्ट सारांश के आधार पर टीडीएस खातों के बकाया दावे 8.95 लाख रुपये है।

(ख) विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के लिए आयकर, जिसके विरूद्ध विभिन्न प्राधिकरणों के पास अपीलें लंबित है, का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	धारा 271(1) (सी) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	मामले की स्थिति	धारा 143(3) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	मामले की स्थिति
1	2005-06	1.76	विभाग द्वारा लगाया गया जुर्माना माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा लेखा अधिकारी को पुनः निर्धारण का आदेश दिया है।	-	
2	2006-07	1.85		-	
3	2007-08	1.40		-	
4	2008-09	4.52	सीआईटी (ए) के समक्ष अपील लंबित	5.63	मामला आईटीएटी द्वारा एओ को बहाल किया गया है और आज तक कोई अन्य नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।
5	2010-11	22.77	सीआईटी (ए) के समक्ष अपील लंबित	28.97	मामला आईटीएटी द्वारा एओ को बहाल किया गया है और आज तक कोई अन्य नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।
6	2011-12	28.54	-	0.00	आईटीएटी द्वारा एओ को मामले से अलग रखा गया है
7	2012-13		-	20.51	आईटीएटी द्वारा राजस्व अपील खारिज कर दी गई है।
8	2013-14		-	3.85	सीआईटी (ए) के समक्ष अपील लंबित
9	2014-15		-	14.71	सीआईटी (ए) के समक्ष अपील लंबित
10	2017-18		-	35.90	सीआईटी (ए) के समक्ष अपील लंबित
	कुल योग	59.08		109.57	

इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिए, आयकर विभाग की अपील आईटीएटी के समक्ष निर्धारण अधिकारी के लिए अलग रखी गई है जिसके लिए 17.74 करोड़ रूपये की आकस्मिक देनदारी है।

(ग) ओआईडीबी के खिलाफ मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (गोदरेज) द्वारा ओआईडीबी भवन के

जी+3 ब्लॉक के आंतरिक कार्यों के लिए जारी कार्य आदेश में उल्लिखित राशि से कम भुगतान और कटौती के संबंध में रुपये 180.41 लाख का मध्यस्थता दावा दायर किया गया। उक्त मध्यस्थता मामले में, ओआईडीबी ने मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द्वारा काम पूरा करने में देरी होने से किराए के नुकसान, जिसमें रखरखाव और बिजली शुल्क भी शामिल है, के लिए रू0. 384 लाख का प्रति दावा दायर किया।

मध्यस्थ ने 30.01.2021 के निर्णय द्वारा गोदरेज के 62.78 लाख रूपये के दावे को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ सहमति प्रदान की और ओआईडीबी के प्रति दावे पर विचार करने से इन्कार कर दिया। ओआईडीबी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दिए गए निर्णय को चुनौती दी। हालांकि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय आदेश दिनांक 16.09.2019 के द्वारा गोदरेज को दी गई राशि को बरकरार रखा और आगे कहा कि ओआईडीबी के प्रतिदावे पर विचार किए बिना उसे खारिज नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय ने ओआईडीबी को कानून के तहत अपने प्रतिदावे को आगे बढ़ाने की सहमति दी। तदानुसार, ओआईडीबी ने मध्यस्थ से ओआईडीबी के प्रतिदावे की सम्पूर्ण राशि को समायोजित करने का अनुरोध किया।

हालांकि, गोदरेज ने इसके साथ-साथ ओआईडीबी द्वारा राशि जारी करने के लिए अदालत में एक आवेदन दायर किया है। ओआईडीबी द्वारा उक्त याचिका का इस आधार पर विरोध किया जा रहा है कि गोदरेज को जारी की जाने वाली राशि का निर्धारण ओआईडीबी को दावे के मध्यस्थ द्वारा निपटाए जाने के बाद ही होगा।

2. वचन बद्धताएँ

पूंजीगत

क) भुगतान के लिए रूपये 119 लाख (लगभग) के अन्तिम बिलों पर, पीएमसी और ठेकेदारों से स्पष्टीकरण के अभाव में उन पर विचार नहीं किया गया है।

ख) तेउविबो ने मार्च 2021 के अंत तक मैसर्स इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को कोई भी राशि (गत वर्ष 377587 लाख) इक्विटी के रूप में निवेश के लिए नहीं दी हैं। कंपनी पहले ही तेउविबो के डीमैट खाते में रूपये 37758746700 लाख के 3775746700 शेयर, 10/– रूपये प्रति प्रमाणपत्र आवंटित कर जारी कर चुकी है।

3. चालू परिसम्पतियाँ, ऋण तथा अग्रिम

क) सरकार के निर्देशानुसार, बीको लॉरी लिमिटेड को दिये गये रूपये 32.76 करोड़ के ऋण को कंपनी में तेउविबो की इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शेयर प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा चुका है। इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के पश्चात् बीको लॉरी लिमिटेड में तेउविबो की कुल इक्विटी रूपये 17.58 करोड़ से बढ़कर रूपये 50.34 करोड़ हो गई है, जो कि कंपनी की कुल इक्विटी का 67.33% है।

सीसीईए ने रूपये 59.60 करोड़ के संचित घाटे को समाहित कर बीएलएल की इक्विटी पूंजी को रूपये 74.76 करोड़ से घटाकर रूपये 15.16 करोड़ करने की स्वीकृति भी दी है। बीएलएल की इक्विटी में कमी से तेउविबो को रूपये 40.13 करोड़ का नुक्सान होगा क्योंकि रूपये 50.34 करोड़ रूपये की तेउविबो की इक्विटी 4.93:1 के अनुपात में घटकर रूपये 10.21 करोड़ हो जाएगी।

बीएलएल द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत मामले को संकलित कर लेने के पश्चात् तेउविबो, बीएलएल में इक्विटी पूंजी की कमी के कारण होने वाले तेउविबो के घाटे को बट्टे खाते में डालने के लिए तेउविबो/केन्द्रीय सरकार के समक्ष ले जाएगा। केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के पश्चात् हानि को आईसीएआई के लेखा मानक–13, के अनुसार तेउविबो के लेखा खातों में दर्शा दिया जाएगा।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2018 को सीसीईए द्वारा दिए गये अनुमोदन के अनुसार, तेल उद्योग विकास बोर्ड ने सामान्य नियम एवं शर्तों में रियायत देते हुए बीएलएल को रुपये 86.65 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया, जिससे बीएलएल के बंद होने के कारण उत्पन्न देयताए जैसे वीआरएस की लागत, सांविधिक देयताओं का भुगतान जैसे बीएलएल कर्मचारियों का बकाया वेतन, आकस्मिक देयतायें आदि प्रदान की जा सके। रुपये 86.65 करोड़ में से, ओआईडीबी ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 71.77 करोड़ रुपये एवं वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 14.88 करोड़ रुपये बीएलएल को जारी किए हैं। कंपनी बंद करने के बाद बीएलएल की चल/अचल परिसंपत्तियों की बिक्री की राशि, प्राप्त होने के बाद ही आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, ओआईडीबी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 27.05 करोड़ रुपये प्राप्त हुए (बीएलएल की बंद गतिविधियों के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से अभिरक्षक के रूप में)। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से इसके उपयोग संबंधी सलाह का इंतजार है।

ख) केनफिना से 2443 लाख रूपये तथा बीको लॉरी लिमिटेड से 268 लाख रूपये से वसूले जाने वाले ब्याज के लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया गया है। यूटीआई 1964 योजना यूनिट के तहत प्रतिभूतियों से संबंधित केनफिना मामलों पर मुकदमेंबाजी चल रही है। चूंकि इस राशि की वसूली अभी भी संदिग्ध है, अतः मौजूदा लेखा अभ्यास के अनुसार इसे पहले ही संदिग्ध कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

ग) तेउविबो द्वारा निर्णय लिया गया है कि अपने अनुदानी संस्थानों से कोई किराया तथा रखरखाव प्रभार नहीं लिया जाएगा इसलिए अनुदानी संस्थानों से न तो कोई वसूली की गई और न ही अनुदानी संस्थानों से किराया या रखरखाव प्रभार के अन्तर्गत लेखों में वसूली योग्य कोई राशि दर्शायी गई है। आईएसपीआरएल, तेउविबो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को भी किराए के भुगतान से मुक्त रखा गया है।

घ) तेउविबो द्वारा वर्ष के दौरान किए गए दूरभाष, सुविधा प्रबंधन, विद्युत तथा डीजल प्रभार आदि की समानुपातिक लागत आईएसपीआरएल को डेबिट की जा चुकी है।

4. कर निर्धारण

चूँकि तेउविबो आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक आयकर भुगतान वाली कंपनी है अतः आयकर के लिए प्रावधान करना आवश्यक समझा गया है। संलग्न लाभ तथा हानि लेखे (अनुलग्नक-I) आयकर विभाग को देय आयकर की गणना करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (xii) के तहत आयकर कटौती के लिए प्राधिकृत संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के पश्चात तैयार किए गए हैं।

5. तुलनपत्र की अनुसूची 25 के खण्ड 6 की महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार बीएलएल से ब्याज के रूपये 95.15 लाख आय में नहीं दर्शाया गया है।

6.(i) आईसीएआई द्वारा जारी एएस–15 के अन्तर्गत विद्यमान कर्मचारियों की सेवानिवृत्त लाभ के लिए पेंशन तथा ग्रेच्यूटी निधि के गठन के प्रावधानों के तहत बोर्ड ने दो विभिन्न ट्रस्टों (न्यासों) नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना" तथा तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेच्यूटी योजना का गठन किया।

(ii) तेउवि बोर्ड ने आयकर विभाग से आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग बी तथा भाग सी के तहत अपनी दो योजनाओं क्रमशः "तेउविबो कर्मचारी ग्रेच्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेच्यूटी योजना में अंशदान के लिए कर में छूट के लिए आवेदन दिया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

7. कराधान के प्रावधान में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 85.00 लाख रूपये शामिल हैं।

8. चार्टर्ड एकांउट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखाकरणों का जहां तक लागू हो अनुपालन किया गया है।

9. 1 से 26 तक अनुसूचियां संलग्न हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे तथा तुलनपत्र का अन्तरिम भाग है।

10. तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, लाभ तथा हानि लेखा, तथा सूचियों के आँकड़ें को निकटतम लाख रूपये के गुणांक में दर्शाया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार सुव्यवस्थित/सुगठित किया गया है।

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह0/–
(गौतम सेन)
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह0/–
(डॉ निरंजन कुमार सिंह)
सचिव

दिनांकः 12.08.2021
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक–I
(सन्दर्भः अनुसूची 26, नोट सं 4(क))

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

(रुपये लाख में)

विवरण	अनुसूची	2020-21	2019-20
आय			
ब्याज आय	17	54866	53900
निवेश से आय	15	0	0
अन्य आय	16 & 18	1163	4478
योग		**56029**	**58378**
खर्चे			
प्रत्यक्ष कार्यकलापों पर व्यय	22 & 24	40738	32890
कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	20	385	480
प्रशासनिक खर्चे	21	1095	1142
अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास रूपये 720	8	704	784
घटाएं– गत वर्ष चुकाया गया ऋण रूपये 16			
योग		**42922**	**35296**
वर्ष के लिए लाभ		**13107**	**23082**
कर पूर्व शुद्ध लाभ		**13107**	**23082**
घटाएं: कर के लिए प्रावधान		**5687**	**8240**
कर पश्चात् शुद्ध लाभ, तुलनपत्र में स्थानान्तरित		**7420**	**14842**
विशेष लेखानीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी	25 & 26		

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह0/–
(गौतम सेन)
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह0/–
(डॉ निरंजन कुमार सिंह)
सचिव

दिनांक: 12.08.2021
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक–II
(सन्दर्भ : अनुसूची 11(ख))

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों से 31 मार्च 2021 तक ऋणों के बकाये का विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	1.4.2020 को आरंभिक शेष	वर्ष 2020–21 के दौरान संवितरित ऋण	वर्ष 2020–21 के दौरान वापस किए गए ऋण	31.03.2021 को अंतिम शेष
1	आईओसीएल	32,781.00	43,700.00	17,781.25	58,699.75
2	बीपीसीएल	1,18,731.00	-	39,756.00	78,975.00
3	एचपीसीएल	2,93,119.00	10,000.00	18,119.00	2,85,000.00
4	बीसीपीएल	1,01,036.00	9,669.00	21,383.75	89,321.25
5	बीएलएल	9,865.00	-	-	9,865.00
6	एमआरपीएल	53,900.00	5,525.00	6,700.00	52,725.00
7	गेल गैस लिमिटेड	15,472.00	20,443.00	2,142.00	33,773.00
8	सीपीसीएल	35,000.00	20,000.00	1,250.00	53,750.00
9	गेल (इंडिया) लिमिटेड	85,000.00	15,000.00	-	1,00,000.00
	योग	**7,44,904.00**	**1,24,337.00**	**1,07,132.00**	**7,62,109.00**

अनुलग्नक–III (क)
(सन्दर्भ अनुसूची 22)

वर्ष 2020–2021 के दौरान दिए गए अनुदान को दर्शाने वाली तालिका

(रुपये लाख में)

क्रम सं.		संस्थान का नाम	2020-21	2019-20
क.	नियमित	अनुदानी संस्थान		
1		हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	17684	19291
2		पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ	6000	6730
3		उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान	1525	1808
4		पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ	2205	2261
5		तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय	2288	2165
		योग (क)	**29702**	**32255**
	ख.	**अनुसंधान एवं विकास अनुदान**		
1		आईओसीएल– (लैंजाटेक)	10338	0
2		ओएनसीजी लिमिटेड	41	0
3		आईआईटी आईएसएम धनबाद	62	0
		योग (ख)	**10441**	**0**
		योग (क+ख)	**40143**	**32255**

अनुलग्नक–III (ख)
(सन्दर्भ अनुसूची 22)

भारत सरकार/ते.उ.वि.बो द्वारा प्रायोजित योजनाओं/ परियोजनाओं पर वर्ष 2020–21 के दौरान व्यय

(रुपये लाख में)

क्रम सं.		संस्थान का नाम	2020-21	2019-20
1		इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड	595	635
		कुल योग (ग)	**595**	**635**

तेल उद्योग विकास बोर्ड

31–03–2021 को समाप्त हुए वर्ष में प्राप्त आय और भुगतान

(रुपये लाख में)

प्राप्तियां	2020-21	2019-20	भुगतान	2020-21	2019-20
1. प्रारंभिक शेष			1. खर्चे		
क) नकद	0.02	–	क) स्थापना व्यय	367.29	208.14
ख) बैंक राशि			ख) प्रशासनिक व्यय	1046.74	626.88
1) चालू खाता					
2) जमा खाता			**2. विभिन्न परियोजना के लिए राशि का भुगतान**		
3) बचत खाता	8,589.32	87.38	क) आईआईटी को अनुदान	61.98	–
			ख) आईएसपीआरएल को अनुदान	594.91	635
2. प्राप्त अनुदान			ग) ओएनजीसी को अनुदान	41.30	–
क) भारत सरकार से			घ) सीएचटी को अनुदान सहायता	1,519.23	1,810.13
ख) राज्य सरकार से			ङ) डीजीएच को अनुदान सहायता	17,300.00	18,261.00
ग) अन्य स्त्रोतों से (विवरण)			च) ओआईएसडी को अनुदान सहायता	2,279.80	2,165.05
			छ) पीसीआरए को अनुदान सहायता	5,980.16	6,730.00
			ज) पीपीएसी को अनुदान सहायता	2,204.80	2,260.57
			झ) आईओसीएल को अनुदान में सहायता	10,338.00	–
3. निवेश से आय					
क) स्थाई निवेश	79,060.00	823,215.07	**3. निवेश और जमा**		
ख) स्वयं की पूंजी (अन्य निवेश)	107,132.25	111,548.06	क) स्थाई जमा	74,365.00	525,085.00
			ख) स्वयं की निधि में से (अन्य निवेश)	124,337.00	421,412.53
4. प्राप्त ब्याज			4. अचल संपतियों और पूंजीगत कार्य प्रगतित पर व्यय		
क) बैंक जमा पर			क) अचल संपतियो की खरीद	2.88	15.37
ख) ऋण अग्रिम आदि	53,515.75	41,891.01	ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
ग) बचत खाता	17.82	13.17			
घ) सावधि जमा पर	469.31	16,546.84			
			5. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
			क) भारत सरकार को		
5. अन्य आय			ख) राज्य सरकार को		
क) किराए से आय	415.71	451.70	ग) अन्य प्रदाओं के लिए निधि	11,318.67	–
ख) स्थाई सम्पत्ति से	0.37	–			
ग) संस्थापन से		–	6. वित्त प्रभार (ब्याज)		
घ) प्रशासन से			–		
ङ) डेटा बिक्री से		–	7. अन्य भुगतान		
			क) व्यावसायिक प्रावधान		
6. उधार राशि			ख) अन्य देयताएं	6824.58	9,000.27
ऋण और अग्रिम	8,963.79		8. शेष राशि		
			क) नकद	0.01	0.02
7. अन्य प्राप्तियों			ख) बैंक बैलेंस		
व्यय ना किए गए अनुदान की वापसी	463.74	3,047.05	1) चालू खाता		
अन्य विविध प्राप्तियां			2) जमा खाता		
			3) बचत खाता	65.73	8,589.32
योग	**2,58,648.08**	**9,96,800.28**	**योग**	**2,58,648.08**	**9,96,800.28**

अध्याय-08

भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखा रिपोर्ट

तेउविबो OIDB
तेल उद्योग विकास बोर्ड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा के लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक का पृथक लेखा प्रतिवेदन।

1. हमने, तेल उद्योग विकास बोर्ड के दिनांक 31 मार्च 2021 तक के तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा तेल उद्योग विकास अधिनियम 1971 की धारा 20(2) के साथ पठित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा की है। जिसे तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 (तेउविबो नियम 1974) की धारा 20(2) के साथ पढ़ा जाए। इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व ते.उ.वि.बो. के प्रबंधन का है हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करना है।

2. इस पृथक, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन–देन पर लेखा परीक्षा अभियुक्तियां यदि कोई हो, निरीक्षण / प्रतिवेदनों / सीएंडएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है।

3. हमने, अपने लेखा परीक्षण, भारत में सामान्य रूप से लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर किए हैं। इन मानकों के अनुसार हम लेखा परीक्षण इस प्रकार योजित एवं निष्पादित करते हैं ताकि इस बात से आश्वासित किया जा सके कि लेखा परीक्षण में कोई भी अयथार्थ विवरण नहीं है। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच मूल्यों से संबंधित प्रमाण तथा तालिका में उनका प्रकटन होना चाहिए। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा परीक्षणों के सिद्धान्तों का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा वित्तीय कथनों के सम्पूर्ण प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षण हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

4. **लेखा परीक्षणों के आधार पर हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:–**

(i) हमने, वह सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थी।

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा वर्ष 2007 में भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित किए गए सामान्य प्रारूप के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में जैसाकि हमारे निरीक्षण में लगा कि तेउविबो द्वारा उचित लेखा पुस्तिकाएं तथा संबंधित रिकार्ड अद्यतन किए जा रहे हैं।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं, कि:

लेखों पर टिप्पणियां :

क. तुलनपत्र

क. 1 अचल परिसम्पतियां (नेट ब्लॉक) (अनुसूची 8) : रुपये 7638.00 लाख

उपरोक्त में दिल्ली विकास प्राधिकरण से ओआईडीबी, नोएडा द्वारा अधिग्रहित द्वारका, दिल्ली में पट्टे पर ली गई भूमि से संबंधित 995 लाख रुपये शामिल हैं।

एग्रीमेंट के अनुसार, भूमि की लागत रुपये 995.00 लाख की जगह 940.00 लाख होनी चाहिए। इस प्रकार, भूमि का मूल्य 55 लाख अधिक दर्शाया गया है।

रु.8,98,04,935+रु.41,40,035+रु.50,000+रु.100 = रु.9,39,95,070 अर्थात् रुपये 940 लाख

ख. आय एवं व्यय लेखे

ख.1 **अन्य प्रशासनिक खर्चे :– अशोध्य और संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान : रुपये शून्य**

तुलनपत्र

निवेश – अन्य (अनुसूची 10) : रुपये 382621 लाख

घाटे में चल रही कंपनी मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड, को अक्टूबर 2015 में रुग्ण औद्योगिक कंपनी घोशित किया गया था और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भी फरवरी 2018 में इसे बंद करने पर अपनी सहमति दे दी थी। जैसाकि 31 मार्च, 2021 को मैसर्स बीएलएल द्वारा सूचित किया गया कि ऋणात्मक निवल मूल्य 115 करोड़ रुपये के साथ उन्हें 190.07 करोड का कुल संचित नुकसान हुआ है।

अतः सीसीईए के निर्णय के अनुरुप मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड के इक्विटी निवेश में कमी नही करने के कारण, निवेश 5034 लाख रुपये अधिक हो गया। परिणाम स्वरुप "व्यय से अधिक आय" राशि उसी कथित राशि से अधिक है।

पिछले वर्षों (2017–18, 2018–19 और 2019–20) में ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों के निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान नहीं किया।

ख.2 **अन्य प्रशासनिक खर्चे :– अशोध्य और संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान : रुपये शून्य**

तुलनपत्र

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची–11) : रुपये 808530.00 लाख

बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, किसी प्रकार की उचित निश्चितता नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली हो जाएगी।

(i) मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड को किश्तों में भुगतान के लिए दिए गए 1200 लाख रुपये का ब्रिज लोन वापस नहीं आना था।

(ii) वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मौजूदा कर्मचारियों की लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन, बैंकों से प्राप्त ऋण और आकस्मिक देनदारियों पर अपेक्षित खर्च को पूरा करने के लिए मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए 8665.00 लाख रुपये के ऋण दिया गया था।

उपरोक्त अनिश्चित / संदिग्ध ऋण वसूली का प्रावधान न होने के कारण 'चालू परिसंम्पित्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों आदि' और "आय की व्यय से अधिकता" भी 9865.00 लाख रुपये है।

पिछले वर्षों (2017–18, 2018–19 और 2019–20) में ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल को ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।

ख.3 **अन्य प्रशासनिक खर्चे : रुपये 1095 लाख**

मूल्यह्रास : रुपये 704 लाख

तुलनपत्र

अचल संम्पत्ति (निवल) : भवन (पट्टे पर भूमि) : रुपये 3991 लाख

2006–07 के दौरान 47 लाख रुपये की राशि को "भूमि– लीजहोल्ड नोएडा भूमि" शीर्ष के तहत गलत तरीके से पूंजीकृत कर दिया गया था, जिसमें 21 लाख रुपये का अग्रिम लीज किराया शामिल था। पिछले वर्ष के ऑडिट के दौरान उठाई गई आपत्ति के परिणामस्वरूप इसे चालू वर्ष (यानि 2020–21) के दौरान भूमि पूंजीकरण से हटा दिया है। हालांकि, यह देखा गया है कि आय और व्यय खाते में 21 लाख रुपये (अर्थात अग्रिम लीज किराया) वसूलने और 26 लाख रुपये को 'पट्टे की भूमि पर बिल्डिंग' में पूंजीकृत करने के बजाय, ओआईडीबी ने 47 लाख रुपये की पूरी राशि को 'पट्टे की भूमि पर बिल्डिंग' में पूंजीकृत कर दिया है। इसके अलावा, अग्रिम पट्टा किराए की पूंजीकृत राशि में से मूल्यह्रास के रूप में 2.10 लाख रुपये की राशि वसूल की गई है।

इसके परिणामस्वरूप 'पट्टे की भूमि पर भवन' 21 लाख अधिक, 'मूल्यह्रास' 2.10 लाख अधिक, 'अन्य प्रशासनिक व्यय' को 21 लाख रुपये कम बताया गया है और परिणामस्वरूप 'व्यय से अधिक आय' 18.90 लाख हो गई है।

ग. **अनुदान सहायता**

वर्ष 2020–21 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को सरकार या सरकारी संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।

घ. **प्रबंधन पत्र**

वो कमियां जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन्हें ठीक करने / उन पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उसे सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड को एक पृथक प्रबंधन पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है।

(v) इस रिपोर्ट में अनुलग्नक में बनाए गए महत्वपूर्ण मामलों पर भी ध्यान आकर्शित किया गया है।

(vi) पिछले अनुच्छेदों में, हमारे अवलोकन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट के साथ तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा तैयार किए हैं और लेखों की पुस्तिकाओं के अनुसार हैं।

(vii) हमारी राय में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कथित वित्तीय विवरणिकाओं जिन्हें उन पर दिए गए लेखा नीतियों व नोट के साथ पढ़ा जाए तथा इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक–I में उल्लिखित विषय भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुरुप है, और एक सत्य व निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं।

(क) जहाँ तक यह दिनांक 31 मार्च 2021 को तेल उद्योग विकास बोर्ड के कार्यों पर आधारित तुलन पत्र से संबंधित हैं; और

(ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखों से है, उस दिन समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय से अधिक व्यय के संबंध में है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

ह0 / –
(सी.एम. साने)
महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
मुम्बई

अनुलग्नक

(संदर्भ अनुच्छेद 4 (v) के संदर्भ में)

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा की पर्याप्तता	ओआईडीबी ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए मैसर्स सुशील गुप्ता एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। उनके कार्यों में वार्षिक खातों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सहायता और कर सलाहकार सेवाएं शामिल थी। आगे यह सूचित किया जाता है कि मैसर्स पी.के. ढींगरा और कम्पनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नया अनुबंध दिया गया है और ओआईडीबी द्वारा किए गए अनुबंधों के लेखा परीक्षण से संबंधित कार्यों को इसमें विशेष रूप से शामिल किया गया है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	ओआईडीबी द्वारा अपने अनुदानग्राही संस्थानों को जारी अनुदान का बड़ा हिस्सा उनके वेतन, भत्तों और अन्य नियमित प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। अनुदान के उचित उपयोग की निगरानी के लिए अनुदानग्राही संस्थानों को ओआईडीबी द्वारा तैयार किए गए निर्धारित प्रोफार्मा, में अपनी मासिक मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें शीर्ष–वार अनुमोदित बजट और पिछले महीने तक किए गए व्यय और चालू माह की मांग का विवरण शामिल है। सभी प्रस्ताव निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त होते हैं और अनुदान जारी करने से पहले अनुमोदित शीर्ष–वार बजट के अनुसार जाच की जाती है। इन विवरणों की सवीक्षा से ओआईडीबी यह सुनिश्चित करती है कि न तो व्यय बजट अनुदान से अधिक हो और न ही निधियों की निष्क्रियता रहे क्योंकि अनुदान पिछले महीने तक जारी/उपयोग किए गए अनुदानों के उपयोग पर निर्भर करता है। वित्तीय वर्ष के अत में खातों के लेखापरीक्षित विवरणों के साथ निर्धारित जीएफआर प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं। बोर्ड को विभिन्न बैठकों में अनुदानों के उपयोग की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, सभी अनुदान प्राप्त संगठनों के बजट अनुमानों को ओआईडी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी होती है। हालांकि, अनुदानग्राही संगठनों के पास बची शेष निधियों को ध्यान में रखते हुए अनुदान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ओआईडीबी ने उपयोग के तरीकों की निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र विकसित नहीं किया है।
3	अचल संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली	सीएजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार जीएफआर प्रारूप–22 के अनुसार परिसंपत्ति रजिस्टर को उचित तरीके से बनाए रखने के लिए, संपत्ति के वास्तविक सत्यापन और जीएफआर में परिभाषित निर्धारित प्रारूप में अचल संपत्ति रजिस्टर तैयार करने से संबंधित कार्य मैसर्स दीपक भार्गव एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सौंपा गया था। वित्तीय वर्ष तक संपदा रजिस्टर 2020–21 को निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है और संपत्ति का वास्तविक सत्यापन भी किया गया है।
4	सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी करों और सांविधिक देय राशियों का भुगतान समय पर कर दिया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

ह0/–
(सी.एम. साने)
महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
मुम्बई

ओआईडीबी के वित्तीय वर्ष 2020–21 के खातों पर सी एंड एजी की लेखा परीक्षण संबंधी टिप्पणियां और ओआईडीबी की ओर से दिए गए उत्तर

क्र. सं.	टिप्पणियां	प्रत्युत्तर
क	तुलनपत्र	
क(1)	**अचल परिसम्पतियां (नेट ब्लॉक) (अनुसूची 8) : रुपये 7638.00 लाख** उपरोक्त में दिल्ली विकास प्राधिकरण से ओआईडीबी, नोएडा द्वारा अधिग्रहित द्वारका, दिल्ली में पड़े पर ली गई भूमि से संबंधित 995 लाख रुपये शामिल हैं। एग्रीमेंट के अनुसार, भूमि की लागत रुपये 995.00 लाख की जगह 940.00 लाख होनी चाहिए। इस प्रकार, भूमि का मूल्य 55 लाख अधिक दर्शाया गया है।	लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और वर्ष 2021–22 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देते समय इसमें आवश्यक सुधार कर लिया जाएगा। सुधार के लिए प्रबंधन द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर, लेखापरीक्षा से इस पैरा को छोड़ने का अनुरोध किया जाता है।
ख	**आय एवं व्यय लेखे** **ख (1) अन्य प्रशासनिक खर्चे :– अशोध्य और संदिग्ध ऋणो। अग्रिमों के प्रावधान : रुपये शून्य** **तुलनपत्र** **निवेश – अन्य (अनुसूची 10) : रुपये 382621 लाख** घाटे में चल रही कंपनी मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड, को अक्टूबर 2015 में रूग्ण औद्योगिक कंपनी घोशित किया गया था और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भी फरवरी 2018 में इसे बंद करने पर अपनी सहमति दे दी थी। जैसाकि 31 मार्च, 2021 को मैसर्स बीएलएल द्वारा सूचित किया गया कि ऋणात्मक निवल मूल्य 115 करोड़ रुपये के साथ उन्हें 190.07 करोड़ का कुल संचित नुकसान हुआ है। अतः सीसीईए के निर्णय के अनुरुप मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड के इक्विटी निवेश में कमी नहीं करने के कारण, निवेश 5034 लाख रुपये अधिक हो गया। परिणाम स्वरुप "व्यय से अधिक आय" राशि उसी कथित राशि से अधिक है। पिछले वर्षों (2017–18, 2018–19 और 2019–20) में ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों के निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान नहीं किया।	ख.1 एवं ख.2 लेखा परीक्षा को सूचित किया गया था कि मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल), द्वारा दिनांक 17.06.2015 के पत्र संख्या बीएलएल/एमडी/डीसीओ/2015–16/017 द्वारा सूचित किया गया है कि इस कंपनी को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 3 (1) (ओ) के सन्दर्भ में अक्टूबर 2015 में रुग्ण औद्योगिक कंपनी के रूप में घोषित कर दिया गया था और इसको ध्यान में रखते हुए, कंपनी की पूंजी में कमी की गई। चूंकि पिछले ऑडिट के बाद से स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अतः बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों में निवेश के मूल्य में कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके अलावा, लेखा परीक्षा को यह भी बताया गया है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की 10.02.2018 को आयोजित अपनी बैठक में बीएलएल को बंद करने को मंजूरी दे दी है और

	ख(2) अन्य प्रशासनिक खर्चे :– अशोध्य और संदिग्ध ऋणों। अग्रिमों के प्रावधान : रुपये शून्य तुलनपत्र चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची–11) : रुपये 808530 लाख बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, किसी प्रकार की उचित निश्चितता नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली हो जाएगी।	बीएलएल के प्रशासनिक मंत्रालय जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, ने सीसीईए के फैसले को बीएलएल की पत्रसंख्या पी 25011/103/2018–एलपीजी (VOL.II) दिनांक 16.10.2018 के माध्यम से रुग्ण औद्योगिक कंपनी के लिए समयबद्ध समापन पर दिनांक 14.06.2018 को डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। इस मुद्दे पर अंतिम दृष्टिकोण, जिसमें ओआईडीबी द्वारा वसूली योग्य राशि शामिल है, अभी तक सामने नहीं आया है। ओआईडीबी के पत्र दिनांक 7.10.2019 के माध्यम से लेखा परीक्षा को स्थिति के बारे में सूचित कर दिया था। इसलिए इस स्तर पर बीएलएल के कारण ओआईडीबी को हुआ कुल नुकसान अभी अनिश्चित है।
(i)	मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड को किश्तों में भुगतान के लिए दिए गए 1200 लाख रुपये का ब्रिज लोन वापस नहीं आना था।	दिनांक 19.03.2020 को हुई 100वीं बोर्ड की बैठक में, उक्त ऑडिट की टिप्पणियों के बारे में ओआईडीबी बोर्ड को अवगत करवाया था। बोर्ड ने निर्देश दिया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अवगत कराया जाए कि बीएलएल की चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के बाद ही कंपनी को अंतिम रूप से बंद करने के पश्चात् आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। बोर्ड को यह सूचित किया गया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पहले ही इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। कार्यवृत्त की प्रति अनुलग्नक–II में पुनः संलग्न है।
(ii)	वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मौजूदा कर्मचारियों की लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन, बैंकों से प्राप्त ऋण और आकस्मिक देनदारियों पर अपेक्षित खर्च को पूरा करने के लिए मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) को दिए गए 8665.00 लाख रुपये के ऋण दिया गया था। उपरोक्त अनिश्चित/संदिग्ध ऋण वसूली का प्रावधान न होने के कारण 'चालू परिसंम्पित्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों आदि' और 'आय की व्यय से अधिकता" भी 9865.00 लाख रुपये है। पिछले वर्षों (2017–18, 2018–19 और 2019–20) में ओआईडीबी के वार्षिक खातों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल को दिए गए ऋण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।	इसके अलावा, इस संबंध में वार्षिक लेखा 2019–20 की अनुसूची 25 : लेखों पर टिप्पणियों में उचित प्रकटन कर दिया गया है।
	तुलनपत्र अन्य प्रशासनिक खर्चे: रुपये 1095 लाख मूल्यह्रास : रुपये 704 लाख	
ख(3)	अचल संम्पत्ति (निवल) : भवन (पट्टे पर भूमि) : रुपये 3991 लाख 2006–07 के दौरान 47 लाख रुपये की राशि को "भूमि–लीजहोल्ड नोएडा भूमि" शीर्ष के तहत गलत तरीके से पूंजीकृत कर दिया गया था, जिसमें 21 लाख रुपये का अग्रिम लीज किराया शामिल था। पिछले वर्ष के ऑडिट के दौरान उठाई गई आपत्ति के परिणामस्वरूप इसे चालू वर्ष (यानि 2020–21) के दौरान ,भूमि पूंजीकरण से हटा दिया है। हालांकि, यह देखा गया है कि आय	यह लेनदेन वित्तीय वर्ष 2006–2007 से संबंधित हैं। जबकि प्लॉट नं. 02, सेक्टर–73 पर निर्मित ओआईडीबी भवन को वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूंजीकृत किया गया था। स्थापित लेखा पद्धति के अनुसार, पूंजीकरण से पहले के सभी खर्चों को पूंजीकृत किया जाना चाहिए।

	और व्यय खाते में 21 लाख रुपये (अर्थात अग्रिम लीज किराया) वसूलने और 26 लाख रुपये को 'पट्टे की भूमि पर बिल्डिंग' में पूंजीकृत करने के बजाय, ओआईडीबी ने 47 लाख रुपये की पूरी राशि को 'पट्टे की भूमि पर बिल्डिंग' में पूंजीकृत कर दिया है। इसके अलावा, अग्रिम पट्टा किराए की पूंजीकृत राशि में से मूल्यह्रास के रूप में 2.10 लाख रुपये की राशि वसूल की गई है। इसके परिणामस्वरूप 'पट्टे की भूमि पर भवन' 21 लाख अधिक, 'मूल्यह्रास' 2.10 लाख अधिक, 'अन्य प्रशासनिक व्यय' को 21 लाख रुपये कम बताया गया है और परिणामस्वरूप 'व्यय से अधिक आय' 18.90 लाख हो गई है।	चूंकि, ऊपर उल्लिखित नोएडा भूमि से संबंधित सही लेखांकन प्रक्रिया, में मूल्यह्रास/परिशोधन अधिक नहीं बताया गया।
ग	अनुदान सहायता वर्ष 2020–21 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को सरकार या सरकारी संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।	वास्तविक स्थिति।

अनुलग्नक
(संदर्भ अनुच्छेद 4 (v) के संदर्भ में)

क्र. सं.	टिप्पणियां	प्रत्युतर
1.	**आंतरिक लेखा परीक्षा की पर्याप्तता** ओआईडीबी ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए मैसर्स सुशील गुप्ता एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। उनके कार्यों में वार्षिक खातों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सहायता और कर सलाहकार सेवाएं शामिल थी। आगे यह सूचित किया जाता है कि मैसर्स पी.के. ढींगरा और कम्पनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नया अनुबंध दिया गया है। और ओआईडीबी द्वारा किए गए अनुबंधों के लेखा परीक्षण से संबंधित कार्यों को इसमें विशेष रूप से शामिल किया गया है।	जैसाकि सूचित किया गया है कि नया अनुबंध मैसर्स वी.के. ढींगरा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को दिया गया है और उसमें ओआईडीबी द्वारा किए गए अनुबंधों के ऑडिट से संबंधित कार्य को विशेष रूप से शामिल किया गया है।
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** ओआईडीबी द्वारा अपने अनुदानग्राही संस्थानों को जारी अनुदान का बड़ा हिस्सा उनके वेतन, भत्तों और अन्य नियमित प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। अनुदान के उचित उपयोग की निगरानी के लिए अनुदानग्राही संस्थानों को ओआईडीबी द्वारा तैयार किए गए निर्धारित प्रोफार्मा, में अपनी मासिक मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें शीर्ष–वार अनुमोदित बजट और पिछले महीने तक किए गए व्यय और चालू माह की मांग का विवरण शामिल है। सभी प्रस्ताव निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त होते हैं और अनुदान जारी करने से पहले अनुमोदित शीर्ष–वार बजट के अनुसार जांच की जाती है। इन विवरणों की संवीक्षा से ओआईडीबी यह सुनिश्चित करती है कि न तो व्यय बजट अनुदान से अधिक हो और न ही निधियों की निष्क्रियता रहे क्योंकि अनुदान पिछले महीने तक जारी/उपयोग किए गए अनुदानों के उपयोग पर निर्भर करता है। वित्तीय वर्ष के अंत में खातों के लेखापरीक्षित विवरणों के साथ निर्धारित जीएफआर प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं। बोर्ड को विभिन्न बैठकों में अनुदानों के उपयोग की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, सभी अनुदान प्राप्त संगठनों के बजट अनुमानों को ओआईडी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी होती है। हालांकि, अनुदानग्राही संगठनों के पास बची शेष निधियों को ध्यान में रखते हुए अनुदान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ओआईडीबी ने उपयोग के तरीके की निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र विकसित नहीं किया है।	जैसाकि पैरा में ही उल्लेख किया गया है कि अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को अनुदान जारी करते समय आव यक जांच सुनिश्चित की जाती है अर्थात् अनुदानीग्राही संस्थाओं को ओआईडीबी द्वारा तैयार किए गए निर्धारित प्रोफार्मा में अपनी मासिक मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें शीर्ष–वार अनुमोदित बजट और किए गए का व्यय पिछले महीने तक का व्यय और चालू महीने की मांग का विवरण शामिल है। सभी प्रस्ताव निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त होते हैं और अनुदान जारी करने से पहले अनुमोदित शीर्ष–वार बजट के अनुसार जांच की जाती है। इन विवरणों की संवीक्षा से ओआईडीबी यह सुनिश्चित करती है कि न तो व्यय बजट अनुदान से अधिक हो और न ही निधियों की निष्क्रियता है क्योंकि अनुदान पिछले महीने तक जारी/उपयोग किए गए अनुदानों के उपयोग पर निर्भर करता है। वित्तीय वर्ष के अंत में खातों के लेखापरीक्षित विवरणों के साथ निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं। बोर्ड को अपनी सभी बैठकों में अनुदानों के उपयोग की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, सभी अनुदान प्राप्त संगठनों के बजट अनुमानों को ओआई बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी होती है। उपरोक्त के अलावा, इन संगठनों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को ओआईडीबी की वार्षिक रिपोर्ट में घटनाओं की तस्वीरों के साथ शामिल किया जाता है। इन संगठनों की प्रगति की समीक्षा उनकी संबंधित प्रशासनिक परिषद/शासी निकाय/सुरक्षा परिषद आदि द्वारा भी नियमित रूप से की जा रही है।
3.	**अचल संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली** सीएजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार जीएफआर प्रारूप–22 के अनुसार परिसंपत्ति रजिस्टर को उचित तरीके से बनाए रखने के लिए, संपत्ति के वास्तविक सत्यापन और जीएफआर में परिभाषित निर्धारित प्रारूप में अचल संपत्ति रजिस्टर तैयार करने से संबंधित कार्य मैसर्स दीपक भार्गव एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को सौंपा गया था। वित्तीय वर्ष तक संपदा रजिस्टर 2020–21 को निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है और संपत्ति का वास्तविक सत्यापन भी किया गया है।	वास्तविक स्थिति।
4.	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी करों और सांविधिक देय राशियों का भुगतान समय पर कर दिया गया है।	वास्तविक स्थिति।

अध्याय-09

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे

तेउविबो OIDB
तेल उद्योग विकास बोर्ड

निदेशक मंडल

श्री तरुण कपूर	अध्यक्ष	(15.05.2020 से)
श्री राजेश अग्रवाल	निदेशक	(01.01.2020 से)
श्री निरंजन कुमार सिंह	निदेशक	(01.01.2020 से)
श्री बी.एन. रेड्डी	निदेशक	(09.04.2019 से)
श्री एच.पी.एस. आहुजा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	(02.06.2017 से)
सुश्री इंद्राणी कौशल	निदेशक	(01.08.2019 से)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
श्री एच.पी.एस. आहुजा

कंपनी सचिव
श्री अरुण तलवार

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स गोयल एडं गोयल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बैंकर्स
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
एम–41, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली–110 001

पंजीकृत कार्यालय
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड,
नई दिल्ली–110 001
फोन : 011–23412278

प्रशासनिक कार्यालय
ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट न. 2, सैक्टर – 73, नोएडा–201301, उ.प्र.
फोन न. : 91–120–2594661, फैक्स न. : 91–120–2594643
वेबसाईट : www.isprlindia.com
ई–मेल : isprl@isprlindia.com

विशाखापट्टनम् परियोजना कार्यालय
लोवागार्डन, एचएसएल फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गाँधीग्राम पोस्ट, विशाखापट्टनम्–530 005

मंगलौर परियोजना कार्यालय
चन्द्राहास नगर, कलावर पोस्ट, वाया बाजपे
मंगलूरू–574142

पादुर परियोजना कार्यालय
पीओ : पादुर, वाया कापू, जनपद उडुपी–574 106, कर्नाटक

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारकगण,

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल लेखा परीक्षित का लेखा विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकरण के संबंध में 17वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहा है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
1	सकल अचल परिसंपत्तियां (मूर्त एवं अमूर्त)	373685.45	374309.26
	घटाएं : संचित मूल्यह्रास	38575.39	28692.11
	निवल अचल परिसंपत्तियां	**335110.06**	**345617.15**
2	कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	10616.68	694.15
3	कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	20559.96	78322.44
	कुल परिसंपत्तियां	**366286.70**	**424633.74**
4	संचित हानियों सहित कुल इक्विटी	334051.81	344103.18
5	कुल गैर वर्तमान देयताएं	562.12	870.14
6	कुल वर्तमान देयताएं	31672.77	79660.42
	कुल देयताएं	**366286.70**	**424633.74**
	लाभ और हानि खाते की मदें		
1	पूर्व अवधि समायोजन, यदि कोई हो, सहित कुल आय	599.01	464.22
2	मूल्यह्रास सहित कुल व्यय	10650.38	10624.11
	अवधि के लिए शुद्ध हानि (1) – (2)	**-10051.37**	**-10159.89**
	चरण II (प्राप्तियां और व्यय)		
1	चरण II परियोजना के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान (शुद्ध आधार पर) भूमि के लिए अग्रिम सहित	10051.30	635.00
2	चरण II के तहत वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय देय के प्रावधानों सहित	10586.53	89.68

कार्य–निष्पादन समीक्षा

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने एक विशेष प्रयोजन विहिकल (एसपीवी) के माध्यम से 5.33 एमएमटी के स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल के भंडार का निर्माण करने का निर्णय लिया था। एसपीवी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) शुरू में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी थी, जो 09.05.2006 को तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

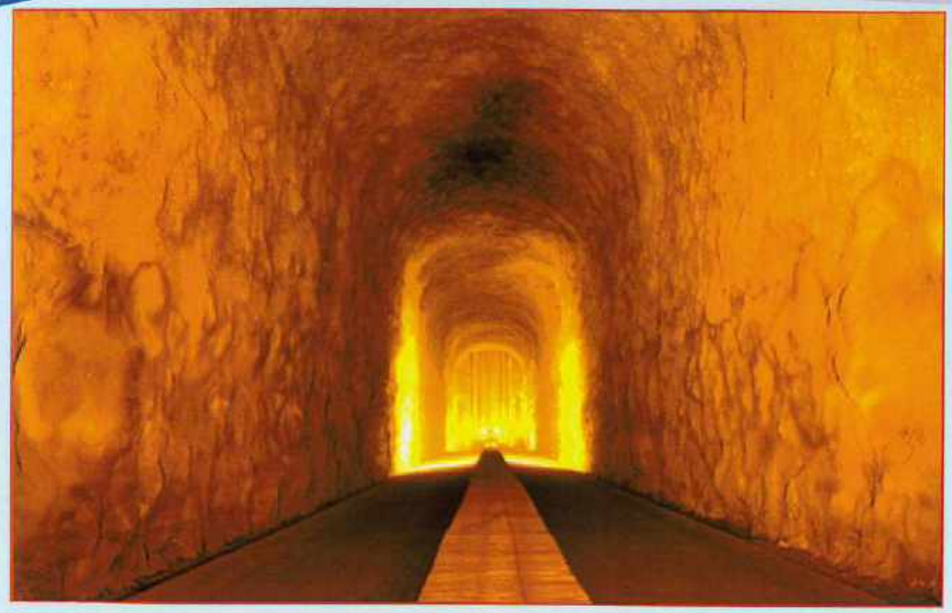

भूगिगत स्ट्रेटेजिक कैवर्न का दृश्य

कैवर्न क्षेत्र में जमीन के ऊपर की सुविधाओं का दृश्य

आईएसपीआरएल चरण – I

स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स (एसपीआर) कार्यक्रम के चरण–I के तहत, सरकार ने आईएसपीआरएल के माध्यम से तीन स्थानों पर 5.33 एमएमटी की कुल क्षमता के साथ एसपीआर सुविधाओं का निर्माण किया है। विशाखापत्तनम (1.33 एमएमटी), मैंगलोर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी)। एसपीआर के पहले चरण का कुल भंडार वर्तमान में भारत की कच्चे तेल की आवश्यकता के लगभग 9.5 दिनों की आपूर्ति करने का अनुमान है।

तीनों कैवर्नों अर्थात विशाखापत्तनम, मैंगलोर एवं पादुर क्रमशः जून 2015, अक्टूबर 2016 और दिसंबर 2018 में चालू की गई हैं। इन तीनों सुविधाओं को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 10 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

आईएसपीआरएल क्रूड पहली बार अगस्त 2019 में आईएसपीआरएल मैंगलोर कैवर्न से मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के लिए जारी किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2019 में पादुर सुविधा से भी एमआरपीएल को कच्चा तेल जारी किया गया था।

कोविड–19 महामारी जिसने दुनिया को जकड़ लिया, और वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन ने प्रभावित किया, दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग को प्रभावित किया और भारत कोई अपवाद नहीं था। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में भारी कमी के परिणामस्वरूप, रिफाइनरियों ने न्यूनतम क्षमता पर काम किया। इसके साथ कच्चे तेल की आपूर्ति में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप मांग आपूर्ति असंतुलन हुआ जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई। मौजूदा कम कच्चे तेल की कीमतों का लाभ उठाने के लिए, भारत सरकार ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को प्राथमिकता के आधार पर भरने का निर्णय लिया।

पादुर साईट पर सचिव, एमओपीएनजी

वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उठाने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान चरण –I में एसपीआर भरने के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए।

एमओपीएनजी ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीएस), बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल और एमआरपीएल को एसपीआर में क्रूड भरने की सलाह दी। मैंगलोर और पादुर के लिए लगभग 16.37 मिलियन बैरल और विशाखापत्तनम के लिए 0.34 मिलियन बैरल कच्चा तेल, इस प्रकार एसपीआर को भरने के लिए कुल 16.71 मिलियन बैरल की खरीद की गई थी। सभी तीन स्थानों पर रणनीतिक भंडार अप्रैल और मई'2020 के दौरान पूरी तरह से और अक्टूबर 2020 में एक छोटी मात्रा में भरा गया था ।

जनवरी 2020 में वर्ष की शुरुआत में प्रचलित US$60 प्रति बैरल की तुलना में खरीद की औसत लागत 19$/बैरल थी। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को 5069 करोड़ रुपये (US$685.11 मिलियन) राशि की पर्याप्त बचत हुई।

विशाखापत्तनम साईट पर कोविड टीकाकरण अभियान का दृश्य।

पादुर साईट पर सचिव, एनओपीएनजी को जानकारी देते हुए।

एडनोक के साथ समझौता

10 फरवरी 2018 को एडनोक और आईएसपीआरएल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें एडनोक को मैंगलोर में एक कंपार्टमेंट का उपयोग करने की अनुमति दी गई। समझौते के अनुसार, एडनोक ने आईएसपीआरएल के मैंगलोर कैवर्न में 5.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल भंडारित किया। एडनोक इस तेल के एक हिस्से का भारत में अपने ग्राहकों को वाणिज्यिक आपूर्ति के रूप में उपयोग कर सकता है, जबकि शेष प्राकृतिक आपदा या भू–राजनीतिक कारकों के कारण आपूर्ति में व्यवधान जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए जारी किए जाने वाले सामरिक भंडारण के रूप में रहेगा। मैंगलोर सुविधा में प्रत्येक 0.75 एमएमटी के दो कंपार्टमेंट है। इनमें से एक कंपार्टमेंट अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) को दिया गया है।

आईएसपीआरएल के मौजूदा सामरिक पेट्रोलियम भंडार की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में 'एडनोक मॉडल' के संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें एडनोक को 50:50 के आधार पर यानी 50% सामारिक और 50% वाणिज्यिक, वर्तमान में लागू 65:35 के बदले, पेशकश की जा सकती है।

आईएसपीआरएल सुविधाओं का वाणिज्यिक उपयोग

एडनोक के अनुरोध पर, आईएसपीआरएल ने पहली वाणिज्यिक खेप को सफलतापूर्वक आईएसपीआरएल और एडनोक के बीच समझौते की शर्तों के अनुसार 11–13 दिसंबर 2019 को एचपीसीएल, वाईजैग को दास ग्रेड कच्चे तेल का लगभग 8,68,000 बैरल लोड किया। इसके बाद एडनोक ने एसपीआर से एमआरपीएल और बीपीसीएल को कच्चे माल की बिक्री की और अनुबंध की शर्तों के अनुसार इसकी भरपाई की।

आईएसपीआरएल चरण – II

27 जून 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो स्थानों ओडिशा के चंडीखोल (4 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) कर्नाटक में 6.5 एमएमटी के दो एसपीआर समर्पित एसपीएम सहित पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी। जिसे भारत सरकार के बजटीय समर्थन को कम करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत परियोजना को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी गई है।

दूसरे चरण में परिकल्पित 6.5 एमएमटी भंडारण के पूरा होने पर, कच्चे तेल की आवश्यकता के 12 दिनों के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन किया जाएगा। इस प्रकार, कुल कवर लगभग 21 दिनों का होगा।

100वीं पीपीपीएसी बैठक 15 मार्च 2021 को सचिव, डीईए की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अनुदान मार्ग के साथ आगे बढ़ने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेने के लिए परियोजना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया गया है।

पादुर में एसपीएम के लिए समुद्री सर्वेक्षण किया गया है। एनईई आर आई ने दूसरे चरण–II के लिए ईआईए किया है।

लाभांश

आपका निदेशक मंडल 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

आरक्षित को अंतरण

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान हुए घाटे को 31 मार्च, 20221 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के रिजर्व्स में अंतरित कर दिया गया है।

सार्वजनिक जमा

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी ने आम जनता से कोई सावधि जमा आमंत्रित, स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं किया है और तदनुसार उसके संबंध में कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं है।

लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड ने लेखा–परीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

(i) श्री राजेश अग्रवाल
अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल : अध्यक्ष

(ii) श्री एच. पी. एस. आहुजा
मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल : सदस्य

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या दर्शाते हुए वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तिथियां **अनुलग्नक–क** में दी गई हैं।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, एनआरसी में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

(i) श्री बी. एन. रेड्डी : अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल

(ii) श्री एच. पी. एस. आहुजा : सदस्य
मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या दर्शाते हुए वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तिथियां **अनुलग्नक–क** में दी गई हैं।

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) समिति

कंपनी की एक सीएसआर नीति है जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी ने वर्ष के दौरान सीएसआर की गतिविधियों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कोई लाभ नहीं कमाया है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड
तेउविबो OIDB

सीएसआर समिति में 31 मार्च 2021 को निम्नलिखित निदेशक शामिल थे।

(i) श्री बी. एन. रेड्डी : अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय / निदेशक, आईएसपीआरएल

(ii) श्री एच. पी. एस. आहुजा : सदस्य
मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या दर्शाते हुए वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तिथियां **अनुलग्नक–क** में दी गई हैं।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 और कंपनी नियम (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://isprlindia.com/annual-report-asp.

बोर्ड की बैठकें

वित्त वर्ष 2020–21 में कंपनी के निदेशक मंडल की पांच बैठकें हुईं जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

1) 26 जून, 2020

2) 18 अगस्त, 2020

3) 5 नवंबर, 2020

4) 29 जनवरी, 2021

5) 15 मार्च, 2021

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या दर्शाते हुए वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और तिथियां **अनुलग्नक–क** में दी गई हैं।

व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

हालांकि, जुलाई 2021 में कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार ने आईएसपीआरएल को एसपीआर कार्यक्रम के चरण–I के तहत कैवर्न में संग्रहीत कच्चे तेल के साथ निम्नलिखित व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी है।

1. कैवर्न की कुल तेल भंडारण क्षमता का 30% भारतीय या विदेशी कंपनियों को इस शर्त के साथ पट्टे पर देना / किराए पर देना कि किसी भी अत्यावश्यकता की स्थिति में, कैवर्न में संग्रहीत पूरे कच्चे तेल पर भारत सरकार का पहला अधिकार होगा।

2. भारतीय कंपनियों को आईएसपीआरएल कैवर्न में भंडारित कुल कच्चे तेल की मात्रा का 20% तक की बिक्री/खरीद करना।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है, जिसके संबंध में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी की निरंतर सफलता के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। कंपनी के प्रचालनों से जुड़े जोखिम की पहचान करने और जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी से जुड़े प्रमुख जोखिम कच्चे तेल की प्राप्ति और भंडारण एवं वितरण से संबंधित हैं। मानक प्रचालन प्रक्रियाएं और पर्याप्त बीमा कवर अपनाकर इन जोखिमों को कम किया जाता है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित थे :

(क)	मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक	–	श्री एच. पी. एस. आहुजा
(ख)	मुख्य वित्त अधिकारी	–	श्री गोपेश्वर कुमार सिंह (05.11.2020 से प्रभावी)
(ग)	मुख्य वित्त अधिकारी	–	श्री गौतम सेन (16.10.2020 तक)
(घ)	कंपनी सचिव	–	श्री अरुण तलवार

पारिश्रमिक

आईएसपीआरएल के बोर्ड के सभी निदेशक पदेन निदेशक हैं जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामित किए जाते हैं। मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति आईएसपीआरएल बोर्ड द्वारा की जाती है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामित पदेन निदेशक को किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी के अन्य अधिकारी तेल क्षेत्र के पीएसयू से प्रतिनियुक्ति पर हैं। मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक जो ओएनजीसी से प्रतिनियुक्ति पर आए थे, 31 अक्टूबर, 2020 को ओएनजीसी से सेवानिवृत्त हो गए एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर मु. का. अ. एवं प्रबंध निदेशक के रूप में आईएसपीआरएल के साथ बने रहे। मु.का.अ. एवं प्र.नि. को भुगतान किया गया पारिश्रमिक आईएसपीआरएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड
तेउविबो OIDB

भौतिक परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं

कंपनी के वित्त वर्ष जिससे तुलन पत्र संबंधित है, के समापन और रिपोर्ट की तारीख के बाद कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण एवं सामाग्री आदेशों का विवरण जिनसे भविष्य में सतत प्रतिष्ठान स्तर और कंपनी के प्रचालन प्रभावित होंगे

नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया जिनसे भविष्य में सतत प्रतिष्ठान स्तर और कंपनी के प्रचालन प्रभावित होंगे।

सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत कंपनी के पास कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनी नहीं है।

लागत लेखा–परीक्षा

अधिनियम की धारा 148 के संदर्भ में, कंपनी को किसी लागत लेखाकार से लागत के अपने रिकॉर्डों की लेखा–परीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है।

लेखा परीक्षक

वैधानिक लेखा परीक्षा :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एडं ए जी) ने मैसर्स गोयल एंड गोयल (डीई0577), नई दिल्ली को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जिन्होंने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है **(अनुलग्नक–ख)**। लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट के अनुलग्नक – ख (ii) में शेयरधारकों को अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी द्वारा रखे गये कच्चे तेल की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन की आवश्यकता है। इस पर प्रबंधन का उत्तर **अनुलग्नक–ग** के रूप में संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2021 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत सी एंड एजी द्वारा पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की गई। वित्तीय विवरणों पर सीएंडएजी के कोई महत्वपूर्ण अवलोकन नहीं हैं **(अनुलग्नक–घ)**।

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा :

वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए मैसर्स पीजी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, 106, महागुन मॉर्फियस, ई–4, सेक्टर –50, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश को कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है **(अनुलग्नक–ग)**। शेयरधारकों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई योग्यता नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, अनुसंधान और विकास तथा निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

कंपनी ने विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर कैवर्न को चालू कर दिया है। ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी समावेश के संबंध में प्रकाशित करने के लिए कंपनी के पास कोई सूचना नहीं है।

कंपनी को वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं हुई है। हालांकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान इसने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कुल ₹ 9.36 करोड़ की विदेशी मुद्रा का उपयोग किया है।

आंतरिक नियंत्रण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की शिकायत करने के लिए कर्मचारियों के लिए एक ढ़ाचा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को उक्त अधिनियम के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

बोर्ड का मूल्यांकन

आईएसपीआरएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड प्रदर्शन मूल्यांकन नीति के अनुसार बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया है।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना सूचित नहीं की गई है।

धारा 186 के तहत ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरण

कंपनी ने ACCT-LGSTO–260, मैंगलोर के पक्ष में केवल पचास हजार रुपये की बैंक गारंटी दी है।

संबंधित पक्ष कारोबार

सभी संबंधित पक्ष कारोबार ओआईडीबी द्वारा इक्विटी पूंजी भागीदारी और मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक आईएसपीआरएल, मु.वि.अ., आईएसपीआरएल और कंपनी सचिव, आईएसपीआरएल को पारिश्रमिक के भुगतान तक ही सीमित थे। संबंधित पक्षों के साथ ये संव्यवहार व्यापार के समान्य सचालन के दौरान किए गए आर्मस लैंथ (Arm's Length) के आधार पर हैं एवं सामग्री के आधार पर नहीं है।

सचिवालयी मानकों के प्रावधानों का अनुपालन

इस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीस ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सचिवालयी मानकों का कम्पनी द्वारा पूर्णतया पालन किया जाता है।

कोविड –19 महामारी

कोविड–19 महामारी तेजी से एक वैश्विक संकट के रूप में विकसित हुई, जिससे केंद्र सरकार को मार्च 2020 के अंत से भारत में सभी आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश देना पड़ा।

कोविड महामारी के दौरान, आईएसपीआरएल सुविधाएं कोविड प्रोटोकॉल और व्यवहार का पालन करते हुए चालू थी। आईएसपीआरएल के सभी कर्मचारियों को चिकित्सा किट दी गई और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल की नियमित सफाई की जाती है।

कोविड–19 महामारी के दौरान, कंपनी ने कैवर्न को भरने के लिए कच्चे तेल की खरीद के लिए बड़े सौदों पर हस्ताक्षर किए। 8 अप्रैल 2020 से 16 मई 2020 तक कच्चे तेल के कुल 13 पोत प्राप्त हुए।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ग) के तहत आवश्यक है, आपकी कंपनी का निदेशक मंडल इसके द्वारा बयान करता है और पुष्टि करता है कि :

(क) वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में, सामग्री विचलन से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियां चुनी है तथा उनका लगातार प्रयोग किया है एवं ऐसे निर्णय लिए हैं और प्राक्कलन तैयार किए हैं जो 31 मार्च, 2021 को कंपनी के मामलों तथा उस वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि के बारे में सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए तर्कसंगत एवं समीचीन हैं;

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं जांच के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा लेखांकन के पर्याप्त रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

(घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए "सतत प्रतिष्ठान" आधार पर लेखा तैयार किया है;

(ङ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों ने समुचित प्रणालियां तैयार की है और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं;

निदेशक मंडल

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में पांच अंशकालिक गैर कार्यपालक निदेशक और एक पूर्णकालिक सीईओ एवं एमडी शामिल हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

1. श्री तरुण कपूर (डीआईएन – 00030762), सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष

   (15.05.2020 से प्रभावी)

2. श्री राजेश अग्रवाल (डीआईएन – 03566931), अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक

3. श्री बी. एन. रेड्डी (डीआईएन – 08389048), संयुक्त सचिव (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक

4. श्री निरंजन कुमार सिंह (डीआईएन – 03361541), सचिव, ओआईडीबी – निदेशक

5. सुश्री इंद्राणी कौशल (डीआईएन – 02091078), आर्थिक सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक

6. श्री एच. पी. एस. आहुजा (डीआईएन – 07793886), मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

01 अप्रैल, 2020 से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

1. श्री तरुण कपूर (डीआईएन – 00030762), सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष (15.05.2020 से प्रभावी)

2. डॉ. एम. एम. कुट्टी (डीआईएन – 01943083), सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष (30.04.2020 तक)

अभिस्वीकृति

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन और समर्थन का कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–
(नवनीत मोहन कोठारी)	(एच. पी. एस. आहुजा)
निदेशक	सीईओ एवं एमडी
(डीआईएन # 02651712)	(डीआईएन # 07793886)

दिनांक : 23 नवम्बर, 2021

स्थान : नई दिल्ली

(अनुलग्नक–क)

बोर्ड की समितियों और बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा और निदेशकों द्वारा वित्तीय वर्ष में भाग ली गई बैठकों की संख्या

लेखा–परीक्षा समिति :

लेखा–परीक्षा समिति की वित्तीय वर्ष 2021–22 में तीन बैठकें हुई। ये बैठकें 14 जुलाई, 2020, 2 सितंबर, 2020 और 4 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में निदेशक की उपस्थिति इस प्रकार है।

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम	वित्त वर्ष 2020–21 में बैठकों में उपस्थित की संख्या
1	श्री राजेश अग्रवाल	अध्यक्ष	3
2	श्री एच.पी.एस. आहुजा	सदस्य	3

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) :

वित्तीय वर्ष 2020–21 में एनआरसी की पांच बैठकें हुईं। बैठकें आयोजित की गईं

1. 23 जून, 2020
2. 7 अगस्त, 2020
3. 1 अक्टूबर, 2020
4. 14 अक्टूबर, 2020
5. 15 जनवरी, 2021 को एवं 22 जनवरी, 2021 को वही बैठक फिर से बुलाई गई।

एनआरसी की बैठकों में निर्देशकों की उपस्थिति इस प्रकार है :

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम	वित्त वर्ष 2020–21 में बैठकों में उपस्थित की संख्या
1	श्री बी. एन. रेड्डी	अध्यक्ष	5
2	श्री एच.पी.एस. आहुजा	सदस्य	5

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

निदेशक मंडल :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की पांच बैठकें हुई जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :–

1. 26 जून, 2020
2. 18 अगस्त, 2020
3. 5 नवंबर, 2020
4. 29 जनवरी, 2021
5. 15 मार्च, 2021

निदेशकों द्वारा बोर्ड की बैठकों में उपस्थिती की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थित की संख्या
1.	श्री तरुण कपूर	अध्यक्ष	5
2.	श्री राजेश अग्रवाल	निदेशक	4
3.	श्री बी.एन. रेडी	निदेशक	5
4.	डॉ. निरंजन कुमार सिंह	निदेशक	4
5.	सुश्री इंद्राणी कौशल	निदेशक	5
6.	श्री एच.पी.एस आहुजा	सीईओ एवं एमडी	5

तेउविबो OIDB
तेल उद्योग विकास बोर्ड

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिर्जव्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

विचार

हमने **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसरण में और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचना इस प्रकार अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ("इंड एएस") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में लेखांकन के आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की कुल व्यापक आय की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए **हानि**, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रवाहों की सच्ची एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

विचारों का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों (एस एज) के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारीयों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां' नामक खंड में भी किया गया है। नैतिकता की आवश्यकता जो कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संगत है, के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आईसीएआई की गई नैतिकता संहिता के अनुसरण में हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता संहिता के अनुसरण में नैतिकता की अपनी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमारा या विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

प्रबंधन तथा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अभिशासन का दायित्व संभालने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इंड एएस तथा अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन के मानकों सहित भारत में लेखांकन के अन्य सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रदान करने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए

जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में लेखांकन के पर्याप्त रिकार्ड रख–रखाव करना लेखांकन की उपयुक्त नीतियों का चयन करना और लागू करना युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को डिजाइन तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, जो ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन के संगत रिकार्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से कार्य कर रहे थे जो सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल सतत प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की कंपनी की सामर्थ्य का मूल्यांकन करने, सतत प्रतिष्ठान के संबंध में यथालागू प्रकटन करने तथा लेखांकन के सतत प्रतिष्ठान आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त नहीं करना चाहता है या प्रचालन बंद नहीं करना चाहता है अथवा ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलाकर वित्तीय विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं, क्या जालसाजी या त्रुटि के कारण लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई मुद्दा है जिसमें हमारी राय शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एस एज के अनुसरण में संचालित लेखा परीक्षा हमेशा किसी सामग्री मिथ्या वर्णन का पता लगाएगी जब यह मौजूद होगा। मिथ्या वर्णन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं तथा तब सामग्री माने जाते हैं जब व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की तर्कसंगत रूप से उम्मीद हो सकती है। इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट का **"अनुबंध–क"** भी देखें।

अन्य कानूनी एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, हम **"अनुबंध ख"** में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक विवरण प्रदान करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
   (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।
   (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की अपेक्षा के अनुसार समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
   (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं।
   (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

   (ङ) निदेशकों से 31 मार्च, 2021 तक लिखित रूप में प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशकों में से कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।
   (च) कंपनी की वित्तीय विवरणों के संदर्भ मे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की कारगरता के संबंध में **"अनुबंध ग"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
   (छ) यथासंशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसरण में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में।

   हमारी राय में एवं हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसरण में और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

   (ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में एवं हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसरण में तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :
      i. कंपनी ने अपने इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।
      ii. कंपनी के उत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घावधिक संविदा नहीं थी जिसके लिए कोई सारवान पूर्वाभासी क्षति हुई।
      iii. ऐसी कोई रकम नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित की जानी थी।

   अधिनियम की धारा 143(5) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन के सभी लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए कंपनी ने प्रणाली स्थापित की है।
   (ख) ऋण चुकता करने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन नहीं किया गया है या कर्जों / ऋणों / ब्याज आदि के छूट / बट्टे खाते का कोई मामला नहीं है।
   (ग) केंन्द्र सरकार /राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों को उनकी शर्तों एवं नियमों के अनुसार समुचित रूप से लेखांकित / प्रयुक्त किया गया है।

कृते गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000066N
शोभित गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता संख्या: 502897
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 15 सितम्बर, 2021
यूडीआईएन: 21502897AAAADI2122

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक–क"

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वों से संबंधित रिपोर्ट

एसएऐ के अनुसार एक लेखा परीक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और संपूर्ण लेखा परीक्षण के दौरान पेशेवर दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं। हम साथ ही:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के वास्तविक मिथ्या वर्णन के जोखिमों की भी पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए जिम्मेदार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अभिकल्पित एवं निष्पादित करते हैं और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी वास्तविक मिथ्या वर्णन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा से संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी ने वित्तीय विवरणों के ठीक होने के सन्दर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय विवरण नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है और ऐसे नियंत्रणों का कारगर ढंग से प्रचालन किया जा रहा है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन के अनुमानों एवं संबद्ध प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के सतत सरोकार आधार के प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जिससे सतत सरोकार के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी की सामर्थ्य पर वास्तविक संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटन पर हमें अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकृष्ट करना होता है अथवा यदि ऐसा प्रकटन पर्याप्त नहीं होता है, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाओं या परिस्थितियों के कारण सतत प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह भी मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाओं को ऐसे ढंग से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- हम अभिशासन की जिम्मेदारी वहन करने वाले अधिकारियों के साथ अन्य बातों के अलावा लेखा परीक्षा के नियोजित कार्य क्षेत्र एवं समय तथा आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी जिसकी हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, सहित लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में संचार करते हैं।

हम अभिशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता और उनके साथ सभी संबंधों एवं अन्य मामलों और जहां लागू है, संबंधित सुरक्षोपायों के बारे में संचार करने के संबंध में नैतिकता की संगत आवश्यकताओं का पालन किया है, जिनके बारे में तर्कसंगत रूप से विचार किया जा सकता है कि उनका हमारी स्वतंत्रता से सरोकार है।

अभिशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से हम ऐसे मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन पर रोक न लगाए या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्धारण करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में कोई मामला संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से तर्कसंगत रूप से ऐसे संचार के जनहित में लाभों पर भारी पड़ने की उम्मीद होगी।

कृते गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000066N

शोभित गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 502897

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 15 सितम्बर, 2021
यूडीआईएन : 21502897AAAADI2122

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक–ख"

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षण की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक बी के संदर्भ में, हम निम्नलिखित सूचना प्रदान करते हैं:

i. क) कंपनी ने मात्रात्मक ब्यौरा तथा अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से अचल परिसंपत्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन किया जाता है, जो कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में तर्कसंगत है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भी सामग्री विसंगति नहीं देखी गई।

ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख पादुर में 3.09 एकड़ भूमि जिसके लिए स्वामित्व विलेख का निष्पादन लंबित है, को छोड़कर कंपनी के नाम में धारित है।

ii. प्रबंधन ने स्वतंत्र सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से भारत सरकार (कैवर्न बी) और एडनोक (कैवर्न ए) की ओर से मैंगलोर में और भारत सरकार की ओर से विशाखापत्तनम और पादुर में उचित अंतराल पर कच्चे तेल की सूची का भौतिक सत्यापन किया है। हमारी राय में, कच्चे तेल की प्रकृति और स्थान के संबंध में, भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।

प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए कच्चे तेल की मात्रा निर्धारित करने की तिथि के लिए नोट संख्या 28 (ii) देखें। हमने पाया है कि भारत सरकार की ओर से कंपनी में रखा गया कच्चा तेल कम है और एडनोक की ओर से कंपनी में रखा गया कच्चा तेल अधिक है।

एक मामले में कमी और दूसरे मामले में अधिकता, इसका मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन की आवश्यकता है।

iii. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों/फर्मों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण मंजूर नहीं किया है। इसलिए कंपनी पर आदेश के पैरा 3 के खंड (iii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

iv. हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई ऋण, गारंटी, प्रतिभूति नहीं दी है या ऐसा कोई निवेश नहीं किया है जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान है। इसलिए आदेश के पैरा 3 के खंड (iv) के प्रावधन कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

v. हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से ऐसा कोई जमा स्वीकार नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और इसके तहत बनाई गई नियमावली के तहत शामिल है।

इसलिए, आदेश के पैरा 3 के खंड (iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vi. हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी की किसी भी गतिविधि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव रखने के लिए निर्धारित नहीं किया है।

vii. क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और लेखा बहियों एवं अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी आम तौर पर आयकर, मूल्य वर्धित कर, कार्य अनुबंध कर, सेवा कर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। उपकर, जीएसटी और उपयुक्त प्राधिकारियों के पास कोई अन्य सांविधिक देय और 31 मार्च, 2021 को उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद बकाया नहीं है।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, विवाद के कारण कंपनी द्वारा निम्नलिखित वैधानिक देय राशि जमा नहीं की गई है :

संविधि का नाम	देयों की प्रकृति	राशि (लाख ₹ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है
आंध्र प्रदेश लघु खनिज रियायत नियमावली, 1996	रायल्टी	11794.95	31.03.2018 तक	खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, आंध्र प्रदेश

विभिन्न प्राधिकरणों में विभिन्न निर्धारणों के लिए आयकर से संबंधित लंबित विवादों के संबंध में, कंपनी ने विवाद से विश्वास अधिनियम, 2021 का लाभ उठाया है और कंपनी द्वारा कर विभाग निर्धारित राशि का हिसाब/जमा किया है और आय कर विभाग में फॉर्म 5 जारी करने के लिए अनुमोदन के लिए लंबित है।

viii. हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने सरकार के ऋणों या उधारियों को चुकता करने में चूक नहीं की है। कंपनी ने ओआईडीबी से अल्पकालिक उधार को छोड़कर किसी वित्तीय संस्था, बैंक या डिबेंचर धारक से किसी भी तरह का उधार का लाभ नहीं उठाया है।

ix. कंपनी ने वर्ष के दौरान इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स सहित) और टर्म लोन के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। इसलिए कंपनी पर डिफॉल्ट के संबंध में आदेश के पैरा 3 का खंड (ix) लागू नहीं होता है।

x. निष्पादित की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं तथा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नोटिस या सूचित नहीं किया गया है।

xi. हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए भुगतान / प्रावधान किया है।

xii. हमारी राय में और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है; इसलिए आदेश के पैरा 3 के अनुच्छेद (xii) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii. हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों जहां लागू होते हैं, के अनुपालन में हैं और वित्तीय विवरणों में लेखांकन के लागू मानकों की आवश्यकता के अनुसार इस तरह के लेनदेन का खुलासा किया गया है।

xiv. हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्णतः अथवा अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई प्राथमिक आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है।

xv. हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर नकदी लेनदेन नहीं किया गया है। इसलिए कंपनी पर आदेश के पैरा 3 के खंड (xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvi. हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45IA के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है।

कृते गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000066N

शोभित गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 502897

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 15 सितम्बर, 2021
यूडीआईएन : 21502897AAAADI2122

तेउविबो OIDB
तेल उद्योग विकास बोर्ड

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक–ग"

कंपनी अधिनियम, 2013 "अधिनियम" की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में अपने लेखा परीक्षण के साथ उस तारीख तक **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (कंपनी) की वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय विवरणों पर के आधार पर वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार कंपनी की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और अनुवेदन, लेखांकन के रिकार्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना सहित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण अभिकल्पित करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय का क्रमबद्ध एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय जाहिर करने की है। हमने आईसीएआई द्वारा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षा के मानकों पर जारी की गई और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, निर्धारित समझी गई मार्गदर्शन टिप्पणी "मार्गदर्शन टिप्पणी" के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणियों के तहत यह अपेक्षित है कि हम नैतिकता की आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखा परीक्षा करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सारवान मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके काम करने की कारगरता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, कोई सारवान कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और

आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं काम करने की कारगरता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या वर्णन के जोखिमों का मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं।

हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर लेखांकन के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अभिकल्पित की जाती है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो

1. अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण सहित, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को सटीक रूप में और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
2. उचित आश्वासन देना कि लेन–देन को सामान्यता स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति प्रदान करने पर रिकॉर्ड किया गया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा
3. अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों के निवारण को समय पर ज्ञात करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जो वित्तीय विवरणों पर एक वास्तविक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का अनुचित उल्लंघन सहित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकती है और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के तथ्य इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों के परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

विचार

हमारी विचार में, कंपनी में, सभी भौतिक दृष्टि से, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर जारी की गई मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के संदर्भ में आवश्यक घटकों

तेउविबो OIDB
तेल उद्योग विकास बोर्ड

को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों की कसौटियों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000066N

शोभित गुप्ता
(साझेदार)
सदस्यता संख्याः 502897

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 15 सितम्बर, 2021
यूडीआईएनः 21502897AAAADI2122

फार्म एम आर–3

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुपालन में]

समाप्त वित्तीय वर्ष 31.03.2021 के लिए

सेवा में,

सदस्यगण,

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर

तीसरा तल, बाबर रोड,

नई दिल्ली–110001

हमने **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (इसके तदपश्चात "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवालयीन लेखा–परीक्षा की है [CIN No-U63023DL2004GOI126973] सचिवालयी लेखापरीक्षा इस तरह से आयोजित किया गया था जिससे हमें उचित कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का आधार था।

सचिवालयीन लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन और कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर भी हम एतद् द्वारा यह सूचित करते है कि हमारे मतानुसार कम्पनी ने **31 मार्च, 2021** को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कम्पनी में उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन तंत्र विद्यमान है जिसका तरीका एवं एतदपश्चात सूचित करने के तरीके को दिया गया है:

हमनें इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्म तथा दाखिल रिटर्न और कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों का परीक्षण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उप नियमय

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेश से प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियमय; लागू नहीं

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत विहित निम्नलिखित विनियम और दिशा–निर्देश :–

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011: लागू नहीं

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 1992: लागू नहीं

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी के जारी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009: लागू नहीं

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशा–निर्देश, 1999: लागू नहीं

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008: लागू नहीं

(च) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के रजिस्टर और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993:

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीबद्ध होना) विनियम, 2009: लागू नहीं

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998: लागू नहीं

(vi) अन्य लागू विधियां :

i) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934;
ii) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974;
iii) तेल क्षेत्र अधिनियम, 1948;
iv) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

(vii) पर्यावरणीय कानून :

i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
ii) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
iv) हानिकारक पदार्थ (प्रबंधन और संचालन) नियम, 1989

(viii) विविध विधियां :

i) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

हमनें कंपनी द्वारा अन्य लागू अधिनियमों के अंतर्गत अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा बनाई गई प्रणालियों तथा तंत्र हेतु कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विश्वास किया है।

हमनें निम्नलिखित के लागू खंडों के साथ अनुपालन का भी परीक्षण किया है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीन मानक।

(ii) कम्पनी द्वारा स्टाक एक्सचेंज(जों) के साथ किए गए सूचीकरण समझौते : लागू नहीं

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने 31.3.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का लागू सीमा तक अनुपालन किया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुछ बोर्ड बैठकें और समिति की बैठकें कम समय के नोटिस पर बुलाई गईं, एजेंडा पर विस्तृत नोट्स के साथ एजेंडा शॉर्ट नोटिस पर भेजा गया और निदेशकों से सहमति ली गई। बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए कार्यवृत्त के अनुसार सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड के सदस्यों ने किसी भी एजेंडा मद पर कोई असहमति व्यक्त नहीं की है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली घटनाओं/कार्रवाई नहीं की है।

कृते पीजी और एसोसिएट्स के लिए

हस्ता./–
(प्रीति ग्रोवर)
कंपनी सचिव
एफसीएस नंबर 5862
सी पी नं.: 6065
पीयर रिव्यू नं. 772/2020

स्थान : नोएडा
दिनांक: 17/08/2021
यूडीआईएनः **एफ005862सी000795057**

अनुलग्नक–क

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर
तीसरा तल, बाबर रोड
नई दिल्ली –110001

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए :

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने कंपनी का कोई कारोबार और/या वित्तीय ऑडिट नहीं किया है और कंपनी द्वारा बताए गए आंकड़े सही माने जाते हैं।
3. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
4. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रिया का पालन किया है।

कृते पीजी & एसोसिएट्स के लिए

एसडी/–
(प्रीति ग्रोवर)
कंपनी सचिव
एफसीएस नंबर 5862
सी पी नं.: 6065
पीयर रिव्यू नं. 772/2020

स्थान : नोएडा
दिनांक: 17/08/2021

अनुलग्नक–ख

स्त्यापित दस्तावेजों की सूची

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट।
2. लेखा–परीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान हुई निदेशक मंडल, बोर्ड की लेखा–परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्यवृत्त और साथ में संबंधित उपस्थिति रजिस्टर।
3. परीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान आयोजित आम सभा बैठकों के कार्यवृत्त।
4. सांविधिक रजिस्टर अर्थात्
   - निदेशकों तथा केएमपी का रजिस्टर
   - अंतरणों का रजिस्टर
   - सदस्यों का रजिस्टर
5. बोर्ड की बैठकों तथा समिति बैठकों हेतु सभी निदेशकों / सदस्यों को प्रस्तुत कार्य–सूची दस्तावेज।
6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के निदेशकों से प्राप्त घोषणाएं।
7. अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू पावधनों के अंतर्गत कंपनी द्वारा दयर किए गए सभी ई–फार्म और लेखा–परीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान तत्संबंधी संलग्नक।
8. एलपीजी प्रेशर वेसल में एलपीजी गैस के भंडारण के लाइसेंस मैंगलोर 30.09.2022, पादुर 31.12.2025 एवं विशाखापत्तनम 30.09.2021 तक वैध है।
9. पादुर सुविधा हेतु 30.06.2021 तक वैध पानी के अंदर उपशिष्टों का निर्वहन धारा 25(4) पानी (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और हवा में उत्सर्जन धारा 21 हवा (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तक वैध है।
10. मैंगलोर सुविधा हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ऊंचाई स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र 26.04.2021 तक वैध है।
11. विशाखापत्तनम में क्रूड ऑयल भंडार करने की वैधता 31.12.2023 तक है।
12. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनिमय के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का गठन और 01.01.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के लिए अधिनियम के अंतर्गत दायर वार्षिक रिटर्न।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के वित्तीय विवरणों पर आईएसपीआरएल के सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सी&एजी द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों, मैसर्स गोयल एंड गोयल (डीई0577) द्वारा वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने रिपोर्ट के अनुलग्नक बी में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अपनी टिप्पणियां दी हैं। प्रबंधन नोट नं. 28 (ii) खातों के नोट जो नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के संदर्भ में, आईएसपीआरएल प्रबंधन ने नीचे दिए गए उत्तर में कंपनी द्वारा संग्रहीत कच्चे तेल की हानि लाभ निर्धारण विधि पर स्पष्ट किया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक टिप्पणी	प्रबंधन उत्तर
प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए कच्चे तेल की मात्रा का निर्धारण करने की तारीख के लिए नोट संख्या 28 (ii) देखें। हमने देखा है कि भारत सरकार की ओर से कंपनी द्वारा रखे गए कच्चे तेल में कमी है और एडनोक की ओर से कंपनी द्वारा रखे गए कच्चे तेल में अधिकता है। एक में कमी और दूसरे मामले में अधिक, इसका मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन की आवश्यकता है।	एडनोक स्टॉक में परिलक्षित कच्चे तेल की अधिकता कच्चे तेल की बिक्री के लिए फ्लो मीटर मापन रीडिंग पर आधारित है। भंडार समाधान के लिए कैवर्नों में, टैंक फार्म प्रबंधन प्रणाली (टीएफएमएस) स्थापित की गई है और ट्रांसमीटरों के माध्यम से स्तर को मापा जाता है। प्रत्येक कच्चे तेल की खरीद और कच्चे तेल की बाहर / बिक्री के बाद, सर्वेक्षणकर्ता द्वारा कैवर्न में कच्चे तेल के स्तर को मापा और प्रमाणित किया जाता है। एडनोक के स्टॉक का पूरी तरह से मिलान किया गया है जब परिमाणीकरण की समान प्रणाली यानी लेवल ट्रांसमीटर का उपयोग किया जाता है और 2662 एमटी की हानि देखी जाती है और एडनोक स्टॉक में कच्चे तेल का कोई लाभ नहीं है। हानि या लाभ की गणना के लिए, कैवर्न स्तरों की टीएफएमएस रीडिंग को संदर्भ स्तर के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि कैवर्न की शुरुआत और बंद स्टॉक भी टीएफएमएस पर आधारित होता है। भारत सरकार और एडनोक दोनों मामलों में हानि का पैटर्न परिमाणीकरण के समान संदर्भ को देखते हुए समान है। एडनोक और भारत सरकार दोनों के कच्चे तेल के लिए सभी कच्चे तेल की रीडिंग

सांविधिक लेखा परीक्षक टिप्पणी	प्रबंधन उत्तर
	सर्वेयर द्वारा प्रमाणित हैं। भारत सरकार के क्रूड के लिए, संचयी हानि 0.004% है और एडनोक के क्रूड के लिए, संचयी हानि 0.002% है। यह नुकसान की 0.03% स्वीकार्य सीमा के भीतर हैं। आईएसपीआरएल बोर्ड की सलाह के अनुसार, आईएसपीआरएल सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर कच्चे तेल के स्टॉक मात्रा माप के संबंध में एक अवधारणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में है।

तेउविबो OIDB
तेल उद्योग विकास बोर्ड

वार्षिक लेखे

2020-21

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन–पत्र
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

लाख ₹ में

विवरण		टिप्पणी	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
(I)	**परिसंपत्तियां**			
	गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	3,28,009.11	3,38,516.20
	(ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.1	-	-
	(ग) अमूर्त परिसम्पत्ति	2.2	7,100.95	7,100.95
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) ऋण	3	556.18	556.18
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4	74.64	74.64
	(ङ) आय कर परिसंपत्तियां (निवल)		169.69	63.33
	(च) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	5	9,816.17	-
	उप जोड़		**3,45,726.74**	**3,46,311.30**
(II)	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) नकदी और नकदी तुल्य	6	2,270.93	8,634.51
	(ii) उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक शेष राशि	7	13,897.71	545.80
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	3,012.64	3,910.30
	(ख) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	9	1,378.68	65,231.83
	उप जोड़		**20,559.96**	**78,322.44**
	कुल		**3,66,286.70**	**4,24,633.74**
(I)	**इक्विटी और देयताएं**			
	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	3,77,587.47	3,77,587.47
	(ख) अन्य इक्विटी	11	(43,535.66)	(33,484.29)
	उप जोड़		**3,34,051.81**	**3,44,103.18**
(II)	**देयताएं**			
	गैर–वर्तमान देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी	12	562.12	870.14
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं			
	उप जोड़		**562.12**	**870.14**
(III)	**वर्तमान देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी	13	9,816.17	-
	(ii) देय व्यापार	14	1,709.67	6,096.77
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	15	14,127.49	7,640.43
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	16	6,019.44	65,923.22
	उप जोड़		**31,672.77**	**79,660.42**
	कुल		**3,66,286.70**	**4,24,633.74**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1
लेखे पर टिप्पणियां 2-28
उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां तुलन–पत्र का एक अभिन्न भाग है।
हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2021

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)	(एच.पी.एस. आहुजा)
निदेशक	सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 08389048	डीआईएन : 07793886
हस्ता./–	हस्ता./–
(गोपेश्वर कुमार सिंह)	(अरूण तलवार)
मुख्य वित्त अधिकारी	कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2021 के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
आय					
ब्याज आय			85.56		358.13
अन्य आय	17		775.32		95.39
कुल आय			**860.88**		**453.52**
व्यय					
मूल्यह्रास और परिशोधन	18		9,868.16		10,408.74
वित्त लागत (इंड एएस 116)	19		11.86		12.10
ओ एंड एम व्यय	20	11,446.95		13,769.56	
घटा : ओ एंड एम व्यय भारत सरकार से पुनर्प्राप्त/पुनर्प्राप्त योग्य, एडनोक तथा एचपीसीएल		11,446.95	-	13,769.56	-
चरण II के लिए खर्चे			770.36		89.68
कुल व्यय			**10,650.38**		**10,510.52**
असाधारण					
पूर्व अवधि समायोजन			(261.87)		10.70
कर पूर्व हानि			**(10,051.37)**		**(10,046.30)**
कर व्ययः					
वर्तमान कर			-		-
पिछले वर्षों के लिए आयकर भुगतान (वीएसवी योजना के तहत)			13.35		650.12
कम :– भारत सरकार से पुनर्प्राप्ति / पुनर्प्राप्ति योग्य			(13.35)		(536.53)
आस्थगित कर			-		-
कुल कर व्यय			-		**113.59**
वर्ष हेतु हानि			**(10,051.37)**		**(10,159.89)**
अन्य व्यापक आय					
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (इसमें लाभ/(हानि) तथा वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय शामिल है)			**(10,051.37)**		**(10,159.89)**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (रु. 10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)	21				
(i) मूलभूत			(0.27)		(0.27)
(ii) तनुकृत			(0.27)		(0.27)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1
लेखे पर टिप्पणियां 2-28
उपर्युक्त संदर्भित टिप्पणियां लाभ एवं हानि विवरण का एक अभिन्न भाग है।
हमारी संलग्न तारीख रिपोर्ट के अनुसार

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2021

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)	(एच.पी.एस. आहुजा)
निदेशक	सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 08389048	डीआईएन : 07793886
हस्ता./–	हस्ता./–
(गोपेश्वर कुमार सिंह)	(अरूण तलवार)
मुख्य वित्त अधिकारी	कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण
सीआईएन :– U63023DL2004GOI126973

लाख ₹ में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(क)	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह विवरण**		
	कराधान से पहले शुद्ध लाभ	(10,051.37)	(10,046.30)
	समायोजन हेतु :		
	कर	-	(113.59)
	मूल्यह्रास	9,883.28	10,408.74
	वित्त लागत (इंड एएस–116)	11.86	12.10
	ब्याज आय	(85.56)	(358.13)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**(241.79)**	**(97.18)**
	समायोजन हेतु :		
	वित्तीय तथा अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	54,935.14	(67,279.47)
	देयताएं और प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	(57,573.34)	66,440.52
	कार्यशील पूंजी में निवल वृद्धि/(कमी)	**(2,638.19)**	**(838.95)**
	संचालन से उत्पन्न नकदी	**(2,879.98)**	**(936.13)**
	प्रत्यक्ष कर भुगतान (वापसी का निवल)	(106.36)	76.05
	प्रचालन क्रियाकलापों से कुल नकदी प्रवाह (क)	**(2,986.34)**	**(860.08)**
(ख)	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह (करोड़)**		
	वित्तीय परिसंपत्तियों /सीडब्ल्यूआईपी की खरीद	(12.91)	(367.95)
	संपत्ति संयंत्र और मशीनरी का विपूंजीकरण	636.72	-
	एफडीआर में निवेश (3 महीने से अधिक)	(13,352.43)	(31.47)
	प्राप्त ब्याज	85.56	358.13
	निवेश गतिविधियों मे उपयोग शुद्धनकदी (ख)	**(12,643.06)**	**(41.29)**
(ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (करोड़)**		
	उधार से आय	9,816.17	-
	अनुदान से प्राप्तियां (वापसी का शुद्ध)	235.13	635.00
	ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन	(770.36)	(89.68)
	शेयर पूंजी इश्यु पर स्टाम्प शुल्क	-	(2.75)
	ब्याज लागत (इंड एएस 116)	(11.86)	(12.10)
	लीज देनदारी (इंड एएस 116)	(3.26)	568.70
	वित्तीय गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह (ग)	**9,265.82**	**1,099.17**
(घ)	**नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/कमी (क+ख+ग)**	**(6,363.58)**	**197.80**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य	**8,634.51**	**8,436.71**
	वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	**2,270.93**	**8,634.51**

साथ दिनांक के अनुसार हमारी संलग्न रिपोर्ट

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2021

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)
निदेशक
डीआईएन : 08389048

हस्ता./–
(एच.पी.एस. आहुजा)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 07793886

हस्ता./–
(गोपेश्वर कुमार सिंह)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(अरूण तलवार)
कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	3,77,587.47	3,74,837.47
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	2,750.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	**3,77,587.47**	**3,77,587.47**

ख. अन्य इक्विटी

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ मे शेष	(33,484.29)	(23,321.65)
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	(10,051.37)	(10,159.89)
जारी शेयरों पर स्टाम्प ड्यूटी	-	(2.75)
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में शेष	**(43,535.66)**	**(33,484.29)**

गोयल एंड गोयल
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000066एन

हस्ता./–
(सीए शोभित गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 502897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2021

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./–
(बी.एन.रेड्डी)
निदेशक
डीआईएन : 08389048

हस्ता./–
(एच.पी.एस. आहुजा)
सीईओ एवं एमडी
डीआईएन : 07793886

हस्ता./–
(गोपेश्वर कुमार सिंह)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./–
(अरूण तलवार)
कंपनी सचिव

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	इंड एएस 116 के प्रभाव	निपटान/कटौती/अंतरण/पुनः वर्गीकरण/पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 को मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	निपटान/कटौती/अंतरण/पुनः वर्गीकरण/पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2021 को कुल मूल्यह्रास	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
(क) भवन	18,503.73	-		(56.23)	18,447.50	1,439.67	511.56	(0.61)	1,950.62	16,496.88	17,064.06
(ख) सड़कें तथा पुलिया	3,165.30	-		-	3,165.30	1,322.12	291.91	-	1,614.03	1,551.27	1,843.18
(ग) संयंत्र और मशीनरी	1,26,759.86	-		-	1,26,759.86	14,676.62	5,159.21	-	19,835.83	1,06,924.03	1,12,083.24
(घ) कैवर्न	2,03,579.56	-		(631.23)	2,02,948.33	9,325.85	3,392.87	(10.52)	12,708.20	1,90,240.13	1,94,253.71
(ङ) फर्नीचर और फिक्सचर	129.05	-		38.06	167.11	47.97	17.13	1.25	66.35	100.76	81.08
(च) परिवहन वाहन	131.41	-		-	131.41	42.06	15.61	-	57.67	73.74	89.35
(छ) कार्यालय उपकरण	436.54	6.29		8.79	451.62	329.54	53.28	0.58	383.40	68.22	107.00
(ज) कम्प्यूटर	1,233.03	6.62		3.89	1,243.54	975.21	136.25	(218.31)	893.15	350.39	257.82
(झ) उपयोग का अधिकार (इंड एएस-116)	13,269.83	-	-	-	13,269.83	533.07	533.07	-	1,066.14	12,203.69	12,736.76
कुल	3,67,208.31	12.91		(636.72)	3,66,584.50	28,692.11	10,110.89	(227.61)	38,575.39	3,28,009.11	3,38,516.20

विगत वर्ष

लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	इंड एस 116 के प्रभाव	निपटान/कटौती/अंतरण/पुनः वर्गीकरण/पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 को मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	निपटान/कटौती/अंतरण/पुनः वर्गीकरण/पुनः निर्धारण जीवनकाल	31 मार्च, 2020 को कुल मूल्यह्रास	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
(क) भवन	18,341.95	161.78		-	18,503.73	929.72	509.95	-	1,439.67	17,064.06	17,412.23
(ख) सड़कें तथा पुलिया	3,165.30	-		-	3,165.30	885.31	436.81	-	1,322.12	1,843.18	2,279.99
(ग) संयंत्र और मशीनरी	1,26,759.86	-		-	1,26,759.86	9,509.10	5,167.52	-	14,676.62	1,12,083.24	1,17,250.76
(घ) कैवर्न	2,03,344.20	235.36		-	2,03,579.56	5,943.95	3,381.90	-	9,325.85	1,94,253.71	1,97,400.25
(ङ) फर्नीचर और फिक्सचर	128.98	0.07		-	129.05	35.05	12.92	-	47.97	81.08	93.93
(च) परिवहन वाहन	131.41	-		-	131.41	26.45	15.61	-	42.06	89.35	104.96
(छ) कार्यालय उपकरण	424.92	11.62		-	436.54	247.70	81.84	-	329.54	107.00	177.22
(ज) कम्प्यूटर	1,216.22	16.81		-	1,233.03	690.97	284.24	-	975.21	257.82	525.25
(झ) उपयोग का अधिकार (इंड एएस-116)	-	-	13,269.83	-	13,269.83	-	533.07	-	533.07	12,736.76	-
कुल	3,53,512.84	425.64	13,269.83	-	3,67,208.31	18,268.25	10,423.86	-	28,692.11	3,38,516.20	3,35,244.59

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 2.1 : प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

लाख ₹ में

विवरण		31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
चरण–I – विशाखापट्टनम कैवर्न भंडारण परियोजना	प्रारंभिक शेष जोड़ें : वर्ष के दौरान वर्धन घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत/विपूंजीकृत	- - -	42.57 119.21 (161.78)
कुल (प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य)	शेष बकाया (क)	-	-

टिप्पणी सं. 2.2 : अमूर्त परिसंपत्तियां

लाख ₹ में

अमूर्त परिसंपत्तियां (पाइपलाइन के लिए आरओयू)

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
वर्ष की शुरुआत के रूप में सकल ब्लॉक	7,100.95	7,100.95
वर्ष के दौरान अन्य संपत्तियों से जोड़ / स्थानांतरण	-	-
निपटान / कटौती / स्थानांतरण / पुनर्वर्गीकरण	-	-
वर्ष के अंत में सकल ब्लॉक	7,100.95	7,100.95
वर्ष की शुरुआत में अमूर्तकरण	-	-
वर्ष के दौरान अमूर्तकरण	-	-
निपटान / कटौती / स्थानांतरण / पुनर्वर्गीकरण	-	-
वर्ष के अंत में अमूर्तकरण	-	-
निवल खंड	7,100.95	7,100.95

नोटः पाइपलाइन के लिए आरओयू निरंतर आधार पर अधिग्रहित किया जाता है, इसलिए कोई अमूर्तकरण प्रदान नहीं किया जा रहा है।

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 3 – ऋण

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
		लाख ₹ में
(अप्रतिभूत परिशोधित लागत पर अच्छे माने गए)		
सुरक्षा जमा	556.18	556.18
कुल	**556.18**	**556.18**

टिप्पणी सं. 4 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
		लाख ₹ में
प्रवेश कर की मांग के प्रतिकूल अग्रिम	74.64	74.64
कुल	**74.64**	**74.64**

टिप्पणी सं. 5 – अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
		लाख ₹ में
(अप्रतिभूत परिशोधित लागत पर अच्छे माने गए)		
भूमि के लिए केआईएडीबी को पूंजी अग्रिम (द्वितीय चरण)	9,816.17	-
कुल	**9,816.17**	-

टिप्पणी सं. 6 – नकदी और नकदी तुल्य

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
		लाख ₹ में
बैंक शेष :		
चालू खाते में	2,222.73	3,793.69
सावधि जमा में (तीन माह के भीतर परिपक्वता)	48.00	4,840.74
नकद शेष :		
हस्तगत नकदी	0.20	0.08
कुल	**2270.93**	**8,634.51**

टिप्पणी सं. 7 – बैंक राशि उपरोक्त के अलग

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
		लाख ₹ में
सावधि जमा (परिपक्वता तीन महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष में देय होने के कारण)	13,897.71	545.80
कुल	**13,897.71**	**545.80**

टिप्पणी सं. 8 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
		लाख ₹ में
(अप्रतिभूत परिशोधित लागत पर अच्छे माने गए)		
भारत सरकार से प्राप्य ओ एंड एम व्यय	-	2,460.21
एबपीसीएल से प्राप्य ओ एंड एम व्यय	2,015.94	1,151.37
ऋण ॥ भारत सरकार से प्राप्य व्यय	49.15	-
एडीएनओसी से वसूली योग्य परिचालन और अन्य व्यय	877.28	280.78
सावधि जमा (परिपक्वता एक वर्ष से अधिक)	0.52	-
उपार्जित ब्याज	19.33	17.57
नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	50.42	0.37
कुल	**3,012.64**	**3,910.30**

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 9 – अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
		लाख ₹ में
(अप्रतिभूत अच्छे समझे गए)		
एमआरपीएल से नकद और किस्म के रूप में वसूली	-	64,569.00
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	3.77	7.87
पूर्व प्रदत्त किराया	735.78	-
जीएसटी क्रेडिट	639.12	654.25
अन्य	0.01	0.71
कुल	**1,378.68**	**65,231.83**

टिप्पणी सं. 10 – शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार		31 मार्च, 2020 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
				लाख ₹ में
इक्विटी शेयर पूंजी				
(क) प्राधिकृत				
रु. 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर	3,83,25,60,000	3,83,256.00	3,83,25,60,000	3,83,256.00
(ख) निर्गत, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त				
रु. 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर	3,77,58,74,670	3,77,587.47	3,77,58,74,670	3,77,587.47

टिप्पणियां

(i) इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
रु. 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर		
प्रारंभिक शेष	3,77,58,74,670	3,74,83,74,670
जारी किए गए शेयर	-	2,75,00,000
पुनः खरीद किए गए शेयर	-	-
अंतिम शेष	3,77,58,74,670	3,77,58,74,670

(ii) 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2021 के अनुसार		31 मार्च, 2020 के अनुसार	
	धारित शेयरों की संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारित का %	धारित शेयरों की संख्या	शेयरों की उस श्रेणी में धारित का %
रु. 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और उसके नामित	3,77,58,74,670	100%	3,77,58,74,670	100%
कुल	**3,77,58,74,670**	**100%**	**3,77,58,74,670**	**100%**

(iii) इक्विटी शेयरों से युक्त शर्तें / अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिनका प्रति मूल्य रु. 10 प्रत्येक का है और एक शेयर पर एक मत दिया जा सकता है। निगम के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक, उनके द्वारा धारित इक्विटी की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(iv) तुलन पत्र के अनुसार पिछले पाँच वर्षों की अवधि के लिए

(क) नकदी में भुगतान प्राप्त किए बिना भुगतान (अनुबंधों) के अनुसार पूरी तरह भुगतान किए गए शेयरों की कुल संख्या।	शून्य
(ख) बोनस शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों के वर्ग की कुल संख्या।	शून्य
(ग) शेयरों और शेयरों के वर्ग की कुल संख्या वापस लाई गई।	शून्य

वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 11 – अन्य इक्विटी

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
प्रतिधारित आय का शेष:		
पिछले वर्ष के लेखे से अग्रेषित शेष	(33,484.29)	(23,321.65)
निर्गत शेयर पर स्टाम्प शुल्क	-	(2.75)
वर्ष हेतु (हानि)	(10,051.37)	(10,159.89)
कुल	**(43,535.66)**	**(33,484.29)**

टिप्पणी सं. 12 – अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
आपूर्तिकारों/संविदाकारों से जमा/जमा	0.20	304.70
पट्टा बाध्यता (इंड एएस–116)	561.92	565.44
कुल	**562.12**	**870.14**

टिप्पणी सं. 13 – उधार

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
(i) संबंधित पक्षों से असुरक्षित ऋण (ओआईडीबी) (ब्याज मुक्त)	9,816.17	-
कुल	**9,816.17**	**-**

टिप्पणी सं. 14 – व्यापार देयताएं

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के देय	0.52	70.45
(ii) पूंजीगत व्यय के लिए देय	94.71	1,866.07
(iii) अन्यों को देय	1,614.44	4,160.24
कुल	**1,709.67**	**6,096.77**

टिप्पणी सं. 15– अन्य वित्तीय देयताएं (परिशोधित लागत पर)

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
(परिशोधित लागत पर)		
एडनोक को देय (निवल)	7,000.00	7,000.00
पट्टा बाध्यता (इंड एएस–116)	3.52	3.26
ओ एंड एम खर्चों के खिलाफ भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम	6,209.81	-
आपूर्तिकारों/संविदाकारों से जमा	914.16	637.17
कुल	**14,127.49**	**7,640.43**

टिप्पणी सं. 16 – अन्य वर्तमान देयताएं

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
सांविधिक देय	149.18	700.05
भारत सरकार को देय/वापसी (कच्चा तेल)	4,182.15	64,569.00
भारत सरकार को देय/वापसी (अव्ययित राशि पर ब्याज)	1,548.86	-
एचपीसीएल वाईजैग को देय	97.28	76.97
ओआईडीबी से अनुदान	29.36	564.59
अन्य	12.61	12.61
कुल	**6,019.44**	**65,923.22**

टिप्पणी सं. 17 – अन्य आय

लाभ तथा हानि खाते में अन्य आय

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
अन्य आय		
ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन (फेस II)	770.36	89.68
परिसमापन क्षतिपूर्ति	2.62	3.62
आयकर रिफंड पर ब्याज	2.34	2.09
कुल आय	**775.32**	**95.39**

टिप्पणी सं. 18 – मूल्यह्रास और परिशोधन

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
मूल्यह्रास	9,350.21	9,890.79
लीज रेंट (लीजहोल्ड लैंड) का परिशोधन	533.07	533.07
कमः – भारत सरकार से ओएंडएम व्यय के रूप में वसूली (इंड एस–116)	(15.12)	(15.12)
शुद्ध मूल्यह्रास और परिशोधन	**9,868.16**	**10,408.74**

टिप्पणी सं.19 वित्त लागत

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
लीज देनदारी पर ब्याज	41.59	41.83
कमः – भारत सरकार से ओ एंड एम व्यय के रूप में वसूली (इंड एस–116)	(29.73)	(29.73)
शुद्ध मूल्यह्रास और परिशोधन	**11.86**	**12.10**

टिप्पणी सं.20 अन्य खर्चे

लाख ₹ में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
ओएंडएम व्यय		
क) मेनपावर व्यय (परियोजना स्थल) (आईटीबीपी के अलावा)	4,309.17	4,148.70
ख) मेनपावर व्यय – आईटीबीपी	1,311.96	4,001.51
ग) विद्युत व्यय	1,360.10	1,455.19
घ) बीमा व्यय	2,428.52	1,874.62
ङ) उपभोग्य व्यय	472.94	384.42
च) मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र ओ एंड एम शुल्क	107.13	28.99
छ) अन्य व्यय	1,367.36	1,586.27
ज) कॉरिडोर चार्ज– मैंगलोर	89.77	289.86
कुल	11,446.95	13,769.56
कम : – ओ एंड एम खर्चे वसूली योग्य भारत सरकार तथा/या एचपीसीएल से प्रति योग्य	11,069.92	13,769.56
कम : – एडीएनओसी से वसूली योग्य परिचालन लागत	377.03	-
फेस II का डीएफआर व्यय	770.36	89.68
कुल	**770.36**	**89.68**

टिप्पणी संख्या 21 भारतीय लेखा मानकों–33 के तहत ईपीएस के प्रकटीकरण

टिप्पणी	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
		लाख ₹ में	
	प्रति शेयर आय		
(i)	**मूल**		
	इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(10,051.37)	(10,159.89)
	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	3,77,58,74,700	3,77,32,37,684
	प्रति शेयर बराबर मूल्य	10.00	10.00
	निरंतर संचालन से प्रति शेयर हानि – मूल	(0.27)	(0.27)
(ii)	**तनुकृत**		
	इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(10,051.37)	(10,159.89)
	बकाया शेयरों की भारित संख्या – तनुकृत के लिए	3,77,58,74,700	3,77,32,37,684
	प्रति शेयर बराबर मूल्य	10.00	10.00
	निरंतर संचालन से प्रति शेयर नुकसान – तनुकृत	(0.27)	(0.27)

टिप्पणी संख्या. 22 पट्टों, प्रतिबद्धताओं और आकस्मिकताओं

22.1 पट्टों

कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) संशोधन नियम, 2019 और कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने इंड एएस–116 पट्टों के रूप में अधिसूचित किया है जो मौजूदा पट्टे इंड एएस 17 के रूप में पट्टे और अन्य व्याख्याओं की जगह लेता है। इंड एएस–116 पट्टों के लिए एक बैलेंस शीट लीज़ अकाउंटिंग मॉडयूल पेश करता है।

(i) 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण विधियों का उपयोग करते हुए इंड एएस–116 के रूप में अपने पट्टो के लिए अपनाया है। पट्टा देयता को प्रारंभिक आवेदन की तारीख मे वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट प्राप्त शेष पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और उपयोग की संपत्ति का अधिकार पट्टे की देयता और प्रीपेड किराया के बराबर राशि पर मान्यता दी गई है, जो बैलेंस शीट में मान्यता से पहले थी, प्रारंभिक आवेदन की तारीख, यदि कोई हो। कंपनी ने अप्रैल 2019 के लिए ओआईडीबी (100% शेयरधारक) ब्याज दर को अपनाया है। इसके अलावा, कंपनी ने निम्नलिखित सामीचीन प्रयास किया है: –

(i) कंपनी ने यह आश्वस्त नहीं किया है कि कोई अनुबंध है, या उसमें शामिल है, प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर एक पट्टा, यानी अनुबंध 31 मार्च, 2019 को इंड एएस 17 के अनुसार पट्टे पर वर्गीकृत किया गया।

(ii) इंड एएस–116 के रूप में पट्टों के रूप मे माना जाता है और अनुबंध के लिए मानक लागू नहीं है जो पहले इंड एएस 17 के रूप में इंड एएस को लागू करने वाले पट्टे के रूप में पहचाने नहीं गए थे

(iii) पट्टे जिनके लिए प्रारंभिक आवेदन की तारीख के 12 महीने के भीतर पट्टे की शर्तें समाप्त हो जाती हैं, उन्हें कम समय के पट्टों के रूप में देखा गया है

कंपनी ने भूमि से संबंधित पट्टे की व्यवस्था में प्रवेश किया है। रिपोर्टिंग अवधि के तहत बिक्री और लीज बैक लेनदेन की व्यवस्था नहीं है।

लीजहोल्ड भूमि के लिए महत्वपूर्ण पट्टों का विवरण निम्नानुसार है: –

(क) 37 एकड़ भूमि के लिए 30 वर्षों की अवधि के लिए विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के साथ व्यवस्था।

(ख) 104.73 एकड़ भूमि के लिए 50 वर्षों की अवधि के लिए मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के साथ व्यवस्था।

(ग) 138.56 एकड़ भूमि 20 वर्षों की अवधि के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के साथ व्यवस्था।

(घ) 37.35 एकड़ भूमि का 15 वर्षो की अवधि के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के साथ व्यवस्था।

तेउविबो OIDB

(ii) **लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि या उपयोग के अधिकार की राशि:**

	2020-21	2019-20
	₹ लाख में	
- प्रीपेड लीज रेंटल (पहले मौजूदा संपत्ति के रूप में और गैर–वर्तमान संपत्ति को परिचालन पट्टे के रूप में दिखाया गया है)	NA	12698.11
- उपयोग के अधिकार के रूप में पूंजीकृत		
- उपयोग के अधिकार में वृद्धि और लीज बाध्यता	NA	571.72
- उपयोग के अधिकार में वृद्धि पर मूल्यह्रास को मान्यता	15.12	15.12
- प्रीपेड लीज रेंटल पर मूल्यह्रास मान्यता	517.95	517.95
- लीज बाध्यता पर ब्याज	41.59	41.83
- वृद्धिशील उधार दर	7.94%	7.94%
- लीज रेंटल पेमेंट	44.85	44.85

पीपीई में शामिल उपयोग के अधिकार का विवरण अंतर्निहित परिसंपत्तियों के वर्ग द्वारा पट्टों के रूप में निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

₹ लाख में

परिसंपत्ति वर्ग	मद को आरओयू एसेट में 31.03.2019 को जोड़ा गया।	संचित मूल्यह्रास	31.03.2021 तक शुद्ध वहन मूल्य
लीजहोल्ड भूमि	13,269.83	1,066.14	12,203.69

* 31.3.2019 तक आरओयू आस्तियों में जोड़े गए आइटम रुपये 12698.11 लाख के शुद्ध वहन मूल्य पर 01.04.2019 से पहले दर्ज परिचालन पट्टे शामिल हैं, जो कि राइट टू यूज के रूप में 01.04.2019 को उपयोग में लाया गया है।

भविष्य के नकदी बहिर्वाह के मद का विवरण, जिसे कंपनी पट्टे के रूप में उजागर करती है, लेकिन पट्टे की देनदारियों के माप में परिलक्षित नहीं होते हैं

(i) **परिवर्तनीय लीज भुगतान**

परिवर्तनीय लीज भुगतान जो एक इंडेक्स पर निर्भर करता है या लीज देयता के माप में शामिल होने के लिए एक दर है जो प्रारंभ तिथि पर भुगतान नही किया जाता है। सामान्य उद्योग अभ्यास के अनुसार, कंपनी विभिन्न वैरिएबल लीज पेमेंट को लागू करती है, जो किसी इंडेक्स या रेट (कैएमएस कवर या बिक्री के प्रतिशत आदि पर आधारित वैरिएबल) पर आधारित नहीं हैं और लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त हैं और लीज देयता के माप में शामिल नहीं है। ।

(ii) **विस्तार और समाप्ति विकल्प**

कंपनी के पट्टे की व्यवस्था में केवल परिचालन लचीलापन प्रदान करने के लिए विस्तार विकल्प शामिल है। कंपनी हर पट्टे के शुरू होने पर आकलन करती है कि क्या विस्तार विकल्पों का उपयोग करना उचित है और आगे के आश्वासन पर यह सुनिश्चित करना कि क्या यह विकल्प का उपयोग करना उचित है या नहीं, इसके नियंत्रण में परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, हालांकि, जहां कंपनी को विस्तार करने के लिए एकल विवेक है अनुबंध इस तरह के पट्टे की अवधि में पट्टे प्रयोगशालाओं की गणना के उद्देश्य से शामिल है।

(iii) **अवशिष्ट मूल्य की गारंटी**

कोई अवशिष्ट मूल्य की गारंटी नही है।

(iv) **प्रतिबद्ध पट्टे जो अभी शुरू होने हैं**

कोई प्रतिबद्ध पट्टा नही है जो अभी शुरू होना है।

(v) नॉन–कैंसेबल ऑपरेटिंग लीज के लिए भविष्य की न्यूनतम लीज रेंटल प्रतिबद्धता के बीच अंतर 31 मार्च, 2019 को लीज देयता की तुलना में 1 अप्रैल, 2019 तक के हिसाब से बताया गया, जो मुख्य रूप से रद्द करने योग्य के लिए लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य को शामिल करने के कारण है। इंड एएस–116 की आवश्यकता के अनुसार लीज देनदारियों में छूट और पट्टों के लिए प्रतिबद्धताओं के बहिष्कार के कारण कटौती, जिसके लिए कंपनी ने मानक के अनुसार व्यावहारिक समीक्षक को लागू करने के लिए चुना है।

(vi)	इस मानक के लागू होने से वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में 11.86 लाख रुपये (पिछले वर्ष: 12.11 लाख रुपये) (मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय और वित्त लागत में वृद्धि) में 56.71 लाख रुपये (पिछले वर्ष रुपये 56.96 लाख) की शुद्ध कमी आई है, क्रमशः कार्यालय, प्रशासन, बिक्री और अन्य खर्चों में रुपये की कमी 44.85 लाख (पिछले वर्ष 44.85 लाख रुपये)।

22.2 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (इसके लिए प्रदान नहीं की गई सीमा तक)

विवरण

(क) आकस्मिक देयताएं

कंपनी के खिलाफ दावा नहीं के रूप में ऋण की राशि ₹96174.59 लाख (2020: ₹ 98866.59 लाख) शामिल हैं

क) वाईजैग में खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा रॉयल्टी की विवादित मांग ₹11794.95 लाख (2020: ₹ 11794.95 लाख)

ख) ठेकेदारों द्वारा ₹84305.00 लाख (2020: ₹86997.00 लाख) के विवादित दावों को ईआईएल द्वारा विभिन्न साइटों पर शुरू की गई परियोजनाओं के कारण खारिज कर दिया गया, जिनके मामले मध्यस्थों के पास लंबित हैं। इनमें से एक दावे के लिए, ₹3599.86 लाख के लिए एचसीसी लिमिटेड के पक्ष में एक मध्यस्थता दावा ₹75 लाख की कानूनी लागत और 10 नवंबर 2017 से 9% की दर से ब्याज के साथ बनाया गया है, जो 31 मार्च 2021 तक ₹1098 लाख होने का अनुमान है। 26 जून 2021 को। कंपनी उसी के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है।

ग) प्रवेश कर की विवादित मांग ₹74.64 लाख (2020: ₹74.64 लाख)। कंपनी ने प्रवेश कर के विवाद के समाधान के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा प्रख्यापित कर समाधान योजना का लाभ उठाया है। कंपनी के अनुसार कोई दायित्व नहीं है और कंपनी ने प्रवेश कर के लिए ₹74.64 लाख की बलपूर्वक वसूली के खिलाफ रिट याचिका दायर की है और मामला माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

ज) पूंजी प्रतिबद्धताओं

पूंजी खाते पर निष्पादित और जिनके लिए व्यवस्था नहीं की गई वाले अनुबंधों की अनुमानित शेष राशि ₹ शून्य (2020: शून्य) है।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 23 – संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

इंड एएस 24 के अनुसार संबंधित पार्टियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	
संबंधित पक्षों के ब्यौरे:	
संबंध का विवरण	संबंधित पक्षों का नाम
धारक संगठन	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) ने कंपनी में 100% इक्विटी धारित की हुई है।
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	(1) श्री एचपीएस आहुजा, सीईओ और एमडी (2) श्री गोपेश्वर कुमार सिंह, सीएफओ (05.11.2020 से प्रभावी) (3) श्री गौतम सेन, सीएफओ (16.10.2020 तक) (4) श्री अरुण तलवार, कंपनी सचिव निदेशक मंडल (पदेन) श्री तरुण कपूर, अध्यक्ष (15.05.2020 से प्रभावी) श्री एम एस कुट्टी, अध्यक्ष (30.04.2020 तक) श्री राजेश अग्रवाल, निदेशक (01.01.2020 से प्रभावी) श्री बी.एन. रेड्डी, निदेशक (09.04.2019 से प्रभावी) डॉ. निरंजन कुमार सिंह, निदेशक (01.01.2020 से प्रभावी) सुश्री इंद्राणी कौशल, निदेशक (01.08.2019 से प्रभावी)

(i) केएमपी पारिश्रमिक (लेबिट नोट के आधार पर)

(लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
सीईओ एवं एमडी	47.29	61.03
सीएफओ	74.43	63.31
सीएस	56.34	45.54
कुल	178.06	169.88

(ii) धारक कंपनी (ओआईडीबी)

शेयरों का आवंटन / शेयर आवेदन राशि	-	2,750.00
ओआईडीबी को व्यय की प्रतिपूर्ति	22.12	25.96
फेज II के खर्चों के लिए अनुदान	594.91	635.00
द्वितीय चरण के लिए अप्रयुक्त अनुदान की वापसी	359.78	-
ब्याज मुक्त असुरक्षित ऋण	9,816.17	-

संबंधित पार्टियों के साथ बकाया राशि

(लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) धारक कंपनी (ओआईडीबी)		
असुरक्षित ऋण	9,816.17	-
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए ओआईडीबी को देय	20.49	22.12

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 24 – खंड रिपोर्टिंग

1. कंपनी भारत सरकार के संप्रभुत्व वाले खनिज तेल भंडारों हेतु भंडारण परिसंपत्तियों के निर्माण तथा ऐसी परिसंपत्तियों का रखरखाव भी करती है, इसे एकल प्राथमिक खंड माना जाता है।

2. भौगोलिक सूचना लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के सभी प्रचालन भारत के भीतर है।

टिप्पणी सं. 25 – वित्तीय उपकरणों

श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरणों

1) प्रबंधन ने यह आकलन किया है कि नकदी तथा नकदी तुल्य, अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों, देय व्यापार, अल्पावधि ऋण और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य का आकलन उनकी वहन राशि के लगभग पर किया जाता है।

2) वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताओं के उचित मूल्य को उस राशि में शामिल किया जाता है जिस पर लिखत को इच्छुक पक्षों के मध्य किसी वर्तमान संव्यवहार में आदान–प्रदान किया जाता है, सिवाय किसी बाध्यकारी या परिसमापन बिक्री के।

3) उचित मूल्य स्तर के संबंध में उक्त प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड
तेउविबो OIDB

टिप्पणी सं. 26 – वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

1. वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी की गतिविधियां इसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों में उजागर करती हैं: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी का प्राथमिक फोकस वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशितता का अनुमान लगाना और इसके वित्तीय प्रदर्शन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। कंपनी के लिए प्राथमिक बाजार जोखिम ब्याज दर जोखिम है। वर्तमान में कंपनी का कोई राजस्व मॉडल नहीं है और ओ एंड एम जीबीएस के साथ मिलते हैं इसलिए यह किसी भी वास्तविक ब्याज दर जोखिम के संपर्क मे नहीं है।

कंपनी की मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य प्राप्य और सुरक्षा जमा शामिल है। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालनों का वित्त–पोषण है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और नकदी/नकदी तुल्य शामिल है जो सीधे प्रचालनों से निकलते है।

वर्तमान में कंपनी इसके प्राकृतिक व्यापार संपर्क तथा साथ ही साथ ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों से संबंधित बाजार जोखिम सहित वित्तीय लेखपत्र के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी वित्तीय जोखिम के संपर्क में नहीं है। वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी हेतु उचित वित्तीय जोखिम शासन ढांचे के साथ इन जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी करता है।

2. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है जहां किसी वित्तीय लेखपत्र के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार मूल्यों मे परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। बाजार मूल्यों में तीन प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं : मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय लेखपत्रों में ऋण तथा उधार, जमा, निवेश, तथा व्युत्पन्न वित्तीय लिखत शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम होता है जहां किसी वित्तीय लेखपत्र के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह मे विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होते हैं। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहां किसी वित्तीय लेखपत्र के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढाव होते हैं। वर्तमान में कंपनी के वित्तीय लेखपत्र किसी भौतिक बाजार जोखिम के संपर्क में नहीं है।

3. ऋण जोखिम

ग्राहक के ऋण जोखिम का प्रबंधन प्रत्येक व्यापार इकाई द्वारा ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित कंपनी की स्थापित नीतियों, प्रक्रियाओं तथा नियंत्रण के अधीन किया जाता है। किसी ग्राहक की ऋण गुणवत्ता का आकलन व्यापक विश्लेषण पर आधारित होता है और बकाया ग्राहक प्रतियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वर्तमान में कोई व्यापार प्राप्य नहीं है।

4. तरलता जोखिम

कंपनी निधियों की कमी के अपने जोखिम की निगरानी ध्यानपूर्वक करती है। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकता का प्रबंधन धारक कंपनी से अल्पावधि ऋणों पर पहुंच बनाए रखते हुए करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2021 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा दर्शाती है :

(लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–4 वर्ष	4 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण	9,816.17	-	-	-	9,816.17
देय व्यापार	1,709.67	-	-	-	1,709.67
अन्य वित्तीय देयताएं	14,127.49	4.00	8.52	549.60	14,689.61
कुल	**25,653.33**	**4.00**	**8.52**	**549.60**	**26,215.45**

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2020 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरा दर्शाती है :

(लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–4 वर्ष	4 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण	-	-	-	-	-
देय व्यापार	6,096.77	-	-	-	6,096.77
अन्य वित्तीय देयताएं	7,640.43	308.22	7.90	554.02	8,510.57
कुल	**13,737.20**	**308.22**	**7.90**	**554.02**	**14,607.34**

टिप्पणी सं. 27 पूंजीगत प्रबंधन

कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में निर्गत इक्विटी पूंजी और इक्विटी धारकों को आरोप्य सभी अन्य इक्विटी आरक्षित शामिल होते हैं। कंपनी के पूंजीगत प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है।

31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्षों के दौरान पूंजी के प्रबंधन हेतु उद्देश्यों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग होने वाली टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 28 – अन्य टिप्पणियां

28 अन्य टिप्पणियां

(i) कंपनी ने विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत लाभ उठाया था और रुपये ₹663.47 लाख की देनदारी का भुगतान किया था। फॉर्म–5 जारी करने के लिए आयकर विभाग द्वारा मामले की समीक्षा की जा रही है।

(ii) सॉवरेन कच्चे तेल के भंडार को तीन स्थानों पादुर, मैंगलोर और विशाखापत्तनम में रखा गया है। विशाखापत्तनम में कैवर्न बी का उपयोग एचपीसीएल द्वारा अपने संचालन के लिए किया जाता है और कच्चे तेल में संपत्ति पूरी तरह से एचपीसीएल के स्वामित्व में है। मैंगलोर में कैवर्न ए का उपयोग एडीएनओसी द्वारा आईएसपीआरएल के साथ समझौते के तहत एडीएनओसी के स्वामित्व वाले कच्चे तेल के लिए किया जाता है।

भारत सरकार – क्रूड ऑयल

विवरण	31.03.2021 कुल (मात्रा एमटी में)	31.03.2021 कुल (मात्रा एमटी में)
कच्चे तेल का प्रारंभिक स्टॉक (सर्वेक्षक रिपोर्ट के अनुसार) (क)	18,55,457.49	19,47,211.00
जोड़ें:– वर्ष के दौरान अधिप्राप्ति :		
लदान के बिल के अनुसार (ख)	24,10,121.63	8,29,778.73
सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक (ग)	24,10,095.82	8,26,700.49
घटा:– तबादला (घ)	41,453.00	9,05,029.69
वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक मात्रा के अनुसार शुद्ध मात्रा (क+ग)–(घ)	42,24,100.31	18,68,881.80
वर्ष की समाप्ति पर कुल मात्रा हिरासत में (पर्यवेक्षक रिपोर्ट के अनुसार)	42,13,678.99	18,55,457.49

(लाख ₹ में)

एडनोक – क्रूड ऑयल

	2020-21	2019-20
कच्चे तेल का प्रारंभिक स्टॉक (पर्यवेक्षक रिपोर्ट के अनुसार) (क)	3,74,918.53	7,28,846.84
जोड़ें:– वर्ष के दौरान अधिप्राप्ति		
लदान के बिल के अनुसार (ख)	5,16,604.00	-
सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक (ग)	4,98,308.11	-
घटाएं:– वर्ष के दौरान एडीएनओसी द्वारा स्थानांतरण (घ)	3,69,702.30	3,69,119.70
वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक मात्रा के अनुसार शुद्ध मात्रा (क+ग)–(घ)	5,03,524.34	3,59,727.14
31 मार्च 2021 को हिरासत के तहत कुल मात्रा (पर्यवेक्षक रिपोर्ट के अनुसार)	5,17,387.96	3,74,918.53

एमओपीएनजी को देय – क्रूड ऑयल

01 अप्रैल 2020 तक भारत सरकार/एमओपीएनजी को देय/वापसी योग्य	64,569.00	-
जोड़ें :– वर्ष के दौरान कच्चे तेल के लिए प्राप्त राशि	3,00,000.00	-
घटा :– प्राप्त कच्चा तेल (हस्तांतरण का शुद्ध) (समाशोधन और अन्य व्यय सहित) वर्ष के दौरान	2,85,386.85	-64,569.00
घटाएं:– भारत सरकार/एमओपीएनजी को वापस की गई राशि	75,000.00	-
31 मार्च, 2021 को भारत सरकार/एमओपीएनजी को देय/वापसी योग्य	4,182.15	64,569.00

(iii) चंडीखोल परियोजना के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन ओडिशा सरकार को प्रस्तुत किया गया था, भूमि का एएसआई सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और सरकार को स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान नीरी द्वारा चरण 2 के लिए ईआईए अध्ययन शुरू किया गया था और मसौदा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। पादुर में एसपीएम और संबंधित पाइपलाइन के निर्माण के लिए डीएफआर मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया था। पादुर परियोजना के चरण–II के भूमि अधिग्रहण के लिए केआईएडीबी को 98.16 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, इस राशि को ओआइडीबी द्वारा वापसी योग्य आधार पर वित्त पोषित किया गया था और शीर्ष उधार के तहत संबंधित पक्षों से असुरक्षित ऋण के रूप में दिखाया गया है। 8 जुलाई 2021 को हुई बैठक में कैबिनेट ने पीपीपी मोड पर दूसरे चरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

(iv) मैंगलोर में कैवर्न "ए" के लिए, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ तेल भंडारण और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के अनुसार, एएमआई इंडिया (एडीएनओसी) को डेड स्टॉक लॉस/कमीशनिंग लॉस के लिए 1,20,000 यूएस बैरल (15831 एमटी) के मूल्य का भुगतान किया जाना है। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना है। इसके लिए 7000 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह राशि भारत सरकार

से प्राप्त हो गई है, लेकिन एडीएनओसी से बिल की प्राप्ति लंबित होने के कारण एडीएनओसी को वितरित किया जाना बाकी है। इसे अन्य वित्तीय देनदारियों के साथ में वर्गीकृत किया गया है।

पक्ष स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि आईएसपीआरएल, हर समय, डेड स्टॉक मात्रा के बराबर एएमआई इंडिया (एडीएनओसी) तेल में एक स्वामित्व हित बनाए रखेगा।

एडीएनओसी तेल के साथ समझौते से संबंधित भंडारण हानि और परिचालन हानि के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान कंपनी द्वारा परिमाणीकरण के बाद किया जाएगा।

(v) 31 मार्च 2021 तक, कंपनी के दिन–प्रतिदिन के काम को विभिन्न तेल कंपनियों से प्रतिनियुक्ति शर्तों पर उधार लिए गए 18 कर्मियों द्वारा संभाला जाता है। उनके वेतन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की प्रतिपूर्ति उनकी संबंधित मूल कंपनियों को दावा प्राप्त होने पर की जाती है। इसके अलावा, कंपनी में नियमित रोल पर पांच कर्मचारी हैं। नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी नीतियां और भत्तों के निर्माण की प्रक्रिया विचार–विमर्श और अंतिम रूप देने के उन्नत चरण में है। श्री एचपीएस आहूजा सीईओ और एमडी को मूल कंपनी ओएनजीसी से उनकी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप अनुबंध के आधार पर 1 नवंबर, 2019 से आईएसपीआरएल के कर्मचारी के रूप में नामांकित किया गया है। आईएसपीआरएल का कोई भी कर्मचारी वर्ष के दौरान किसी सेवानिवृत्ति लाभ का हकदार नहीं था और इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(vi) अन्य कंपनियों से राशि प्राप्त करने के लिए नकद या वस्तु के मूल्य में वसूली योग्य अग्रिम, जिसमें कोई भी निदेशक एक निदेशक या सदस्य हो रूपये शून्य (पिछला वर्ष–रुपये शून्य)।

(vii) वैश्विक रूप से और भारत में कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी के प्रकोप ने कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को सामान्य रूप से प्रभावित किया है। 25 मार्च, 2020 से देशव्यापी तालाबंदी के साथ–साथ कोविड–19 के प्रसार ने मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है और वैश्विक मांग को प्रभावित किया है और इसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ है जिसने अल्पावधि में व्यवसाय के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

आईएसपीआरएल एक विशेष उद्देश्य माध्यम (एसपीवी) है जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। आईएसपीआरएल कैवर्न में संग्रहित कच्चा तेल प्रकृति में रणनीतिक है और इसका उपयोग आपूर्ति व्यवधान/विभिन्न परिस्थितियों के मामले में किया जाता है। इसलिए, यह माना जाता है कि कोविड–19 महामारी ने आईएसपीआरएल के संचालन के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं डाला है।

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के परिणामस्वरूप, वैश्विक कच्चे तेल की कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। कच्चे तेल की कम कीमत का लाभ उठाने के लिए, भारत सरकार ने कैवर्न में उपलब्ध स्थान को भरने के लिए आईएसपीआरएल को अतिरिक्त धन आवंटित किया। तदनुसार, लॉकडाउन अवधि के दौरान, आईएसपीआरएल ने 2020–21 में विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में कच्चे तेल की कम कीमत का फायदा उठाते हुए क्रूड ऑयल को भरा एवं इससे सरकार को भारी विदेशी मुद्रा की बचत का लाभ हुआ।

कंपनी ने अपने कर्मचारियों और व्यावसायिक भागीदारों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन के दौरान लागू सभी सरकारी दिशानिर्देशों/एसओपी का पालन किया है।

(viii) मंगलौर और पादुर से खुदाई की गई चट्टानें साइटों पर पड़ी हैं। वर्ष के दौरान पादुर में रॉक मलबे के लिए ई–नीलामी खनिज राज्य ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) के माध्यम से आयोजित की गई थी और पादुर से ₹ 2 लाख मीट्रिक टन रॉक मलबे उठाने के लिए सफल बोलीदाता द्वारा ₹108 प्रति एमटी की बोली लगाई गई थी। वर्ष के दौरान चट्टानों की कोई बिक्री/उठान नहीं हुआ है।

(ix) **ओ एंड एम व्यय का विवरण** (लाख ₹ में)

वर्ष (2020–21) के दौरान भारत सरकार/एचपीसीएल/एडीएनओसी से दावा किया गया ओ एंड एम व्यय	14,669.47
घटाएं:– ओ एंड एम व्यय पिछले वर्ष में बुक किया गया लेकिन वर्ष के दौरान दावा किया गया	3,711.30
जोड़ें:– वर्ष के दौरान दावा नहीं की गई अवधि के लिए ओ एंड एम व्यय, दावा किया जाना है	1,367.87
घटाएं:– ओ एंड एम व्यय अतिरिक्त दावा/प्रीपेड व्यय	820.89
वर्ष के दौरान किए गए शुद्ध ओ एंड एम व्यय (मूल्यह्रास, वित्त लागत और कर व्यय सहित)	11,505.15
वर्ष के अंत (2019–20) में भारत सरकार/एचपीसीएल से वसूली योग्य राशि	3,611.58
जोड़ें:– वर्ष के लिए निवल ओ एंड एम व्यय	11,505.15
घटाएं:– वर्ष के दौरान भारत सरकार/एचपीसीएल से वसूल की गई राशि (परिक्रामी अग्रिम के रूप में भारत सरकार से रु. 4800.00 लाख सहित ओ एंड एम व्यय के लिए)	18,933.57
31 मार्च 2021 को भारत सरकार/एचपीसीएल/एडीएनओसी से वसूली योग्य राशि (अग्रिम में प्राप्त)	(3,816.84)

(x)	**विलंबित कर** कर योग्य आय आय के अभाव में आयकर के किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है। इसके अलावा, अस्थगित कर परिसंपत्ति को भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि इसके पास किसी प्रकार की यथोचित सुनिश्चितता नहीं है कि भावी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध होगी जिसके लिए प्राप्य इस प्रकार के अस्थगित कर परिसंपत्ति को समायोजित किया जा सकता है।
(xi)	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बकाया राशि को दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार ₹0.52 लाख (पिछले वर्ष 70.46 लाख रूपये) निर्धारित किया गया था इस प्रकार के पक्षकारों की पहचान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 जो 2 अक्टूबर, 2006 को लागू हुआ था के संदर्भ में रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर की गई है।
(xii)	विक्रेताओं / ठेकेदारों / सेवा प्रदाताओं की ओर देय / वसूली योग्य राशि पुष्टि, सुलह और परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कोई हो।
(xiii)	सभी उपभोग्य सामग्रियो / भण्डारणों / कलपुर्जों को खरीद के समय ओ एंड एम व्यय में बुक किया जाता है।
(xiv)	मैंगलोर एसईजेड से बट्टानों को हटाने पर रॉयल्टी के भुगतान को एमएसईजेडएल / इन्हें हटाने के लिए नियुक्त संविदाकार द्वारा वहन किया जाना है।
(xv)	कच्चे तेल की खरीद के लिए भारत सरकार से प्राप्त अग्रिमों पर कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज भारत सरकार को देय है और अन्य मौजूदा देनदारियों के तहत दिखाया गया है।
(xvi)	जैसा कि लेखा परीक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किए गए व्यय से संबंधित लाभ और हानि विवरण को तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेशों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के तहत आवश्यक है (कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में दिए अनुसार) और अन्य मदें इस प्रकार हैं:

	वित्तीय वर्ष 2020–21 (लाख रुपए में)	वित्तीय वर्ष 2019–20 (लाख रुपए में)
सवैधानिक लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखा परीक्षण शुल्क (जीएसटी सहित)	1.77	1.77
प्रमाणीकरण (जीएसटी सहित)	0.06	0.02
तुरंत देय व्यय	0.00	0.00
आंतरिक लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखा परीक्षण शुल्क (जीएसटी सहित)	0.35	0.35
अन्य सेवाएं	शून्य	शून्य
सचिवीय लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखा – परीक्षण शुल्क	0.10	0.25

(xvii)	कंपनी द्वारा पादुर में 179.2 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें से पादुर में 176.11 एकड भूमि को आईएसपीआरएल के नाम से पंजीकृत किया गया है, पादुर में शेष 3.09 एकड़ भूमि अभी कंपनी के नाम पर पंजीकृत होना शेष है।
(xviii)	आईएसपीआरएल ने रु. 98,16,17,120/– का ब्याज मुक्त असुरक्षित ऋण प्राप्त किया था। जोकि केआईएडीबी मांग पत्र संख्या केआईएडीबी/सीके/एलएक्यू/एम/2542/10953/2020–21 दिनांक 31 दिसंबर 2020 के भुगतान के लिए, पादुर और कलाथुर गांव में 210 एकड़ 4 सेंट भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण लागत के रूप में आईएसपीआरएल पादुर चरण II परियोजना के लिए है।
(xix)	गैनपावर खर्चे जो कि फेज – II से संबंधित है वह कम्पनी द्वारा आंतरिक उपचय से भुगतान किए गए हैं जो कि 2021–22 के फेज – II के अनुदान से समसयोजित किए जाएंगे।
(xx)	पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के अनुरूप पुनर्संरचित / पुनर्गठित किया गया है, जहां कहीं भी वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटीकरण के लिए यह आवश्यक है।
(xxi)	वित्तीय विवरणों को 15 सितम्बर, 2021 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

नोट नं. 1 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. कारपोरेट सूचना

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को 16 जून, 2004 को आईओसीएल की एक अनुषंगी के रूप में अधिनिगमित किया गया था। कंपनी की समूची शेयरधारिता को 9 मई, 2006 को तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) तथा इसके नामितियों द्वारा ले लिया गया था।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (कंपनी) ओआईडीबी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी तथा भारत में अधिनिगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा तल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001 पर तथा प्रचालनात्मक/कार्यात्मक कार्यालय ओआईडीबी भवन, तीसरा तल, प्लॉट नं. 2, सेक्टर–73, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश में है। कंपनी गैर–सूचीबद्ध है क्योंकि इसके शेयर भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं है तथा उनका कारोबार नहीं किया जाता है।

कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

1. भारत सरकार के खनिज तेल के संप्रभुत्व वाले खनिज तेल के भंडारों या भारत सरकार द्वारा तय ऐसे किसी अन्य निकाय के खनिज तेल का भंडारण, जो निम्नलिखित के अनुपालन के अधीन हैः

   केवर्नों से महत्वपूर्ण कोर संप्रभुत्व वाले खनिज तेल के भंडारों को निकालना तथा इनका पुनः भराव सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से किया जाएगा।

   बशर्ते भारत सरकार के महत्वपूर्ण कोर संप्रभुत्व वाले खनिज तेल भंडारों को गुणवत्ता आवश्यकता अथवा मरम्मत तथा रखरखाव के कारण या खनिज तेल के परिसंचरण हेतु भी निकाला जा सकता है।

2. भण्डारण, संभालना, उपचार, वहन, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार, अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाता, ब्रोकर तथा एजेंट, अभियांत्रिकी तथा सिविल डिजाइनरों, संविदाकारों, वारफ रिंगर्स, भण्डारगार गृह, उत्पादक, तेल तथा तेल उत्पादों के डीलर गैस तथा गैस उत्पादों, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार के द्रव्यों और यौगिकों के प्रकार, व्युत्पन्न सामग्रियों, मिश्रणों, तत्संबंधी तैयार किए गए उत्पादों एवं अन्य उत्पादों के व्यापार को करना है।

1क : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.1 वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 और कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचित इंड एस के अनुसार तैयार किए जाते हैं और इनका अनुपालन करते हैं कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सभी भौतिक पहलू हैं।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपए ('आईएनआर') में प्रस्तुत किये गए हैं और सभी मूल्यों को केवल निकटतम लाख (दो दशमलव तक) रुपए में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय अन्यथा निर्दिष्ट किए गए हों।

1.2 राजस्व मान्यता

(i) ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति के रूप में जाना जाता है।

(ii) बीमा दावों को दावे के निपटान पर लेखांकित किया जाता है।

1.3 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर कम संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटा कर लागत पर बताया गया है। अचल परिसंपत्तियों की लागत में अधिग्रहण की लागत और परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग की कार्यशील स्थिति में लाने की लागत शामिल है।

ii) अमूर्त परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है यदि जब यह संभावना हो कि इन परिसंपत्तियों पर आरोप्य भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और ऐसी परिसंपत्तियों की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। ऐसी परिसंपत्तियों को लागत घटा संचित परिशोधन पर बताया जाता है।

iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर

प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य को लागत पर वहन किया जाता है। निर्माण अवधि के दौरान किए गए परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार राजस्व व्यय पूंजीकृत होते हैं।

1.4 मूल्यह्रास/परिशोधन

(i) मूल्यह्रास को सीधी रेखा पद्धति पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार मुहैया करवाया जाता है, सिवाय भूमिगत कैवर्न के जिसकी उपयोगी समय स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा किए गए प्रमाणीकरण के आधार पर 60 वर्ष माना गया है।

(ii) पृथक रूप से रु. 5,000/– तक की लागत वाली अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है।

(iii) अनिश्चितकालीन जीवन के साथ उपयोग का अधिकार (आरओयू) को अमूर्त नहीं किया जाता है, लेकिन नकद उत्पन्न करने वाले इकाई स्तर पर सालाना हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। अनिश्चितकालीन जीवन का आकलन सालाना समीक्षा करने के लिए किया जाता है कि अनिश्चितकालीन जीवन सहायक है या नहीं। यदि नहीं, तो अनंत जीवन से परिमित तक उपयोगी जीवन में परिवर्तन संभावित आधार पर किया जाता है।

(iv) निश्चित उपयोगी जीवन के साथ उपयोग का अधिकार (आर ओ यू) पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

1.5 परिसंपत्तियों की क्षति

प्रबंधन समय–समय पर बाहरी और आंतरिक स्रोतों का उपयोग करके मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षति तब होती है जब वहन मूल्य भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाता है जो परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और इसके अंतिम निपटान से उत्पन्न होने की उम्मीद है। हानि को उस सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है, जिस सीमा तक परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है जिसमें निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य कम होता है। उपयोग में मूल्य अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर आधारित है, पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी गई है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।

1.6 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

i) कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

ii) विदेशी मुद्रा में लेनदेन को शुरूआत में लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार दर्ज किया जाता है।

iii) मौद्रिक संपत्ति एवं विदेशी मुद्राओं के देनदारियों को नियति तारीख पर विनिमय की कार्यात्मक मुद्राओं के समापन दर पर लेनदेन किया जाता है।

iv) गैर–मौद्रिक वस्तु विदेशी मुद्रा को ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, लेनदेन की तारीख में विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

v) परिवर्तनीयता अथवा निपटान की स्थिति की विनिमय दरों में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ अथवा घाटे को लाभ–हानि विवरण में लेखाबद्ध किया जाता है।

1.7 वित्तीय लेखपत्र

(i) वित्तीय परिसंपत्तियां

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रांरभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(ii) वित्तीय देयताएं

सभी वित्तीय देयताओं को प्रांरभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(iii) वि–मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब विमान्य किया जाता है जब परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाए अथवा ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्तरण कर दिया जाए तथा ऐसे अंतरण विमान्यकरण हेतु अर्हक होते है। वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है, जब देयता के अंतर्गत बाध्यता का निर्वाहन किया जाता या यह समाप्त हो जाती है।

1.8 आय पर कर

आय कर में वर्तमान कर और विलंबित कर शामिल होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को समय अंतरों के कारण भविष्य के कर परिणामों हेतु मान्यता प्रदान की जाती है, जो विवेकसम्मत होने के अधीन होता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन तुलन–पत्र तिथि को अधिनियमित या बाद में अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके किया जाता है। स्थगित कर संपत्तियों को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी मतभेदों का उपयोग किया जा सकता है।

1.9 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को लाभ या हानि में एक व्यवस्थिति आधार पर उस अवधि में मान्यता प्राप्त होगी जिसमें इकाई को संबंधित लागत को खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का दावा रखता है।

1.10 पट्टे

कंपनी इस बात का आकलन करती है कि अनुबंध के अंत में अनुबंध में पट्टा है या नहीं। एक अनुबंध है, या शामिल है, एक पट्टा अगर अनुबंध विचार के बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (1) अनुबंध में एक पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है (2) कंपनी को लीज की अवधि के दौरान संपत्ति को इस्तेमाल से काफी हद तक सभी आर्थिक लाभ मिले। (3) कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

कंपनी एक राइट–टू–यूज एसेट और सभी लीज व्यवस्थाओं के लिए एक संबंधित लीज लायबिलिटी को पहचानती है, जिसमें वह पट्टेदार होता है, केवल बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के लीज) वाले पट्टों को छोड़कर और कम मूल्य की अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लिए पट्टे। कम मूल्य की अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लिए और इन अल्पकालिक पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को एक सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है।

पट्टे की कुछ व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे का विस्तार या समाप्त करने के विकल्प शामिल होते हैं। संपत्ति के उपयोग का अधिकार और पट्टे की देनदारियों में ये विकल्प शामिल होते हैं कि जब निश्चित है कि पट्टे का विस्तार करने के विकल्प का उपयोग किया जाएगा / पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग नहीं किया जाएगा।

उपयोग के अधिकार की संपत्ति को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की शुरुआत की तारीख से पहले या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में कोई पट्टा प्रोत्साहन कम होता है। बाद में उन्हें लागत घटा संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और हानियों पर मापा जाता है।

उपयोग की जाने वाली संपत्ति का मूल्यह्रास / परिशोधन प्रारंभ तिथि से अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक किया जाता है, यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व को स्थानांतरित करता है या यदि संपत्ति के उपयोग के अधिकार की लागत दर्शाता है कि खरीद विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, राइट–ऑफ–यूज़ आस्तियों का मूल्यह्रास / परिशोधन प्रारंभ तिथि से एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि के कम और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है।

पट्टे की देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के लिए वर्तमान मूल्य की परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतानों को लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है। लीज देनदारियों को

तेल उद्योग विकास बोर्ड
तेउविबो OIDB

संबंधित परिसंपत्ति के संबंधित अधिकार के अनुरूप समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है यदि कंपनी अपना आकलन बदलती है कि क्या वह एक एक्सटेंशन या समाप्ति विकल्प का उपयोग करेगी।

छूट दर आम तौर पर वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

1.11 प्रावधानों, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (इंड एएस–37)

कंपनी किसी प्रावधान को तब मान्यता देती है जब पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता हो और इसकी अधिक संभावना न हो कि ऐसी बाध्यता के निपटान में संसाधनों के बाहिरप्रवाह की आवश्यकता होगी तथा ऐसी बाध्यता की राशि का विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सके। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर नहीं लिया जाता है और उनका निर्धारण वर्ष अंत में बाध्यता की राशि के प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमान के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को की जाती है और प्रबंधन के श्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण ऐसी संभावित बाध्यताओं के संबंध में किया जाता है जो पहले की घटनाओं से उत्पन्न हुई हों और जिनकी विद्यमानता की पुष्टि पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली भविष्य की घटनाओं की उत्पत्ति या गैर–उत्पत्ति से ही की जा सकती हो। आकस्मिक देयताओं की वर्तमान बाध्यताओं हेतु भी ऐसी देयताओं के संबंध में पुष्टि की जाती है जिसके संबंध में यह संभावना न हो कि संसाधनों का एक बाह्य प्रवाह होगा अथवा बाध्यता की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान न लगाया जा सके।

जब कभी ऐसी कोई संभावित बाध्यता या वर्तमान बाध्यता होती है जहां संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना सुदूर होती है, किसी प्रकटीकरण या प्रावधान को नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्ति का खुलासा किया गया है जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है।

1.12 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारभूत अर्जन की गणना इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना के प्रयोजन हेतु, इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि हेतु निवल लाभ और हानि तथा अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या को सभी तनुकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभावों हेतु समायोजित किया जाएगा।

1ख : हाल के भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को सूचित करता है। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगी।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के वित्तीय विवरणों से संदर्भित भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल की कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 143(6) (बी) के तहत टिप्पणियां

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष संबंधी वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इस अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा अपनी दिनांक 15 सितम्बर, 2021 की लेखा परीक्षण रिपोर्ट को किया गया निर्दिष्ट है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के अनुपूरक लेखा परीक्षण को संचालित किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण संवैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यात्मक दस्तावेज़ों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से संवैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक ही सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर मेरे ज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ताः–
सी.एम. साने
महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखा–परीक्षा, मुंबई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 02 नवम्बर, 2021

अध्याय-10
परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा–6 बोर्ड के कृत्य

6(1) इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड ऐसी रीति से ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हों, वित्तीय और अन्य सहायता देगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड उस उपधारा के अधीन निम्नलिखित रीति से सहायता दे सकता है, अर्थात् :–

(क) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति को जो धारा 2 के खण्ड (के) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगा हुआ है या लगने वाला है, अनुदान या उधार देना;

(ख) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए ऐसे उधारों की, जो पच्चीस वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय हों और बाजार में चालू किए गए हों या किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे बैंक से, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक है, लिए गए उधारों की ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना;

(ग) भारत के बाहर से पूंजी माल के आयात के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति से अथवा भारत के भीतर पूंजी माल के क्रय के संबंध में ऐसे समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा शोध्य आसीमित संदायों की, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं प्रत्याभूति देना;

(घ) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी देश में, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से विदेशी करेंसी में लिए गए उधारों की या किए गए प्रत्यय ठहरावों की, ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो करार पाएं जाए, प्रत्याभूति देना परन्तु ऐसी कोई प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी;

ङ) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों के पुराधरण की हामीदारी करना और उनके संबंध में अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में जिन स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों को उसे लेना पड़े उन्हें अपनी आस्तियों के भाग रूप रखे रहना;

(च) केन्द्रीय सरकार या किसी विदेशी वित्तीय संगठन या प्रत्यक्ष अभिकरण द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के या अभिदाय किए गए डिवेंचरों के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान के साथ किसी कारोबार के संव्यवहार में, केन्द्रीय सरकार के या उसके अनुमोदन से, ऐसे संगठन या अभिकरण के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना;

(छ) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक या शेयरों के लिए अभिदाय करना;

(ज) किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिवेंचरों के लिए अभिदाय करना जो अभिदाय की तारीख से 25 वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय है;

परन्तु इस खंड की कोई बात बोर्ड को किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिवेंचरों के लिए अभिदाय करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जिन पर परादेय रकम बोर्ड के विकल्प पर उस अवधि के भीतर जिसमें डिवेंचर प्रतिसंदेय हैं, उस समुत्थान के स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तनीय है।

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड में, किसी उधार या अग्रिम धन के संबंध में "जिन पर परादेय रकम" पद से ऐसे उधार या अग्रिम धन पर उस समय संदेय मूलधन, ब्याज और अन्य प्रभार अभिप्रेत है जब उन रकमों को स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तित किया जाना है।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन अध्युपायों के अन्तर्गत, जिनके संप्रवर्तन के लिए बोर्ड उस उपधारा के अधीन सहायता दे सकता है, निम्नलिखित के लिए या के रूप में अध्युपाय भी हैं, अर्थात :–

(क) भारत के भीतर (जिनके अन्तर्गत भारत का कॉन्टीनेन्टल शेल्फ भी है) या भारत के बाहर तेल का पूर्वेक्षण और खोज,

(ख) कच्चे तेल के उत्पादन, हैंडलिंग, भण्डारकरण और परिवहन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था,

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिष्करण और विपणन,

(घ) पेट्रो–रसायनों और उर्वरकों का विनिर्माण और विपणन,

(ङ.) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान जो तेल उद्योग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो सके,

(च) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या आरम्भिक अध्ययन,

(छ) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में लगे हुए या लगने वाले कार्मिकों का भारत के भीतर या भारत के बाहर प्रशिक्षण और ऐसे अन्य अध्युपाय जो विहित किए जाए।

(4) बोर्ड अपने कृत्यों के प्रयोग में अपने द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस ले सकता है या ऐसा कमीशन प्राप्त कर सकता है जो वह समुचित समझे।

(5) बोर्ड किसी तेल उद्योग समुत्थान को या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के संबंध में किसी लिखित को प्रतिफल के लिए अंतरित कर सकता है।

(6) बोर्ड वे सभी बाते कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के आनुवांशिक या पारिणामिक हों।

परिशिष्ट-II

वित्त लेखा, और संपरीक्षा
तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–15

15(1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अनुसूची के स्तम्भ–2 मे विनिर्दिष्ट प्रत्येक मद पर जो भारत में (जिसके अन्तर्गत भारत का कॉटिनेंटल शेल्फ भी है) उत्पादित की जाती है और जो –

(क) किसी परीक्षणशाला या कारखाने के लिए हटाई है, या

(ख) उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा मद उत्पादित की जाती है, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित की जाती है उस अनुसूची के स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई दर में अनाधिक ऐसी दर पर जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, उत्पाद–शुल्क उपकर के रूप में उदग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा,

परन्तु जब तक केन्द्रीय सरकार कच्चे तेल की बाबत (जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद है) ऐसी अधिसूचना द्वारा उत्पाद–शुल्क की दर विनिर्दिष्ट नही करती है तब तक इस उपधारा के अधीन कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क 60 रूपये प्रति टन की दर से उदगृहीत और संग्रहीत किया जायेगा (20 प्रतिशत यथा मूल्य दिनांक 1.3.2016 से)।

(2) किसी मद पर उपधारा (1) के अधीन उदगृहणीय प्रत्येक उत्पाद–शुल्क उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जो उस मद का उत्पादक करता है और कच्चे तेल की दशा में उत्पाद–शुल्क परीक्षणशाला में प्राप्त मात्रा पर संग्रहीत किया जायेगा।

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों पर उपधारा 9(1) के अधीन उत्पाद शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन मदों पर उदग्रहणीय उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिसके अन्तर्गत प्रतिदाय और शुल्क में छूट से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उदग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए उस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों यह अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मदों पर उत्पाद–शुल्क के उदग्रहण के लिए उपबंध करता है।

तेल उद्योग (विकास)अधिनियम, 1974 की धारा – 16–शुल्क के आगमों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना।

16 धारा-15 के अधीन उदगृहीत उत्पाद–शुल्क के आगम पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जायेंगे और केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा विनियोग द्वारा इस प्रकार उपबंधित करे तो बोर्ड को समय–समय पर ऐसे आगमों में से संग्रहण के खर्चो की कटौती करने के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेषतः उपयोग के लिए इतनी धनराशियां दे सकती है, जो यह ठीक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–17– केंन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार

17 केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यकृत विनियोग किए जाने के पश्चात बोर्ड को अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशियां दे सकती है जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–18–तेल उद्योग विकास निधि

18 (1) तेल उद्योग विकास निधि के नाम से एक निधि बनाई जायेगी उस निधि में निम्नलिखित धनराशियां जमा की जायेंगी, अर्थात्

(क) धारा–16 या 17 के अधीन भुगतान की गई राशि,

(ख) वे अनुदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जाये,

(ग) बोर्ड द्वारा लिये गए उधार,

(ध) वे राशियां, यदि कोई हों, जो बोर्ड द्वारा अपने कार्यो के निष्पादन अथवा इस अधिनियम के प्रशासन में वसूल की जाएं।

(2) निधियों का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगाः–

क) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और उसके सलाहकारों, परामर्शदाताओं या अन्य अभिकरणों को, जिनकी बोर्ड सेवाएं प्राप्त करे वेतन, भत्ते, मानदेय तथा अन्य परिश्रमिक देने के लिए

(ख) बोर्ड अन्य प्रशासनिक खर्चो को पूरा करने के लिए,

(ग) धारा–6 के अन्तर्गत सहायता देने के लिए,

(घ) बोर्ड द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान करने अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य देयताओं को पूरा करने के लिए।

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

Designed & Printed by : www.censer.in (Ph) 9810213218

तेल उद्योग विकास बोर्ड
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

देश में तेल उद्योग के विकास हेतु प्रतिबद्ध संस्थान

पंजीकृत कार्यालय :
301, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001

कॉर्पोरेट कार्यालय:
ओआईडीबी भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 2, सैक्टर–73, नोएडा, उत्तर प्रदेश